पंचम माला, खंड 3, अंक 20 शुक्रवार 18 जून 1971/28 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. III, No. 20 Friday, June 18, 1971/Jyaistha 28, 1893 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. III contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and Contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20, शुक्रवार, 18 जून, 1971/28 ज्येष्ठ, 1893 (शक)

No. 20, Friday, June 18, 1971 Jyaistha 28. 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या		
S.Q. Nos.		
571 'कलकत्ता इन्टरनेशनल एयर-टर्मिनल' भवन पर सुरक्षा प्रबन्ध	Security arrangements at Calcutta International Air Terminal Building	1—2
572 राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of Nationalised Banks	2—5
573 गुजरात में निःशुल्क माध्यमिक परीक्षा	Free Secondary Education in Gujarat	5—8
574 स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया द्वारा पश्चिम बंगाल के किसानों ग्रौर ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाना	Advance of Loans by state Bank of India to Village Agriculturists and Small Traders of Rural Areas in West Bengal	8—11
575 त्रिवेन्द्रम् को बोइंग विमानों की उड़ानें	Boeing Flights to Trivandrum	11—12
577 दिल्ली परिवहन के कार्यकरण में सुधार हेतु उपाय	Steps to Improve the working of Delhi Transport Undertaking	12—16
578 ग्रादिम जातियों के लोगों की कला ग्रौर संस्कृति का संरक्षण	Preservation of Tribal Art and Culture	16—18
582 शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये पी० एल० 480 निधि	PL-480 Fund for Educational Activities	18—20

किसी नाम पर ग्रंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
576	आगरा में ऐतिहासिक स्थानों के विकास की योजना	Scheme for development of Historical places in Agra	20
579	अन्तराज्यीय यातायात के बेरोकटोक आवागमन के लिए पड़ताल चौकियों की संख्या को कम करना	Reduction in the Number of Check Posts for Smooth Flow of Inter-State Traffic	20—21
580	गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा राष्ट्रीकृत बैंकों से कार्यकर-पूंजी प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव करना	Difficulties Experienced by Private Sector Industries in obtaining working Capital from the Nationalised Banks	21—22
581	नीदरलैंड से ऋण सम्बन्धी करार	Agreement for Loan from Netherlands	22
583	आयकर से छूट-प्राप्त निकायों और एसोसिएशनों के हिसाब-किताब की जांच करना	Checking of Accounts of Bodies and Associations exempted from payment of Income Tax	23
584	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के छात्रों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग की छात्रवृत्तियां	U. G. C. Scholarship to Students of Hill Areas of U. P.	24
585	पाठ्य-पुस्तकों के बारे में भारत अमरीका के बीच करार	Indo-U. S. Text Book Agreement	24—26
586	भारतीय ऋण प्रत्याभूति निगम का कार्यकरण	Functioning of Credit Guarantee Corporation of India	26—28
587	भारत नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Indo-Nepal Border	28—29
588	हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना	Setting up of a Shipyard at Haldia	29
589	पारिचालित मुद्रा की राशि	Amount of Money in Circulation	29—30

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
590 पांच लाख रुपयों से अधिक बकाया आयकर वाले मामले	Cases involving arrears of Income-Tax above Rs. 5 lakhs	30—31
591 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक	Aligarh Muslim University Bill	31
592 बैंक दर में वृद्धि	Increase in Bank Rate	31
593 राजस्थान में लोगों पर बकाया कर	Arrears of Taxes against Persons in Rajasthan	31—32
594 पोस्त के छिलकों का निर्यात	Export of Poppy Husk	32—33
595 बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए विमानों की संख्या में वृद्धि करना	Increase in Aircrafts to meet increasing requirements	33—34
596 चौथी योजना के दौरान केरल राज्य में छोटे बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports in Kerala during the Fourth Plan Period	34—35
597 बैंक आफ बिहार लिमिटेड का स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ विलय	Merger of Bank of Bihar Ltd. with State Bank of India	35
598 सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियों के लिए तालिका	Penal for Appointments in Public Undertakings	35—36
599 युनियन बैंक आफ इण्डिया, बम्बई की खार स्थित शाखा के कर्मचारियों द्वारा 20 लाख रुपये का कथित गबन	Reported Misappropriation of Rupees 20 lakhs by the staff of the Khar Branch of the Union Bank of India, Bombay	36—37
600 सिंगापुर में हुआ एशियाई शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	Asian Education Ministers Conference held in Singapore	37
271 वास्तविक राशि से कम और अधिक राशि के बीजक आदि बनाने को रोकने के उपाय	Measures to check Under-invoicing, over Invoicing etc.	37—38

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2507 पर्यटन केन्द्रों को सूचि में मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी को सम्मिलित करने का प्रस्ताव	Proposal to include Pachmarhi in Madhya Pradesh in the List of Tourist Centres	38
2508 गुजरात में खोली गयी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks opened in Gujarat	38—39
2509 राष्ट्रीय राजपथ से जयपुर और भोपाल को मिलाना	Plan to Link Jaipur and Bhopal by a National Highway	39
2510 राजस्थान में स्कूलों में भर्ती बच्चों की प्रतिशतता	Percentage of Enrolled Students in Rajasthan	39—40
2511 विदेशी पर्यटकों के लिये आसाम में वर्जित क्षेत्र	Prohibited Areas in Assam for Foreign Tourists	40
2512 अन्दमान प्रशासन द्वारा मैट्रिक पास प्रशिक्षित अध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of Matric Trained Teachers by Andaman Administration	40—41
2513 अन्दमान द्वीप समूह के एक शिक्षक को छुरा घोंपना	Stabbing of a Teacher in Andaman Islands	41
2514 अन्दमान प्रशासन द्वारा अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति	Promotion of Untrained Graduate Teahcers by Andaman Administration	41—42
2516 अन्दमान द्वीपसमूह के लिये शिक्षा सचिव के पद का बनाया जाना	Creation of a Post of Education Secretary for Andaman Islands	42
2517 वित्तीय सहायता के लिये दिये गये आवेदन पत्रों का गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रद्द किया जाना	Applications for Financial Assistance rejected by Nationalised Banks in Gujarat	43
2518 अहमदाबाद हवाई अड्डे का पूर्नर्निर्माण	Reconstruction of Ahmedabad Airport	43
2519 रामेश्वरम् द्वीप को मंडापम के साथ सड़क पुल से जोड़ने का प्रस्ताव	Proposal to Connect Rameshwaram Island with Mandapam by Road/Bridge	43—44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2520	स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन अधिनियम, 1956 में संशोधन सुझाने हेतु गठित अध्ययन समिति का प्रतिवेदन	Report of Study Committee set up to suggest changes in Suppression of Immoral Traffic in women and Girls Act, 1956	44
2521	इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, शिमला	Indian Institute of Advanced Study, Simla	44—46
2522	कम्पनियों में सचिवों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन	Amendment of Laws governing the Appointment of Secretaries in Companies	46
2523	'पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज' के निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के सम्बन्ध में 'कम्पनी कानून बोर्ड' की शक्तियां	Powers of Company Law Board for Fixation of Remunerations of Directors of Public Limited Companies	47
2524	कम्पनी अधिनिमम 1956 में परिवर्तनों के लिये प्रस्ताव	Proposals for Changes in Companies Act, 1956	47—48
2525	दिल्ली और शिमला में सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटल	Hotels run by Government in Delhi and Simla	48—49
2526	जयपुर का "बी" श्रेणी के शहर के रुप में विकास	Development of Jaipur into 'B' Grade City	49
2527	केन्द्रीय सरकारी के कर्मचारियों का कार्यभार	Work-Load on Central Government Employees	49—50
2528	मारमुगाव बन्दरगाह में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति	Introduction of Central Industrial security Force in Mormugao Harbour	50
2529	संघ राज्य क्षेत्रों के हाई स्कूलों और कालेजों और सेंट्रल स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का हटाया जाना	Discontinuance of English as Medium of Instruction in High schools and Colleges in U. TS. and Central Schools	51

अता० प्र० संख्या
U, S. Q. Nos

2530	भारत में शिशु कार्यक्रमों के लिये सँयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि सहायता	Unicef Aid for Programmes for children in India	51—52
2531	इन्दौर में सू्ती कपड़ा मिलों से उत्पादन शुल्क और आयकर की वसूली	Realisation of Excise Duty and Income Tax from Textiles Mills in Indore	52—53
2532	तस्करों को सजा	Punishment to Smugglers	53—54
2533	बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋणों पर अधिक ब्याज लिया जाना	Higher Rate of Interest on Loans given by Banks to Industries	54
2535	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती	Recruitment in Public Sector Undertakings	55
2536	तस्करों पर मुकदमें चलाया जाना	Prosecution of Smugglers	55—56
2537	बाल अपराध के सम्बन्ध में सेंटल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज द्वारा किया गया विश्लेषण	Analysis made by Central Bureau of Correctional Services regarding Juvenile delinquency	56
2538	आयकर विभाग पटना में लोअर डिवीजन क्लर्कों को नियुक्ति	Appointment of Lower Division Clerks in Income Tax Department Patna	57
2539	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय प्रांगण में दुर्घटनाओं में मरे व्यक्ति	Persons died on accidents in Jamia Milia University Campus	57—58
2540	हीरा बैंककारी सेवा आरम्भ करना	Setting up of Diamond Banking Service	58—59
2541	जिलों में मार्गदर्शी बैंकों का खोला जाना	Opening of lead Banks in District	59—60

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos		SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2542	जीवन बीमा निगम द्वारा मकान बनाने के लिए ऋण सुविधायें	Housing. Loan Facilities by L. I. C.	60
2543	स्कूल तथा कालेजों में सेमेस्टर प्रणाली	Semester system in Schools and Colleges	60
2545	विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त हुये ऋण	Loans and Credits received from World Bank and International Develoment Association	60—61
2546	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिहार के विश्व-विद्यालयों को अनुदान	U.G.C. Grants to Universities in Bihar	61
2547	गुजरात के तटवर्ती राजपथों का बीच में अधूरा रहना	Missing Links on Coastal Highway Sections of Gujart	61—62
2548	सौराष्ट्र क्षेत्र को भील जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता	Recognition of BHIL Community of Saurashtra Region as a Scheduled Tribe	63
2549	कोचीन विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Cochin University	63—64
2550	विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली को सहायता तथा अनुदान	Assistance and Grants to Yiswa Vuvak Kendra. New Delhi	64
2551	विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त की गई सहायता	Assistance received by Viswa Yuvak Kendra	64—65
2552	विश्व युवक केन्द्र का ट्रस्टी बोर्ड	Board of Trusties of Viswa Yuwak Kendra	65
2553	भारतीय पूंजी निवेश को प्राप्त हुये जानकारी मांगने वाले पत्र और आवेदन पत्र	Enquiries and applications received by by the Indian Investment Centre	65—66
2554	इम्फाल के तुलिहल हवाई अड्डे पर सुविधाओं का अभाव	Absence of facilities at Tulihal Aerodrome. Imphai	66

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2555	मनीपुर में प्रारम्भिक स्कूलों के अन्दर स्कूल-मदर का वेतन मान	Pay scale of School Mothers of Elementary Schools in Manipur	66—67
2556	मनीपुर में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Manipur	67—68
2557	मनीपुर में उड़ाकू प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्र-वृत्तियाँ	Scho'arships for flying trainees of Manipur	68
2558	मनीपुर के शिक्षा के प्रशासकीय ढांचे में सुधार करना	Introduction of Structural Reforms in Administrative Sphere of Education in Manipur	68—69
2559	जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य दूसरे वित्तीय संस्थाओं द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनियों के शेयरों पर खर्च की गई राशि तथा इन्हें दिये गये ऋण	Loans, advanced or invested in shares by LIC. UTI. Nationalised Banks and other Financial Institutions in Indian Iron and Steel and Tata Iron and Steel Company	69
2560	उड़ीसा के लोगों पर आय कर बकाया राशि	Arrears of Income Tax outstanding against Individuals in Orissa	70
2561	उड़ीसा में 'चिल्का झील' के विकास हेतु कार्यवाही	Steps taken to Develop Chilka Lake in Orrisa	70—71
2562	अन्दमान द्वीप के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसीपलों का वेतनमान	Pay Scale of Principles of Higher secondary Schcols in Andaman Island	71
2563	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिक शाखाओं का खोला जाना	Opening of more branches of Nationalised Banks in Uttar Pradesh	71
2564	आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा कानपुर में छापा मारा जाना	Raid by Income Tax Department in Kanpur	71—72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2565 कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए समान वेतनमानों तथा सेवा की शर्तों की मांग	Demand for uniform pay scales and service conditions of Teachers in Colleges and Universites	72
2566 शिक्षा के विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया ऋण	Loans to Madhya Pradesh Government of Education	72—73
2567 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का त्यागपत्र	Resignation of Director General, Archaeological Survey of India	73
2568 एयर इण्डिया की एक सहायक कम्पनी की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Subsidary Company of Air India	74
2569 पर्यटकों के आगमन सम्बन्धी लक्ष्य का पुनरीक्षण	Revision in the Target of Tourist Inflow	74—75
2570 विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी	Fall in the Inflow of Foreign Tourists	75
2571 अध्यापन साधन (एड) विभाग द्वारा बम्बई की एक फर्म को दिये गये क्रयादेश	Orders placed by Department of Teaching Aids with a firm in Bombay	75—78
2572 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का मिलाया जाना	Amalgamation of Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate	78
2573 मैसूर को दिये गये ऋण	Loans given to Mysore	78
2574 बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव	Proposal to amend Insurance Act, 1938	79
2575 सिंगापुर में हुआ इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोशिएसन का सम्मेलन	Conference of International Air Transport Association held in Singapore	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
2576	पंजाब में खुदाई कार्य	Excavation work in Puujab	97—80
2577	दिल्ली और कोटा (राजस्थान) के बीच सीधी विमान सेवा	Direct Air Service between Delhi and Kotah (Rajasthan)	80
2578	सेंट्रल स्कूल कोटा, का विस्तार	Expansion of Central School, Kotah	80
2579	इलाहाबाद-लखनऊ और दिल्ली-कलकत्ता के बीच दैनिक विमान सेवा	Daily Air Service between Allahabad Lucknow and Delhi Calcutta	81
2580	नई अन्तर्देशीय विमान सेवायें	New Internal Air Service	81 | 83
2581	केरल राज्य को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Loans from Nationalised Banks Kerala State	83—84
2582	जापानी फर्मों द्वारा भारत में पूंजी-निवेश	Investments by Japanese Firms in India	84
2583	देश में हाथियों के लिए आखेट वर्जित स्थान	Sanctuary for Elephants in the Country	84—85
2584	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर के गुलबर्गा जिले को दिया गया ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks in Gulbarga District, Mysore	85
2585	उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर टूटे सड़क के पुलों की संख्या	Road Bridges Broken on National Highway No. 6 in District Sambalpur orissa	85
2586	अनुसूचित जाति सूची में केरल के चेम्मन समुदाय को सामिल करना	Inclusion of Chemman Community of Kerala in Scheduled Caste List	85—86
2587	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर राज्य को दिया गया ऋण	Loans Advanced to Mysore State by Nationalised Banks	86
2588	दिल्ली और जोधपुर, मार्ग पर नियमित उड़ानो का प्रस्ताव	Proposal to start Regular lights on Delhi Jodhpur Route	86

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2589 विश्वविद्यालयों में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या	Number of Students Enrolled in Universities	87
2590 अमरीकी विश्वविद्यालयों से शिक्षाविद्	Scholars from American Universities	87—88
2591 राजधानी में मुफासिल बस रूटों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना	Scheme to Nationalise Mofussil Routes in the Capital	88
2592 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाचार पत्रों को दिया गया ऋण	Loans Advanced by Nationalised Banks to Newspapers	88—89
2593 भारतीय नौवहन निगम और गैर सरकारी नौवहन कम्पनियों के जहाजों की संख्या	Fleet Strength of Shipping Corporation of India and Private Shipping Companies	89—90
2594 भारत में प्रकाशित पुस्तक टाइटलों की संख्या	Number of Books Titles published in India	90—92
2595 दिल्ली परिवहन उपक्रम को बिक्री कर और सड़क कर की छूट	Exemption of Delhi Transport Undertaking from sales and road taxes	92
2596 दिल्ली परिवहन उपक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए दुमंजिली और एक मंजली बसों की खरीद की योजना	Scheme to purchase double dacker and single dacker buses for stream lining DTU Services	92
2597 मद्रास वाह्य पतन परियोजना का नामकरण	Naming of Madras Outer Harbour Project	92—93
2598 परम्परागत और गैर-परम्परागत क्षेत्रों को दिया गया ऋण	Credit given to traditional and nontraditional sectors	93
2599 पर्यटकों के लिये प्रमुख राष्ट्रीय राजपथों पर मोटल स्थापित करने की योजना	Scheme for setting up of motels for tourists along the principal National Highways	93
2600 समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम	Programme in the field of Social welfare	94

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGE
2601	थवानूर ग्रामीण संस्थान (केरल) को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Thavanur Rural Financial Institute (Kerala)	94
2602	सोने और चांदी का चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling of Gold into India and Silver out of the Country	94—95
2603	जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा बैंको में जमा राशि का अन्यत्र लगाया जाना	Diversion of deposits by LIC and Unit Trust of India with banks	95—96
2604	एयर लाइन्स के अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामान को जांच पड़ताल किया जाना	Checking of Baggages of VIP's and M. P's by Airlines officials	96—97
2605	तमिल नाडु के ताम्बरन और चिंगलपट जिलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया और नगर भत्ता	House Rent and City compensatory Allowance to Central Government employees in Tambaram and Chingelput Districts of Tamilnadu	97
2606	राजस्थान द्वारा देय ऋण	Loan outstanding against Rajasthan	97—98
2607	रतलाम, मन्दसौर और भोपाल स्थित कारखानों द्वारा आयकर तथा उत्पादन शुल्क का भुगतान	Payment of Income-Tax and duty by factories in Ratlam, Mandsour and Bhopal	98
2607	पौस्त के छिलकों की बिक्री	Sale of Poppy Husk	99
2609	मध्य प्रदेश में समाज कल्याण संस्थाओं को अनुदान	Grants to Social welfare Iustitutions in Madhya Pradesh	99
2610	मैसर्स भारत कमर्शियल कम्पनी के नाम आयकर की बकाया राशि	Income-Tax outstanding against M/s Bharat Commercial Company	99—100
2611	अशोका मार्केटिंग कम्पनी की ओर आयकर की बकाया राशि	Income-Tax outstanding against Ashoka Marketing Co.	100—101
2612	अध्ययन हेतु विदेशों को गये विद्यार्थियों की संख्या	Number of students gone abroad for studies	101

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2613	सारम जिले के तरय्या बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक शाखा खोलना	Setting up of a Branch of Nationalised Banks in Tarsayas Bazar, Saran District	101—102
2614	बिहार के चम्पारन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने में असुविधा	Inconvenience in Getting Loans from Nationalised Banks in Champaran District of Bihar	102
2615	बिहार के चम्पारन जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की समूची सुविधाओं में कृषकों का भाग	Shares of Farmers in the total Benefits made available by the Nationalised Banks in Champaran District, Bihar	102
2616	ग्रामों में सांस्कृतिक जीवन की बिगड़ती हुई स्थिति	Deteriorating condition of Cultural Life in villages	102—103
2618	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बहराइच उत्तर प्रदेश में दिये गये ऋण	Loans Advar ced by Naticnalised Bank in District Bahraich, U.P.	103
2619	काला धन बाहर लाने हेतु मुद्रा का विमुद्रीकरण	Demonetisation of Currency to Unearth Black Money	103—104
2620	होस्टलों का निर्माण करने हेतु त्रिपुरा के उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants to Higher Secondary Schools in Tripura for construction of Hostels	10 4
2621	त्रिपुरा की परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु उपाय	Steps to improve Transport Sysrtem of Tripura	104—05
2622	त्रिपुरा में राज्य परिवहन बोर्ड	State Transport Board in Tripura	105
2623	त्रिपुरा में स्कूल का दर्जा बढ़ाने हेतु अनुदान देना	Grant for Upgrading of School in Tripura	105
2624	हरिजनों के लिये मकानों के निर्माण हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को अनुदान	Grants to Andhra Pradesh Government for construction of Houses for Harijans	105—06
2625	तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋण	Loans advanced to small Scale Industries by Nationalised Banks in Tamilnadu	106
2626	उच्च अध्ययन हेतु विदेशों को भेजे गये छात्र	Students sent abroad for Higher Studies	106—08

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2627 केरल विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान	University Grants Commission's grants to kerala University	108
2628 जीवन बीमा निगम की आवास योजना	Housing Loans Scheme of LIC	108—09
2629 आर्थिक कार्य विभाग में अनुदान अधिकारी हिन्दी अनुवादक और हिन्दी सहायक	Section officers, Hindi Translators and Hindi Assistants in the Department of Economic Affairs	109—10
2630 एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा को मान्यता	Recognition to National Diploma in Commerce for admission to M. B. A. Course	110 -11
2631 उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध कार्यक्रम हेतु धन राशि का नियतन	Finance allocation for prohibition Programme in U.P,	111
2632 राजस्थान में पर्यटन आकर्षण स्थलों का विकास	Development of places of Tourist interest in Rajasthan	111
2633 प्रादेशिक राजधानियों को दिल्ली के साथ जोड़ने हेतु हवाई उड़ानें	Air Flights connecting regional Capitals with Delhi	111—12
2634 इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा बम्बई से कोचीन और कोचीन से बम्बई के लिये बुकिंग	Bookings done by Indian Airlines on Bombay Cochin and Cochin Bombay Sectors	112
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	112
गंगा, अलकनन्दा तीस्ता आसाम की नदियों में और भारी बाढ़ आने के समाचार	Reported Heavy floods in the Ganges, Alanknanda, Teesta and the rivers of Assam	112—13
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	113—16
श्री बैजनाथ कुरील	Shri B. N. Kureel	116—17
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117—22
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	122—23

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) विधेयक-राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Delhi Sikh Gurdwaras (Management) Bill As passed by Rajya Sabha	123
सभा का कार्य	Business of the House	123—124
संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त की यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement Re visit of UN High Commissioner for Refugees	124
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	124
समितियों के लिए निर्वाचन	Elections to Committees	124
(एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 के अधीन परिषद	(1) Council under the Institutes of Technology Act, 1961	124—125
(दो) भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद	(2) Council of the Indian Institute of Science, Banglore	125
कृषि पुनर्वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, पुर: स्थापित	Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill **Introduced.**	126—26
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश सम्बन्धी सांविधिक संकल्प (अस्वीकृत) और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक	Statutory Resolution re : Maintenance of Internal Security Ordinance (Negatived) and Maintenance of Internal Security Bill	126
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	126—27
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	127
विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव-स्वीकृत खंड 2 से 18 और 1	Motion to consider the Bill adopted Clauses 2 to 18 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव-संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shti K.C. Pant	132
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	144

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री इन्द्र जीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	145
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	145
श्री के० मनोहरन	Shri K. Manoharan	146
श्री समर गुह	Sbri Samar Guba	146
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao	146
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hamendra Singh Banera	146
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	146—147
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	147
पंजाब बजट, 1971-72	Punjab Budget, 1971—72	147
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	147
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	14J
केन्द्रीय ऋण आयोग के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution re : Federal Debt Commission Negatived	147—54
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	148—50
श्री मुरासौली मारन	Shri Muraso'i Maran	151—54
बंगलादेश को मान्यता दिये जाने में संकल्प	Resolution re Recognition to Bangla Desh	155
श्री समर गुह	SShri amar Guha	155—59
श्री कृष्ण हाल्दर	Shrl Kris hna Haldar	159—61
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	161—62
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	162—63

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 18 जून, 1971/28 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Friday, June 18, 1971 Jyaistha 28, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

''कलकत्ता इन्टरनेशनल एयर-टर्मिनल' भवन पर सुरक्षा प्रबन्ध

* 571. **डा० रानेन सेन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कलकत्ता इन्टरनेशनल एयर-टर्मिनल भवन तथा धावन-पथ' पर जहां दूसरे देशों से आने वाले हवाई जहाज रुकते हैं; पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नहीं हैं और कोई भी व्यक्ति बिना किसी रुकावट के दोनों स्थानों में प्रवेश कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का विचार समुचित सुरक्षा उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी : (क) जी, नहीं । दोनों ही स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि आज भी जबकि यह समूचा क्षेत्र विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ है, कोई भी व्यक्ति आसानी से 'एयर टर्मिनल' भवन में

जा सकता है और जांच करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जैसी दम-दम हवाई अड्डे पर है जहां प्रवेश के लिए एक रुपया शुल्क लिया जाता है।

डा० सरोजिनी महिषी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है। 'इन्टनेशनल एयर टर्मिनल भवन' पर भी जांच करने की व्यवस्था है। परन्तु क्योंकि भवन के थोड़े भाग पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विश्राम कक्ष के निकट निर्माण कार्य हो रहा है जहां प्रवेश निषिद्ध करने के लिए, अस्थायी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं; अतः वहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ श्रमिक तथा अन्य श्रमिक कभी-कभी जाते हैं। परन्तु वे अपने पास और पहचान-पत्र लेकर अन्दर जाते हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच नहीं है कि दमदम हवाई अड्डे के विमान-पथों और पक्की सड़क के दक्षिण पूर्वी भाग में गैर अनुसूचित विमान परिवहन कम्पनियां कार्य कर रही हैं और उन्हें किसी भी व्यक्ति को किसी पास के बिना अन्दर ले जाने की छूट है ?

डा० सरोजिनी महिषी : हवाई अड्डे की पक्की सड़क के निकट किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता है। वायुयान तक अथवा उस स्थान तक जहां से वायुयान को क्षति पहुंचाई जा सकती है, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को जाने से रोकने के लिये सशस्त्र गार्ड तैनात है।

Opening of Branches of Nationalised Banks

*** 572. Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The conditions laid down for opening branches of the nationalised banks; and

(b) The number of branches which should be opened in Bihar in accordance with the condition laid down and the number of branches opened so far ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) : A statement is laid on the table of the house.

Statement

One of the important criteria followed by the Reserve Bank in granting licences to commercial banks for opening new offices at centres already served by a bank office is the norm of allowing one bank office for every 10,000 of population. This criterion is relaxed by the Reserve Bank where the commercial and industrial importance of the place so warrants. In the case of unbanked centres offering potential for branch dovelopment, banks are now-a-days generally permitted to open offices irrespective of the population of the centres. Further, in order to induce the banks to extend their offices to rural and semi-urban areas licence for urban centres are granted by the Reserve Bank in the ratio of one for every 2 offices in rural and semi-urban centres in the case of banks having more than 60% of their offices in rural and semi-urban areas and, for others, in the ratio of one for every three offices in semi-urban and rural centres.

Although the broad population criterion of the Reserve Bank provides the norm

for deciding whether a given centre should have one or more bank branch, the bankability of a centre is judged by taking an overall view of the industrial, commercial and other economic activities of the place and after considering whether there is enough potential of banking business to support a bank branch which can be viable within a reasonable period of time. While it is difficult to specify the precise number of such centres that can be identified in Bihar, surveys are being carried out by the lead banks for this purpose and the expansion of branch network will be taken up in a phased manner.

Between June, 1969 and end-March, 1971 the number of commercial bank branches in Bihar has gone up from 273 to 416 i. e. by 143, the bulk of which has been opened by the banks in the public sector. According to programmes drawn up so far about 130 more new offices are proposed to be opened in Bihar in the course of 1971. This will bring down the population coverage per bank office in the state from about 2,07,000 in June, 1969 to around one lakh by the end of the year 1971.

Shri Ramavatar Shastri : Bihar is backward in every respect and in the matter of banks too. According to the Hon. Minister the ratio in Bihar is going to be one Bank for one lakh people, while in India there is one bank for 52,000 people and in Gujarat there is one bank for 28,000 people. May I know the reasons for this disparity and the steps taken so far by the Government and proposed to be taken in future to remove this disparity ?

श्री यशवन्तराव चौहान : इस असमानता का एक कारण तो यह था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। राष्ट्रीयकरण के पश्चात्. वर्ष 1969 में एक बैंक के लिए जनसंख्या का जो अनुपात 2 लाख से अधिक था वह अब एक लाख हो गया है। वर्ष 1971 में बैंकों की प्रस्तावित नई शाखायें खोलने, जो 130 है, से स्थिति में और सुधार हो जायगा। मैं यही स्पष्टीकरण दे सकता हूं।

Shri Ramavatar Shastri : Bihar is one industrial centre too. In his statement the hon. Minister has mentioned that the branches of the Banks in Bihar have increased to 416 from 273. May I know the number of these branches in industrial centre as well as in rural areas so that the contribution of the Government in the agricultural progress in Bihar may be assessed ?

श्री यशवन्तराव चव्हान : मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जो अतिरिक्त शाखायें खोली गई हैं उनमें से 70 से 80 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। पहले शाखायें कुदरती तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में खोली गई थीं। परन्तु जिन स्थानों पर कोई बैंक नहीं था अथवा जहां कम बैंक थे वहां अधिक शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है।

Shri R. S. Pandey : The criterion adopted for opening new branches of banks in the rural areas is appreciable. May I know whether Government intends to provide mobile bank facilities in small villages ? Is it not possible to start mobile banks for money transactions ?

Shri Y. B. Chavan : Difference should be made between a mobile bank and a mobile Hospital.

चलते-फिरते बैंकों का उद्देश्य यही है कि लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाया जाय इसका मतलब यही होगा जो मैं समझता हूं । चलते-फिरते बैंक का केवल यह मतलब नहीं है कि वह रुपया ले जायें और उसे वितरित कर दें क्योंकि कोई व्यक्ति जो उत्पादन कार्य करता है सामान्यतया उसकी जांच करके ऋण दिया जाता है । अतः हमारा विचार ग्राहकों की पहुंच तक शाखायें खोलने का है । यही मुख्य विचार है ।

Shri R. S. Pandey : Then how will they reach small villages ?

श्री यशवन्तराव-चव्हान : वही तो हम कर रहे हैं । स्वाभाविक ही है कि इसका हमें पता लगाना होगा । दो-तीन मान दंड हैं । सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि बैंक के लिए औसत जनसंख्या 52,000 है अथवा नहीं । वास्तविकता तो यह है कि हमारा विचार यथासम्भव 10,000 लोगों के लिए एक शाखा खोलने का है । दूसरे, यह भी देखना होगा कि उस क्षेत्र में जमा करने की क्षमता हो । यह भी उसमें है । तीसरा मान दंड लोगों की आवश्यकतायें पूरी करना है । वे आवश्यकतायें उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताएं होनी चाहियें । यह सामान्य ढांचा है जिसके अनुसार हमें कार्य करना है । चलते फिरते बैंकों की कोई योजना नहीं है परन्तु हमारा विचार लोगों तक यह सुविधा पहुंचाने का है ।

श्री डी० बसुमतारी : क्या 10 मील के क्षेत्र में एक बैंक खोलने के लिये मानदण्ड निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्र में बैंक कैसे खोले जायेंगे जहां आदिवासी लोग दूर-दूर रहते हैं, क्या आदिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा ? इसके लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के एक परिपत्र में 10 मील का क्षेत्र रखा गया है और इसके पीछे यह आशय था कि बैंक मैनेजर रुपये के लेन-देन की देख-भाल करने में समर्थ होना चाहिये और जब कभी रुपया उधार लिया जाये तो वह इस योग्य होना चाहिये कि यह देख सके कि उधार लिये गये रुपये का प्रयोग इसीलिए किया जाय जिस उद्देश्य के लिए वह लिया गया था । अतः निर्देशन में उन्होंने इस बात का उल्लेख कर दिया था कि दस मील के क्षेत्र में एक बैंक हो परन्तु इसका शाब्दिक मतलब ले लिया गया जिसके परिणामस्वरूप कष्टमय वातावरण और भावना उत्पन्न हो गई है । अतः हमने रिजर्व बैंक को आदेश दे दिया कि इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाय ।

श्री जगन्नाथ राव : ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की शाखायें खोलने का मुख्य उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग को रुपया उधार देना है । आज तक राष्ट्रीकृत बैंकों से निर्धन लोगों, स्व नियोजित लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है । क्या स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण देना सम्बन्धी नियमों में छूट देने के लिये बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कई प्रश्नों के उत्तर में बताया है कि स्व-नियोजित व्यक्तियों के प्रश्न को जांच करने और इसकी तकनीकी जांच करने और प्रणालियों का पता लगाने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की गई है । ठाकुर समिति द्वारा बहुत ही उपयोगी प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया गया है। इस की प्रति संसद ग्रंथालय में रखी गई है। वह इस दस्तावेज को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। वैसे सभी दस्तावेज काम के हैं परन्तु यहां प्रश्न केवल क्रियान्विति का है।

इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में मैंने अभिरक्षकों से चर्चा की थी तथा बैंकों को भी आवश्यक अनुदेश दे दिये गये हैं। ये अनुदेश ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के बारे में गंभीरता पूर्वक लिये गये हैं। यही मुख्य समस्या है। यदि मुझे इस सत्र में समय मिला तो मेरा विचार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्थिति देखने का है कि ये अनुदेश ग्रामीण क्षेत्रों में दे दिये गये हैं अन्यथा नहीं। इस पर आवश्यक विचार किया गया है। मैं माननीय सदस्य के इन विचारों से सहमत हूं। परन्तु हमें इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं। यह काफी बड़ा कार्य है और यह नया काम नौकरशाही रवैये पर निर्भर नहीं करना चाहिये......(**व्यवधान**) हमें इसके लिये वातावरण तैयार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय से संक्षेप में उत्तर देने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री दण्डपाणि : किसी विशेष क्षेत्र में नई शाखायें खोलने के लिये क्या मानदण्ड है? क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने समूचे भारत में 1400 शाखायें खोली थीं जिनमें से 95 प्रतिशत शाखाओं को भारी घाटा हुआ? क्या सरकार घाटे को कम करने के लिये कोई कार्यवाही करेगी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अभी मैं यह नहीं कह सकता कि सभी बैंकों को घाटा हुआ है। परन्तु आरंभ में ऐसा होना स्वाभाविक है। प्रथम चरण में नये क्षेत्रों में नई शाखायें खोलने से कुछ बंधा खर्च होता है और इससे आरम्भ में नई शाखाओं में कुछ घाटा होता है। परन्तु सरकार इस पर विचार करेगी कि कोई भी बैंक घाटे में न चले। यही हमारा उद्देश्य है।

श्री दंडपाणि : नये बैंक खोलने के लिये सरकार का क्या मानदण्ड है?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने पहले वाले प्रश्न का उत्तर सुना होता तो यह आपको स्पष्ट हो जाता।.........

अगला प्रश्न।

गुजरात में निशुल्क माध्यमिक परीक्षा

*573 **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **शिक्षा तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने गुजरात में माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क कर दी थी; और

(ख) क्या गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात् भूतपूर्व सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी गई उपरोक्त मांग (क) में उल्लिखित राहत समाप्त कर दी गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भूतपूर्व बम्बई सरकार और उसके बाद गुजरात सरकार के लगातार संकल्पों के अधीन अगस्त, 1969 तक माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र स्तर तक लड़कियों के लिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त थी और कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए पूरी फीस माफी अथवा आधी फीस अनुमत्य थी। माध्यमिक शिक्षा को सभी लड़कों के लिए मुफ्त घोषित करने के बारे में गुजरात सरकार का कोई आदेश अथवा संकल्प कभी भी जारी नहीं हुआ है किन्तु, मुख्य मन्त्री द्वारा एक नोट दर्ज किया गया था और राष्ट्रपति शासन लागू होने से कुछ समय पहले ही यह घोषणा की गई थी कि जून, 1971 से सभी लड़कों के लिए भी माध्यमिक शिक्षा मुफ्त कर दी जाएगी।

(ख) 28 मई, 1971 को राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद औपचारिक आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मुफ्त करने से संबंधित आदेशों की पुनः पुष्टि की गई हैं और आय अथवा जोत की सीमा पर्याप्त रूप से बढ़ा दी गई है, जिससे लड़के पूरी फीस माफी अथवा आधी फीस माफी के हकदार होते हैं। इस प्रकार रियायत पहले की अपेक्षा बहुत अधिक छात्रों को प्राप्त होगी।

श्री पी० एम० मेहता : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ?

श्री डी० पी० यादव : निर्णय वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता। वस्तुतः मुख्य मन्त्री ने माध्यमिक शिक्षा निशुल्क दिए जाने के सम्बन्ध में केवल प्रैस वक्तव्य दिया था किन्तु ऐसा वक्तव्य देने से पूर्व उन्हें इसके लिए साधन जुटा लेने चाहिए।

श्री पी० एम० मेहता : काफी सोच विचार के उपरान्त ही माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क देने का निर्णय किया गया, और इसकी घोषणा मुख्य मन्त्री ने की।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए.

श्री के० एस० चावड़ा : नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए। प्रत्येक सदस्य इस प्रकार प्रश्न पूछता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तेजित न होइये।

श्री पी० एम० मेहता : राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद यह घोषणा की गई थी कि "इसे रद्द नहीं अपितु स्थगित किया गया है" मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल के इस वक्तव्य के सम्बन्ध में सच्चाई क्या है।

श्री डी० पी० यादव : राष्ट्रपति का शासन 13 मई को लागू किया गया और 12 मई को मुख्य मन्त्री ने एक प्रैस वक्तव्य दिया कि लड़के तथा लड़कियों के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। वस्तुतः 11 मई को मंत्रिमण्डल ने स्वयं राज्यपाल को सभा भंग करने का सुझाव दिया था। अतः मंत्रिमण्डल द्वारा राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सलाह दिए जाने के बाद यह प्रैस वक्तव्य अथवा आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : वास्तविक स्थिति क्या है ? निर्णय स्थगित किया गया है अथवा रद्द कर दिया गया है ?

श्री पी० एम० मेहता : गुजरात के छात्र वर्ग में काफी असंतोष फैला हुआ है और उन्होंने मांग की है कि वहां पर भी माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन छात्रों की शिकायतों को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री डी० पी० यादव : शिक्षा की उन्नति हेतु सरकार छात्रों को हर-संभव सहायता प्रदान करेगी किन्तु जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है जब तक हम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क नहीं करते तब तक हम माध्यमिक शिक्षा के लिये क्या कर सकते हैं और गुजरात तो प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में काफी पिछड़ा हुआ है।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन छात्रों को, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय सभी जरियों को मिलाकर काफी कम है तथा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं, शिक्षा निःशुल्क दी जाती है और यदि हाँ तो क्या उन्हें आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है और अतः वे चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाए ?

श्री नवलकिशोर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि .....

श्री के० एस० चावड़ा : उन्होंने अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री नवलकिशोर सिंह : आपका प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं इसका सम्बन्ध पूरे गुजरात से है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से।

श्री के० एस० चावड़ा : मेरा प्रश्न असंगत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या छात्रों के माता पिताओं ने मांग की थी कि माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क की जाए क्योंकि उन्हें आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया इस पर बहस न करें। प्रश्न यह था कि क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी है। मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं। माननीय सदस्य अब और क्या जानना चाहते हैं।

श्री पोपट लाल जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि राज्यपाल द्वारा निःशुल्क शिक्षा को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

श्री डी० पी० यादव : प्रैस विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व मुख्य मन्त्री को साधनों पर विचार कर लेना चाहिए था .....

कुछ माननीय सदस्य : कौन से साधन ?

श्री डी० पी० यादव : उन्हें पहले मंत्रिमण्डल से इस सम्बन्ध में सलाह लेनी चाहिए थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और आदेश जारी कर दिया।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. speaker Sir, should we con lude from the reply of the hon Minister that the Government is against providing free secondary education in principle and if so, will the central Government advise the Jammu and Kashmir Government that provides free education upto M A. standard, to withdraw the freeship concession ?

Shri D. P. Yadav : Let us first decide about the primary education. The question of secondary education will be taken up after that.

श्री आर० पी० यादव : मैं जानना चाहता हूं कि जो आदेश जारी किया गया था क्या वह गुजरात सरकार के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुकूल था और क्या भूतपूर्व मंत्री द्वारा किया गया निर्णय राज्य मंत्री मण्डल द्वारा अथवा राज्य मंत्रीमण्डल की सलाह से किया गया था ?

श्री० डी० पी० यादव : जी नहीं

स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा पश्चिम बंगाल के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को ऋण दिया जाना

*574. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों को ऋण देने के बारे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी है ?

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया निम्नलिखित श्रेणी के लोगों की मांगों को पूरा कर सका है ;

(ग) क्या वर्ष 1970–71 से ऋणों पर आवेदन-पत्र निर्णय के लिये विचाराधीन हैं ; और

(घ) प्रत्येक आवेदन पत्र पर अन्तिम निर्णय लेने में स्टेड बैंक का कितना समय ले लेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां; स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने कृषि के वित्त प्रबन्ध करने के लिए विशिष्ट योजनायें बनायी हैं और सघन कार्यक्रम के लिए गांवों को अपनाया है । छोटे व्यापारियों को कार्यचालन पूंजी के लिए ऋण देने और उपकरणों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए योजनायें तैयार की गई हैं ।

(ख) जी, नहीं; कृषि सम्बन्धी ऋण की आवश्यकतायें विशेषरूप से बहुत बड़ी हैं और यह आशा नहीं की जा सकती कि अकेला स्टेट बैंक आफ इण्डिया, या स्वयं वाणिज्यिक बैंक भी इन मांगों को पूर्णतः पूरा कर सकेंगे ।

(ग) और (घ) : स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने सूचना दी है कि पश्चिम बंगाल में, विभिन्न शाखाओं में किसानों और छोटे व्यापारियों से ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र बड़ी संख्या में विचाराधीन नहीं पड़े हैं । प्रायः बैंक ऋण का आवेदक सहकारी समिति में भी ऋण के लिए

आवेदन पत्र दे देता है या सहकारी समिति या राज्य सरकार से पहले ही ऋण ले चुका होता है। इस सम्बन्ध में जांच और परस्पर-जांच के कारण कभी-कभी ऋण सम्बन्धी आवेदनपत्रों को अन्तिम रूप से निपटाने में देर हो जाती है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार को यह पता है कि ऐसे छोटे किसान और व्यापारी जो ऋणों के लिए जमानत देने की सामर्थ्य नहीं रखते उन्हें इस प्रकार के ऋणों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि शुरू-शुरू में छोटे आदमी को परेशानी हुई और उसके लिए हमें नया हल ढूंढना पड़ा। इस कठिनाई को हल करने के लिए एक नया गारंटी नियम स्थापित किया गया है और इसने पहली अप्रैल से अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। आज के तारांकित प्रश्नों में से एक प्रश्न के उत्तर में—मुझे प्रश्न का सही नम्बर याद नहीं है; पता नहीं वह प्रश्नोत्तर काल में पूछा भी जा सकेगा या नहीं - इस निगम के कार्यकरण का ब्यौरा मैंने एक विवरण-पत्र में दिया है, जिसमें प्रतिबन्धों का भी उल्लेख किया गया है, व्यापारी को किस सीमा तक गांरटी दी जा सकती है, छोटे व्यापारियों और किसानों को किस प्रकार सहायता की जा सकती है, स्वयं नियोजित व्यक्ति अथवा छोटे व्यापारी की किस प्रकार मदद की जा सकती है। ब्यौरे के बारे में माननीय सदस्य वह विवरण देख सकते हैं, इसलिए मुझे सदस्य का समय इस वक्त नष्ट करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु यह मामला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने पहले ही योजनायें तैयार कर रखी हैं, जिनके अनुसार ऋण दिये जा रहे हैं। इस प्रकार के ऋण देने वाली अन्य बैंकों की तुलना में स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कार्य-संचालन से क्या वह संतुष्ट हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने स्वयं स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष को यह बात बता दी है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, स्टेट बैंक का कार्यकरण पश्चिम बंगाल की अपेक्षा अन्य राज्यों में बेहतर है। वस्तुतः स्टेट बैंक पश्चिम बंगाल के किसी भी जिले में "लीड" बैंक नहीं है; यूनाइटेड कार्मशियल और बैंक आफ इण्डिया जैसे कुछ अन्य बैंक भी वहां हैं, जिनकी पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में शाखायें हैं। स्टेट बैंक आफ इण्डिया की इस मामले में अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए, हमने यह बात स्टेट बैंक को बता दी है और इस मामले में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के बारे में इसे बेहतर कार्य करना होगा।

श्री के० सूर्यनारायण : मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि कृषकों को ऋण देने के लिए स्टेट बैंक ने कुछ योजनायें बनाई हैं। इस बारे में क्या नीतियां बनाई गई हैं ? क्या छोटी राशि चाहने वाले छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जायगी अथवा दो लाख या तीन लाख रूपये की राशि चाहने वाले बड़े किसानों को प्राथमिकता दी जायगी ; अधिकांशतः हम यह देखते हैं कि बड़े किसान अपने स्थानीय प्रभाव का लाभ उठाकर दो अथवा तीन लाख रुपये की राशि के ऋण प्राप्त कर लेते हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, वैसा प्रारम्भ में हुआ। जब उनसे कृषकों की ओर ध्यान देने को कहा गया तो उनकी पुरानी बैंकिंग प्रवृत्तियों ने उन्हें अधिक सुरक्षित अर्थात् धनी कृषकों की ओर उन्मुख किया। परन्तु हमने जान बूझकर परिवर्तन करने की कोशिश की और गांरटी निगम की स्थापना की गई है ताकि वे भी छोटे किसानों तक आसानी से पहुंच सकें। इसके कार्यकरण को देखने के लिए हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। जैसा कि मैंने कहा मैं इससे स्वयं कुछ अधिक संतुष्ट नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन नई योजनाओं में से अधिकांश योजनाओं के ब्यौरों के बारे में इस समय के सदस्यों को भी पता नहीं है इसलिए मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि देश की वर्तमान स्थितियों और अतीत में की बैंकिग परम्पराओं और बैंकिग प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए क्या तरीके अपनाये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण व्यक्तियों, छोटे किसानों, व्यापारियों आदि में इन योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार हो सके और ये लोग बैंकों तक जाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। वस्तुत:, मैंने स्वयं यह सुझाव दिया था कि इन योजनाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाय जिससे कि लोगों को इनकी जानकारी हो सके। मेरी पहली कोशिश तो यही होगी कि ये योजनायें कम से कम क्षेत्रीय अधिकारियों तक तो पहुंच ही सकें। मैं इनकी जांच करुंगा। यह निश्चित रूप से एक अच्छा सुझाव है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि बैंकों से ऋण लेने के इच्छुक विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों से ब्याज की भिन्न-भिन्न दरें वसूल करने सम्बन्धी वित्त मन्त्री के बहु-प्रचारित प्रस्ताव की अब क्या स्थिति है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि इसका बहुत अधिक प्रचार किया गया था, परन्तु मैंने निश्चित रूप से इसका एक से अधिक बार उल्लेख किया था। रिजर्व बैंक में एक अध्ययन-दल नियुक्त किया गया था। और अभी हाल में उसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मेरा विचार रिपोर्ट को प्रकाशित करने का है, जिससे कि जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, वे भी अपने विचारों को प्रकट कर सकें। इस रिपोर्ट के बारे में मतभेद हैं। हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हमें मामले की जांच करनी है।

श्री डी० के० पंडा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भूमिहीन साझेदार कृषकों को फसल सुरक्षा के आधार पर ऋण देने के लिए कोई निश्चित आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं जानता कि इस बारे में कोई निश्चित आदेश जारी किये गये हैं। मैं इस बारे में पता करुंगा।

श्री के० बासप्पा : क्या स्टेट बैंक के लिए राज्य और जिला स्तर पर सलाहकार समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जोनों के लिए स्थानीय समितियां और सलाहकार समितियां हैं, परन्तु प्रत्येक राज्य के लिये नहीं।

श्री सोमचन्द सोलंकी : राष्ट्रीयकरण से पूर्व प्रत्येक ऋण-प्राप्तकर्त्ता द्वारा जमानत दी जाती थी······**(व्यवधान)**। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज, राष्ट्रीयकरण के पश्चात्, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि ऋण प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा बैंक के प्रबन्धकों को 200 रु० देना पड़ता है, तब उन्हें ऋण प्राप्त होता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त करने का क्या तरीका है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे नहीं पता कि आसान तरीका कहने से उनका क्या मतलब है। भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये हैं। परन्तु यह कहना कठिन होगा कि प्रत्येक कृषकों को 200 रु० अथवा लगभग उतनी रकम देनी पड़ती है। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि पहले प्रक्रिया बहुत जटिल थी। अब प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। सामान्यतः वे तीसरे पक्ष से गांरटी दिये जाने का आग्रह करेंगे, क्योंकि ऋण मंजूर करने वाला व्यक्ति उदारता की भावना महसूस कर रहा था। मामले को सुविधाजनक बनाने के लिए गांरटी निगम की स्थापना की गई है और हम इसके कार्यकरण को देखेंगे; संभवतः इससे कार्य और अधिक सरल हो जायगा।

†त्रिवेन्द्रम को बोइंग विमानों की उड़ानें

*575. **श्री सी० के चन्द्रप्पन** : **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से, त्रिवेन्द्रम तक बोइंग विमान सेवा आरम्भ करने के लिए अनुरोध किया था;

(ख) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अडडे का धावन-पथ जैट विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त है; और

(ग) केरल सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) धावनपथ बोइंग 737 जैट विमानों के लिए पर्याप्त है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स का अक्तूबर 1971 से त्रिवेन्द्रम के लिए एक बोइंग विमान सेवा चालू करने का प्रस्ताव है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि त्रिवेन्द्रम के लिए बोइंग विमान सेवा चालू करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था । उन्होंने यह भी कहा कि विमान धावन-पथ अच्छी स्थिति में था । सरकार ने बोइंग विमान-सेवा पहले क्यों चालू नहीं की और इसमें विलम्ब क्यों हुआ ? वे इसे यथाशीघ्र ही चालू क्यों नहीं करते ?

डा० सरोजिनी महिषी : कतिपय तकनीकी कठिनाइयों के कारण बोइंग सेवा का पहले त्रिवेन्द्रम तक विस्तार नहीं किया जा सका । इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कुछ महीने पहले परीक्षण उड़ानें की जा रही थीं । विमानों के उतरने के लिए जिस उपकरण प्रणाली का हम प्रयोग करते हैं, वह त्रिवेन्द्रम के हवाई अड्डे पर नहीं है । इस वर्ष अत्यधिक आवृत्ति को ओम्नीरेन्ज स्थापित कर दिया जायेगा और सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं जानना चाहता हूं कि उस हवाई अड्डे में सभी आवश्यक आधुनिक सुविधायें उपलब्ध करने के लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

डा० सरोजिनी महिषी : जी, हां, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर आवश्यक सुविधायें यथा-संभव शीघ्र उपलब्ध की जायेंगी ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : बम्बई से कोचीन तक चार उड़ानें हुआ करती थीं अब सिर्फ एक उड़ान होती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बंगलौर से कोचीन तक विमान सेवायें प्राप्त करने में संसद सदस्यों तक को परेशानी होती है, क्या सरकार बोइंग 737 की नई उड़ानें शीघ्र प्रारम्भ करेगी ?

डा० सरोजिनी महिषी : बम्बई और कोचीन के बीच यात्रा करने वाले संसद सदस्यों को हुई असुविधा के लिए हमें अत्यधिक खेद है । बम्बई और कोचीन के बीच सेवायें गोआ होकर हैं और एक सेवा बरास्ता बेलगाव, बंगलौर, कोचीन है । बम्बई, गोआ और कोचीन, बम्बई-बंगलौर-कोचीन और बम्बई-बेलगाम, मंगलौर-कोचीन — ये सभी सेवायें 15 अक्तूबर से प्रारम्भ हो जायेंगी और बोइंग सेवायें गोआ तक होंगी । बंगलौर और उससे आगे की सेवा एच० एस० 748 विमान से होंगी ।

Shri Phool Chand Verma : I want to know whether the policy of central Government for construction of umaways for jet planes applies to all the states at pars ? If so, whether the same policy would also be applied for Indore, Raipur of Madhya Pradesh ?

Dr. Sarojini Mahishi : The policy of the central Government is one and the same for all the states. There were certain difficulties in regard to the Indore airport, but now flights for Indore would start by October.

† दिल्ली परिवहन के कार्यकरण में सुधार हेतु उपाय

* 577. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या नोवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या उपाय किये गए हैं, और

(ख) क्या और अधिक संख्या में बसें चलाये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : दिल्ली परिवहन उपक्रम ने राजधानी में उनके द्वारा चलाई गई बस सेवाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं ।

(1) यात्रियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपक्रम ने अपने बेडे में वृद्धि करने के लिये पुरानी बसों (८ वर्ष से अधिक पुरानी) को बदलने और अतिरिक्त बसों को खरीदने के लिए एक चरणवार कार्यक्रम बनाया है · 1969–70 और 1970–71 के दौरान 309 एक और दो मंजली बसों के खरीदने के लिए आदेश दिये । इसके विपरीत 196 बसें प्राप्त हो गई हैं और सड़क पर चला दी गई हैं । इन बसों में प्रति यात्रा प्रति व्यक्ति 5 पसे के अतिरिक्त भुगतान पर एक्सप्रेस सेवाओं के रूप में चलाई जा रही है । नई बसों में यात्रियों को ले जाने की क्षमता है अनुबन्धित सपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार आगामी तीन महीनों के दौरान शेष 109 बसों के मिलने की भी संभावना है ।

सरकार ने बसों को खरीदने के लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम को 1969–70 के दौरान 130 लाख रुपये और 1970–71 के दौरान 178 लाख रुपये का ऋण दिया । बसों को खरीदने के लिए चालू वित्त वर्ष में ऋण देने का भी प्रस्ताव है जो तब दिया जायेगा जब जब चेसिज विक्रेताओं और बोडी बनाने वाली फर्म को अदायगी देय होगी ।

(2) एक रेडियो संचार पद्धति और सुचारू टेलीफोन जाल स्थापित किया गया है, क्षेत्रीय अधिकारी तैनात किये गए हैं और सभी मुख्य बिन्दुओं पर समय विनियम दृष्टि रखी जाती है ।

(3) स्थान पर ही छोटी मोटी त्रुटियां जो मार्ग में उत्पन्न हो जाती हैं को सुधारने के लिए उपक्रम के परिचालन क्षेत्र के जाल में अनुरक्षण बिन्दु स्थापित किए गये हैं ।

(4) दिपुओं का क्षेत्रीय नियन्त्रण तथा परिचालन चालू कर दिया है ताकि डिपो प्रशासन के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारी परिचालन मामलों में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकें ।

(5) नाकारा गाड़ियाँ, चुने हुए भागों पर ट्रेलर—बसों के रूप में चलाने के लिए उनकी बाड़ियों का नवीनीकरण करके, ट्रेलरों में बदल दी जाती है ।

(6) पुरानी बस, स्कूल बस तथा विशेष भाड़ा उद्देश्यों के प्रयोग के लिए सामान्य परिचालनों से हटाई जा रही हैं ।

(7) बिना टिकट यात्रियों की गहन जांच करना आरम्भ कर दिया है।

(8) वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में सेवाई तथा अनुरक्षण कार्य रात को किया जा रहा है।

(9) अपनी बसों की कमी की पूर्ति के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम परिचालन के अधीन प्राइवेट बसें ली गई हैं।

(10) अधिक से अधिक संख्या में बसों को सड़क पर लाने के लिए उपक्रम द्वारा स्टार तथा कर्मशालाओं की सुव्यवस्था की जा रही है।

श्री ओम मेहता : श्रीमन् विवरण में छोटी सी टाइप की गलती है। उसमें यह कहा गया है कि 1969–70 और 1970–71 के दौरान 309 एक और दो मंजिली बसों की खरीद के लिए आदेश दिये गये।" यह 305 होनी चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली परिवहन द्वारा पर्याप्त कदम उठाये गये हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बसों में ड्राइवरों और कन्डेक्टरों दोनों का ही व्यवहार भयावह होता है और कभी कभी यात्रियों को बसों से बाहर फेंक दिया जाता है? छात्रों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सम्बद्ध कर्मचारियों को इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि बसों में जगह न होने पर भी कम से कम उन्हें यात्रियों के प्रति विनम्र तो होना ही चाहिए।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जिन यात्रियों के पास टिकट होता है, उन्हें भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है; बसों में चढ़ जाने के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है और उनमें से कुछ पर तो मजिस्ट्रेट द्वारा 25 रु०, 35 रु० और 45 रु० तक जुर्माना किया गया। यदि हां तो इस प्रकार के कार्य न करने के लिए दिल्ली परिवहन के अधिकारियों को आदेश देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि दिल्ली परिवहन दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत काम करता है। मुझे विश्वास है कि दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों और प्रबन्धकों का पर्यवेक्षण करता है वे समुचित सावधानी बरतते हैं और मुझे विश्वास है कि वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि कण्डक्टर और अन्य कर्मचारी जनता के साथ, जो कि उनकी मालिक है—समुचित शिष्टाचार, सौजन्य और विनम्रता के साथ व्यवहार करें। मुझे इस बारे में कोई भी सन्देह नहीं है।

मजिस्ट्रेटों आदि के सम्बन्ध में अन्य प्रश्न के बारे में मैं नहीं समझ पाया कि उनका क्या मतलब है।

श्री एस० एम० बनर्जी : आज ही एक विद्यार्थी पर 25 रु० का जुर्माना किया गया है। मेरे विचार में मंत्री महोदय समाचार-पत्र पढ़ते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अपना अगला प्रश्न पूछें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार दिल्ली परिवहन उपक्रम को स्वायत्शासी सरकारी निगम में परिवर्तित करने का निर्णय लेगी, यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है और क्या दिल्ली प्रशासन इसका विरोध कर रहा है और, यदि हां, तो इस विरोध पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राजबहादुर : दिल्ली परिवहन उपक्रम को निगम में परिवर्तित करने की मांग बढ़ती जा रही है लेकिन इसके कई पहलू हैं । हमें दिल्ली नगर निगम को अपने साथ लेना है क्योंकि ऐसा करने से परिवहन उपक्रम का प्रबन्ध दिल्ली नगर निगम के हाथ से निकल जायेगा । और सम्बन्धित दल इसे पसन्द नहीं करेंगे । इस सम्बन्ध में हम अधिक से अधिक मतक्य चाहते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने इसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ।

श्री राजबहादुर : हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने दिल्ली परिवहन उपक्रम की आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिये एक समिति का गठन किया, था और. यदि. हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं और इन पर सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री राजबहादुर : समिति का गठन किया गया था जिसने परामर्श दिया कि किराये में वृद्धि की जाये, मेरे साथी सिफारिशें पढ़ सकते हैं ।

श्री ओम मेहता : सिफारिशों में कहा गया है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम का संगठनात्मक ढांचा संतोषजनक नहीं है और वर्तमान प्रबन्ध के स्थान पर संविधिक निगम होना चाहिए, निगम के निर्देशक बोर्ड के लिये चयन, वेतन, और अनुभव को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए बोर्ड को समय-समय पर सुधारात्मक सिफारिशों पर विचार करते रहना चाहिए, मुख्य कार्यकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च स्तर पर प्रबन्ध के लिए जिम्मेवार हो और निर्देशक बोर्ड में अनेक निर्देशक होने चाहियें । मुख्य कार्यकारी तथा अन्य प्रबन्ध कर्मचारियों को बहुत शक्तियां सौंपी जानी चाहिए ताकि अधिकाधिक कार्य सुनिश्चित हो सके । पिछले 12 वर्षों में दिल्ली परिवहन उपक्रम के 5 जनरल मैनेजर बदले गये यद्यपि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार कार्यावधि 5 वर्ष है । शिखरीय प्रबन्ध में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री राज बहादुर : सिफारिश की गयी है कि किराया बढ़ाया जाये लेकिन निगम को निर्वाचित सदस्य को यह स्वीकार नहीं ।

Shri B. S. Bhaura : The Hon-Minister has stated in the statement that "Private buses under DTU operation have been engaged to meet the shortage of its own buses".

It may be that the DTU do not engage the private buses to give benefit to the private operators. Then why do the DTU not purchase its buses so that it could benefit from the same.

Shri Raj Bahadur : Does the hon. Member mean that they should be granted permits straightway instead of plying under DTU, then I may tell that......

श्री एस० एम० बनर्जी : प्राईवेट बसें क्यों चलायी गयी हैं ?

श्री राजबहादुर : बसों की कमी है और यात्रियों की माँग पूरी करने के लिये हम प्राईवेट बसों द्वारा अपने बेडे को बढ़ाना चाहते हैं। मैं निगम की ओर से बात कर रहा हूं ।

आदिमजातियों के लोगों की कला और संस्कृति का संरक्षण

* 578. **श्री समर गुह** : क्या **संस्कृति** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे देश में आदिमजाति समुदाओं के परिक्षण की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्यों में स्थापित किये गये आदिवासी अनुसंधान संस्थान, आदिवासी लोगों की संस्कृति और कला से संबन्धित विषयों का अध्ययन करते हैं और उनके संरक्षण और विकास के लिए उपायों का सुझाव देते हैं। प्रारम्भ से ही संगीत नाटक अकादमी आदिवासी समुदाओं की प्रदर्शन कलाओं अर्थात संगीत नृत्य और नाटक के प्रलेखीकरण का प्रस्ताव कर रही है। चौथी पंच वर्षीय योजना की एक योजना के अन्तर्गत अकादमी देश के विभिन्न क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों के संगीत को रेकार्डिंग कर रही है और उनके नृत्यों की फिल्में तथा फोटो तैयार कर रही है। एकादमी ने आदिबासी समुदायों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वादृयों मुखौटों आदि को भी एकत्र किया है। गणतन्त्र दिवस समारोहों के दौरान आदिवासी कला विशेषकर आदिवासी नृत्यों को विशिष्ठता दी जाती है।

श्री समर गुह : क्या सरकार ने रोमन अथवा अन्य लिपि द्वारा आदिवासी बोली को परिरक्षित करने के लि कोई कदम उठाये हैं और क्या आदिवासी संस्कृति सम्बन्धी कोई साहित्य तैयार किया है ?

श्री डी० पी० यादव : जहां तक बोली का सम्बन्ध है, हमने आदिवासी लोगों की कला तथा संस्कृति का अध्ययन करने के लिये तथा परिरक्षण और विकास हेतु सुझाव देने के लिये आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश और केरल के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी अनुसंधान संस्थाएं खोल रखी हैं। वे विशेषज्ञ हैं और माननीय सदस्य के सुझाव का ध्यान रखा जायेगा यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री समर गुह : प्रति वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह के अवसर पर आदिवासी लोगों को नृत्य तथा लोक संगीत पेश करने के लिये कहना अच्छी बात है। क्या सरकार ने आदिवासी लोगों का ऐसा ग्रुप बनाया है जो देश भर में नृत्य, नाटक तथा लोकनृत्य का आयोजन करे और विभिन्न आदिवासी समुदायों का परस्पर मिलन हो।

श्री डी० पी० यादव : यह एक अच्छा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय : आपके हर सुझाव को आज स्वीकार किया जा रहा है।

श्री कार्तिक उरांव : आदिवासी कला तथा संस्कृति में धर्म का बड़ा महत्व होता है।

अध्यक्ष महोदय : कृप्या प्रश्न पर आयें।

श्री कार्तिक उरांव : जब तक हम आदिवासी धर्म को रक्षित नहीं करते उस समय तक हम आदिवासी कला तथा साहित्य की रक्षा भी नहीं कर सकते ब्रिटिश सरकार ने 1911 की जनगणना रिपोर्ट में आदिवासी धर्म को 'जातिवाद' कहकर इसकी ऐसी परिभाषा की है जिसके अनुसार इससे भारत के सारे धर्म निकले हैं। 1931 की जनगणना रिपोर्ट में 'जातिवाद' के स्थान पर आदिवासी धर्म का शब्द आया है, 11 मई 1949 को सरदार बल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा ने आदिवासी धर्म को सुरक्षित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आयें।

श्री कार्तिक उरांव : क्या यह सच है कि जिन लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी संस्कृति, परम्परा तथा धर्म को नष्ट किया गया था उन्हें अच्छे लड़के और लड़कियां समझा गया दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय सरकार में भी जो लोग आदिवासी संस्कृति, परम्परा तथा धर्म को नष्ट कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छा समझा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक ये प्रश्न नहीं पूछते, मैं इन्हें अपनी सीट पर बैठने के लिये कहूंगा।

श्री कार्तिक उरांव : क्या सरकार इस बात को स्मरण रखेगी कि इतिहास में इस सरकार द्वारा आदिवासियों से किये गये व्यवहार के प्रति विरोध का उल्लेख आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस भाषण को स्वीकृति नहीं दूंगा। वास्तव में यह प्रश्न नहीं। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

श्री कार्तिक उरांव : सरकार के पास कोई उत्तर नहीं।

Shri R. V. Bade : The hon. Minister has stated that the rest of the states have set up committees on art and culture. May I know whether the expenditure on research work in Madhya Pradesh is being borne by the state Government or the centre ?

श्री डी० पी० यादव : जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, हम ऐसे राज्यों को बराबर का भाग देंगे ।

श्री आर० वी० बड़े : मंत्री महोदय ने ऐसा उत्तर दिया है जिसका एक भी शब्द हमारी समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका प्रश्न सारे देश से सम्बन्धित है तो मैं आपके लिये कुछ कर सकता हूं । अगर आप मध्य प्रदेश के बारे कुछ पूछना चाहें तो आपको नई तरह से सूचना देनी होगी ।

श्री आर० बी० बड़े : "क्या केन्द्रीय सरकार हमारे देश में आदिवासी समुदायों की कला तथा संस्कृति की समस्याओं की जांच करने के लिये एक समिति स्थापित करेगी,"

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सारे भारत के बारे प्रश्न पूछें तो आपको उत्तर मिलेगा ।

श्री आर० वी० बड़े : मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य ने मध्य प्रदेक्ष की गौंड जाति की कला तथा संस्कृति के परिरक्षण के लिये कुछ किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रथम प्रश्न की सूचना दें । यह प्रश्न सारे देश से सम्बन्धित है ।

शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए पी० एल० 480 निधि

*582. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत में शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये पी० एल० 480 निधि की कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) क्या यह धन राशि सरकारी अभिकरणों के माध्यम से दी जाती थी अथवा समय-समय पर गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा भी दी जाती थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जहां तक शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का सम्बन्ध है रुपये 24·56 करोड़ है ।

(ख) पी० एल०-480 निधियों के उपयोग से सम्बन्धित करारनामें के अनुसार निधियां सरकार तथा प्राइवेट अभिकरणों दोनों ही के जरिये दी जाती है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : किन गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा राशि दी जाती है और इसमें आधार क्या हैं ? क्या मन्त्री महोदय सदन को बता सकेंगे ?

श्री डी० पी० यादव : जिन विभिन्न उपायों द्वारा पी० एल० 480 निधि का आयोग भारत में शिक्षा कार्यों के लिये किया जाता है वे काल्पनिक शीर्षकों के अधीन दिखाये जाते हैं और जिसका समायोजन बजट में किया जाता है । इस काम को वित्त कार्य विभाग करता है जिसके

अनुसार पिछले तीन वर्ष में आई० आई० टी० कानपुर, उच्च तकनीकी शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षा के लिये इस प्रकार 21·33 करोड़ रु० की राशि व्यय हुई।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न स्पष्ट था। किन गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा राशि दी जाती है और अब तक कितनी राशि दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत सरल है। वह प्रश्न के उस भाग के बारे में पूछ रहे हैं जो राशि का गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा दिये जाने से सम्बन्धित है।

श्री डी० पी० यादव : हमारे पास अनुसंधान संस्थाएं हैं और हम पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। विशेष नामों के लिये मुझे समय चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सरकार उन गैर सरकारी ऐजेन्सियों के नाम भी नहीं बताती जिनके द्वारा पी० एल० 480 निधि का व्यय किया जाता है। अत. मेरा दूसरा प्रश्न यह है:— किन-किन मापदंडों द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरणों को यह राशि दी जाती है।

श्री डी० पी० यादव : हम पी० एल० 480 निधि का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आई० आई० टी० तथा पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा कर रहे हैं। लगभग सारी समितियों से हमारे सरकारी कर्मचारी सम्बद्ध हैं। ये स्वायत् संस्थाएँ हैं······(**व्यवधान**) मेरे विचार में माननीय सदस्य को पी० एल० 480 निधि के बारे परेशान नहीं होना चाहिये। लगभग सारी समितियों में सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पी० एल० 480 निधि का उपयोग अमरीकी साहित्य अमरीकी गतिविधियों जैसे कार्यों पर किया जा रहा है जिनका विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि आई० आई० टी० कानपुर द्वारा राशि के दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपों की जांच की जा रही है।

श्री डी० पी० यादव : हमारे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं।

Shri Phool Chand Varma : The hon. Minister in really to the question has stated that the PL 480 funds are spent on education through private agencies. What are the difficulties in giving the names of the private agencies ? He may kindly mention the names.

Shri D. P. Yadav : I require notice for it.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी आपत्ति नहीं की। मन्त्री महोदय यह सूचना दे सकते थे। प्रश्न के (ख) भाग में कहा गया है :—

"क्या यह धनराशि सरकारी अभिकरणों के माध्यक्ष से दी जाती थी अथवा समय समय पर गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा भी दी जाती थी।"

इन्होंने वास्तविक सूचना दी। नाम के लिये मन्त्री महोदय को तैयार होकर आना चाहिए था।

Shri Phool Chand Varma : The Hon. Minister stated that it is channalised through the private agencies, which means that he knows about these private agencies. Then what is the objection in giving these names.

अध्यक्ष महोदय : लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं प्रश्न काल समाप्त होता है । प्रगति बहुत धीमी है । मुझे भविष्य में कुछ अधिक सख्त होना पड़ेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आगरा में ऐतिहासिक स्थानों के विकास की योजना

* 576. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा में ऐतिहासिक स्थानों का विकास करने के लिए कोई विशिष्ठ योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख), आगरा में स्मारकों का अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है । पर्यटन विभाग ने बिजली घर के चौहराहे से मोतीलाल नेहरू पार्क तक की सड़क की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया है । इसका ताज के आस-पास के क्षेत्र में प्राकृतिक दृश्य योजना (लैंडस्केप) की व्यवस्था करने तथा आगरा में एक पर्यटन स्वागत केन्द्र का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है ।

अन्तर्राज्यीय यातायात के बेरोकटोक आवागमन के लिये पड़ताल चौकियों की संख्या को कम करना

* 579 **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अन्तर्राज्यीय यातायात के बेरोकटोक आवागमन के लिये परिवहन विकास परिषद के वर्तमान पड़ताल चौकियों की संख्या कम करने के सुझाव को स्वीकार कर लिया है,

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसको व्यवहार्य नहीं माना है, और

(ग) उन्होंने इसके क्या कारण बताये हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) के (ग). हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तामिल नाडू, उत्तर प्रदेश, पांडीचेरी, त्रिपुरा तथा गोवा, दमन और दीव की सरकारें पड़ताल चौकियों की संख्या में कमी करने में सिद्धान्त रूप से सहमत हो गयी हैं तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं। परन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार ने विभिन्न विभागों, जिन के एक ही प्राधिकरण के अधीन पड़ताल के विभिन्न उद्देश्य तथा तकनीकी मामले होते हैं से सम्बन्धित स्टाफ को तैनात करने में कठिनाइयों का उल्लेख किया है। परन्तु वे सिफारिशों को क्रियान्वित करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। बिहार, गुजरात, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल सरकारों का यह विचार है कि पड़ताल चौकियों को समाप्त करने। संमकित करने का प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं है। परन्तु पंजाब सरकार ने तो यह भी कहा है कि जो यातायात पड़ताल चौकियां स्थापित की जायें उनकी स्थापना भविष्य में मौजूदा चौकियों के साथ-साथ की जाये।

महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि विशाल बम्बई को छोड़कर अन्य स्थानों पर पड़ताल चौकियों का समेकित करना सम्भव नहीं है। बम्बई में सब विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समेकित पड़ताल चौकी की संभावना पर राज्य सरकार जांच कर रही है।

केवल मनीपुर तथा नागालैंड में केवल प्रशासनिक पड़ताल चौकियां हैं और इन क्षेत्रों में जो संवेदी सीमावर्ती क्षेत्र है, मैं इनकी संख्या को कम न करना ही वांछनीय समझा जाता है।

दिल्ली को छोड़कर यहां केवल सीमा कर चौकी है, अन्य संघ शासित क्षेत्रों में कोई पड़ताल चौकी नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों की प्रतिक्रिया प्रतिक्षित है।

इन राज्यों, तथा अन्य राज्य, जो पड़ताल चौकियों के समेकित करने में सहमत नहीं है, के साथ मामले पर बातचीत चल रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्य कर पूंजी प्राप्त करने में कठिनाइयां अनुभव करना

* 580 **श्री विश्व नाथ झुंझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अपने उद्योग चलाने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से समय पर कार्यकर-पूंजी प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं और जिसके परिणामस्वरूप उनके उत्पादन में काफी रुकावट पड़ रही है; और

(ख) क्या देश में उत्पादन के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का विचार

राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस आशय के अनुदेश देने का है कि ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों को दिये गए ऋणों के अन्तिम इस्तेमाल के सम्बन्ध में अधिक से अधिक सतर्कता बरतें ताकि बेंक ऋण जिन प्रयोजनों के लिए दिए गए हैं उनसे भिन्न प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल न किये जायें। इसीलिए ऋणों के आवेदन-पत्रों की गहराई से छान-बीन की जाती है, विशेषकर उन आवेदन-पत्रों की, जो बड़े-बड़े खातेदारों से प्राप्त होते हैं तथा जिन खातेदारों की प्रत्येक खाते के अधीन बहुत सी उप-सीमाएं निर्धारित होती हैं। इस कारण कुछ मामलों में ऋणों की मंजूरी में कुछ विलम्ब हो सकता है। लेकिन ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिनसे यह पता चलता हो कि राष्ट्रीकृत बैंकों से, समय पर, कार्य चालन पूंजी प्राप्त करने में सामान्यत: गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को नाहक कठिनाई हो रही है। ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को समय-समय पर कहता रहता है।

नीदरलैंड से ऋण सम्बन्धी करार

* 581 **श्री एस० एम० कृष्ण** :
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नीदरलैंड की सरकार के बीच 10·47 करोड़ रुपये के ऋण के बारे में एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा; और

(ग) इस करार की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, नीदरलैंड सरकार के साथ 10·36 करोड़ रुपये की रकम के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

(ख) नीदरलैंड से सेवायें प्राप्त करने के अलावा, इस ऋण का उपयोग हमारी विकास योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघटकों, कच्चे माल, फालतू पूर्जों और पूंजीगत उपस्करों के आयात के लिये किया जायेगा। यह आयात देश की समग्र लाइसेंस नीति के अनुसार ही किया जायेगा।

(ग) इस ऋण पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और इसकी वापसी-अदायगी 30 वर्षों के दौरान की जायेगी जिसमें आरम्भ के 8 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है जिसके दौरान मूलधन की कोई वापसी-अदायगी नहीं की जायेगी।

आयकर से छूट प्राप्त निकायों और एसोसिएशनों के हिसाब-किताब की जांच करना

* 583 **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियिम के अन्तर्गत छूट प्राप्त निकायों अथवा ऐसोसिएशनों के हिसाब-किताव की जांच होती है ।

(ख) यदि हां, तो कितने-कितने समय के अन्तर से की जाती है : और

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था है कि प्राप्त छूट का दुरुपयोग नहीं किया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). आयकर अधिनियम के अधीन जिन छूटों की व्यवस्था है वे स्थूलरूप से तीन प्रकार की हैं :—

(1) निकायों अथवा संस्थाओं को मिलने वाली छूट-क्योंकि इन संस्थानों का स्वरूप ही ऐसा है कि जहां अर्जित आय कुल आय का अंग नहीं होती। यह छूट अस्पतालों तथा शिक्षा-संस्थानों जैसी संस्थाओं को मिलती है जो लाभ के प्रयोजन से नहीं चलाई जाती, इन निकायों को आयकर अधिनियम के अधीन छूट पाने के लिए न तो अपनी आय विवरणी दाखिल करनी होती है और न ही अपने खाते पेश करने होते हैं ।

(2) ऐसे संस्थानों को, जिनकी आय भी आयकर अधिनियम के अधीन उनकी कुल आय का अंग नहीं होती, केवल कुछ सांविधिक शर्तें पूरी करने पर ही मिलते वाली छूट । इस वर्ग के अन्तर्गत कुछ अधिसूचित खेल-कूद निकायों, व्यावसायिक संस्थाओं आदि के लिए छूट उपलब्ध है । इन संस्थानों के खातों की जांच की सामयिकता के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे सारे देश में क्षेत्र-कार्यालय अधिकारियों से इकट्ठा करना होगा और इस पर बहुत अधिक समय लगेगा । यदि माननीय सदस्य के ध्यान में कुछ विशिष्ट संस्थान हैं तो उनके सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जायगी और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(3) धर्मार्थ अथवा पूर्त-न्यासों की न्यास के अधीन रखी गई सम्पत्ति से प्राप्त आय अथवा स्वेच्छिक दान से प्राप्त आय पर कर से छूट है बशर्ते कि कुछ साविधिक शर्तें पूरी की जाती हों । 1–4–1971 से पहले इन मामलों में छूट प्रमाण-पत्र आरम्भ में केवल एक कर-निर्धारण वर्ष के लिए ही वैध रखा गया था, प्रथम वर्ष के खातों की जांच की जाती थी और उसके बाद पूरे मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के उपरांत प्रमाण-पत्रों का प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार नवीकरण किया जाता था । 1–4–1971 से ऐसे सभी न्यासों, संस्थानों अथवा संस्थाओं को प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम 1971 की धारा 139 (4ए) के अधीन अपनी-अपनी आय-विवरणी दाखिल करनी होती है । अतः अब इन खातों की हर वर्ष जांच की जा सकती है ।

U. G. C. Scholarship to students of Hill Areas of U. P.

* 584 **Shri N. S. Bisht : Will the Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state.

(a) Whether the University Grants Commission grants special scholarship to the student of hilly areas of Assam, NEFA, Nagaland and Meghalaya for Post-graduate studies and research work;

(b) If so, the basis on which the said scholarships are granted; and

(c) Whether Government propose to apply the said scheme to the students of hilly areas of Utter Pradesh and if so, by what time ?

The deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes; Sir.

(b) The scholership are awarded by the University Grants Commission on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose. Bonifide residents of Hill areas of Assam, Nagaland, Manipur and N. E. F. A. with a Bachelor degree in Ist or 2nd Division are eligible for scholerships for pursuing post-graduate studies and those with Master's degree in first or 2nd Division are eligible for Junior Research fellowships for undertaking research work for a Doctorate degree.

(c) At present no such proposal is under consideration.

पाठ्यपुस्तकों के बारे में भारत अमरीका के बीच करार

* 585 **श्री रेणुपद दास : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमरीकी पाठ्यपुस्तक करार की मुख्य बातें क्या हैं और पाठ्यपुस्तकें भारत में किस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती हैं;

(ख) आज तक कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है; और

(ग) पाठ्यपुस्तकों के रूप में अमरीकी प्रचार सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए क्या सावधानी बरती जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). भारत के कालिजों एवं विश्वविद्यालयों में संदर्भ और पाठ्यपुस्तकों के रूप में उपयोग के लिये विभिन्न विद्यालयों को उचित मूल्य वाली अमरीकी पुस्तकों की उत्तरोत्तर बढ़ती माँग को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1961 में संयुक्त भारत अमरीकी मानक ग्रंथ कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था।

सन् 1961 में एक संयुक्त भारत अमरीकी पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसमें दोनों ओर के सात-सात प्रतिनिधि और भारत सरकार के शिक्षा सचिव इसके अध्यक्ष थे।

समिति को मोटे तौर पर वह नीति निर्धारित करनी थी जिसके आधार पर यू० एस० आई० एस० को सम्बन्धित योजना पर कार्य करना था।

जिन भारतीय प्रकाशकों का अमरीकी प्रशासकों के साथ कार्य-सम्बन्ध है वे देश में इन पुस्तकों की आवश्यकता और उनकी बिक्री की संभावनाओं के बारे में सर्वेक्षण करने के बाद यू० एस० आई० एस० तथा यू० एस० ए० आई० डी० को सूचियां प्रस्तुत करते हैं।

ये संस्थायें भारतीय प्रकाशकों द्वारा दी गई सूचियों में से चयन करके शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय को उपयुक्त अमरीकी पुस्तकों की सूचियां प्रस्तुत करती हैं। पहले यू० एस० ए० आई० डी० के विशेषज्ञों द्वारा इन सूचियों की जांच की जाती है और फिर इनको शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय को भेज दिया जाता है। फिर मन्त्रालय मानविकी और विज्ञान की पुस्तकों के मूल्यांकन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पशुचिकित्सा और कृषि-विज्ञान की पुस्तकों के लिए खाद्य और कृषि-मन्त्रालय से व्यापार प्रबन्ध इंजीनियरी तथा टैकनोलॉजी की पुस्तकों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रभाग से और चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकों के लिए स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक द्वारा नामित विशेषज्ञों से परामर्श करता है। इस प्रकार भारतीय शिक्षा के प्रयोजन की दृष्टि से जो पुस्तकें उपयुक्त समझी जाती हैं, मन्त्रालय द्वारा उनको अनुमोदन कर दिया जाता है। यू० एस० आई० एस० अथवा यू० एस० ए० आई० डी० सम्बन्धित भारतीय प्रकाशक को पी० एल० 480 निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि वे सम्बन्धित अमरीकी पुस्तकों का पुनर्मुद्रण करवा सके और उनका मूल्य मूल अमरीकी संस्करण के मूल्य का लगभग पाचवें या छठवें भाग के बराबर रख सकें।

(4) 1961 में इस कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से लेकर आज तक इसके अन्तर्गत 1188 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

(5) जैसा कि उपरोक्त पैरा 3 से स्पष्ट है कि इन पुस्तकों की उपयुक्तता, उपयोगिता और भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों में इनकी संभावित मांग की दृष्टि से शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा इनकी जांच की जाती है। अतः इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यपुस्तकों के बहाने अमरीकी प्रचार सामग्री की भरमार करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा भारत में अमरीकी राजदूतावास के बीच स्मारक पत्र के विनिमय के द्वारा सन् 1961 में संयुक्त भारत अमरीकी पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ। इस कार्यक्रम की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(क) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पुस्तकों के पुनर्मुद्रण का कार्य हाथ में लेने से पहले शिक्षा मन्त्रालय की मंजूरी आवश्यक होगी।

(ख) जिन प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने आपसी रूप से स्वीकृति सूची की पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध आवश्यक कापीराइट प्राप्त कर लिया हो उन्हीं के साथ ठेका किया जायेगा।

(ग) बिकने वाले प्रत्येक भारतीय पुनर्मुद्रण के लिए रायल्टी की अदायगी अमरीकी प्रति

के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होगी तथा प्रत्येक पुस्तक के लिए दी जाने वाली रायल्टी की राशि की सूचना शिक्षा मंत्रालय को दी जायेगी।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों का विक्रय मूल्य सामान्यत: मूल प्रकाशन के मूल्य का लगभग एक तिहाई होना चाहिए यह मूल्य उत्पादन की लागत, संभावित आर्थिक सहायता तथा लाभप्रद कीमत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। रुपये के अवमूल्यन पर विचार करते हुए आजकल यह विक्रय मूल्य सामान्यत: अमरीकी खुदरा विक्रय मूल्य के पांचवे या छटवें भाग के बीच में है।

(ङ) वितरण की कार्य व्यवस्था सामान्यत: आफ व्यापारिक माध्यमों के जरिए की जायेगी।

(च) यू० एस० आइ० एस० कार्यक्रम के एक परिचालन निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा सारे ठेकों के सम्बन्ध में इसी से बातचीत की जायेगी।

(छ) इस योजना को लागू करने में अमरीकी राजदूतावास द्वारा लिए गये सभी ठेकों एवं महत्वपूर्ण कदमों के बारे में शिक्षा मंत्रालय को सूचित किया जायेगा।

भारतीय ऋण प्रत्याभूति निगम का कार्यकरण

* 586. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'भारतीय ऋण प्रत्याभूति निगम' नामक एक नई संस्था ने 1 अप्रैल, 1971 से कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). 14 जनवरी, 1971 को भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के नाम से एक नयी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का पंजीकरण किया गया और उसे कतिपय प्राथमिकता प्राप्त तथा उपेक्षित क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं को मिलने वाले ऋणों के लिये गारंटी देने की जिम्मेदारी सौंप दी गयी है।

निगम ने एक गारंटी योजना बनाई है जो एक अप्रैल, 1971 से लागू की गई है। प्रारम्भ में यह योजना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अलग-अलग परिवहन चालकों अथवा इस प्रकार के छः से अनधिक चालकों की संस्था, व्यक्तियों, उर्वरक और किसी प्रकार के माल का व्यापार करने वाली फर्मों और सहकारी समितियों, आत्म नियोजित व्यक्तियों, व्यापारिक उद्यमों के मालिक व्यक्ति और फर्में तथा खेतीबारी और कृषि सम्बन्धित कार्यों में लगे किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सीमाओं तक लागू होगी। गारंटी संगठन वसूल न हो सकने योग्य अथवा जिनके वसूल होने में सन्देह हो ऐसी रकमों की हानि का 75 प्रतिशत भार उठायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत भार ऋण देने वाले संगठन उठायेंगे। अधिकृत ऋणों की बकाया रकमों पर आधा प्रतिशत वार्षिक की दर से गारंटी फीस ली जायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अब तक 67 अनुसूचित बैंकों ने योजना की स्वीकृति दे दी है।

योजना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की पात्रता सम्बन्धी अधिकतम सीमायें निम्न-लिखित हैं :—

(1) **छोटे किसान और खेतीहर** : मौसमी कृषि कार्यों के लिये वित्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में	— 1000·00 रुपये
भूमि को कृषि योग्य बनाने या उसमें सुधार करने, सिंचाई कुओं के निर्माण, पम्प सैटों के लगाने, मशीनों अथवा उपकरणों या अन्य पूंजीगत परिसम्पत्तियों की खरीद के लिये	—5000·00 रुपये
मत्स्य पालन, रेशम के कीड़े पालने, पशुपालन, मुर्गीपालन अथवा दुग्ध उद्योग के लिये वित्त व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उतना ऋण जितना निगम समय-समय पर निर्धारित करे परन्तु आगे लिखी रकम से अधिक नहीं	—50,000·00 रुपये

(2) **छोटे परिवहन संचालक** : किसी व्यक्ति विशेष, अथवा अधिक से अधिक छः व्यक्तियों की संस्था की, जो एक परिवहन गाड़ी के मालिक हैं और उसे चलाते हैं, वित्त व्यवस्था के लिए ऋण की सीमा अधिक से अधिक 50,000 रुपये होगी।

(3) **छोटे खुदरा व्यापारी** : ऋणों के रूप में वार्षिक देय रकम अधिक से अधिक 1,00,000 रुपये।

उर्वरकों के मुख्य व्यापारी : ऋणों के रूप में प्रति वर्ष देय रकम अधिक से अधिक 2,00,000 रुपया।

(4) **पेशेवर और आत्म नियोजित व्यक्ति** : चिकित्सक जिनमें दन्त चिकित्सक अथवा चिकित्सा व्यावसायियों की कोई फर्म जिसका अपना परिचर्या गृह या निदानशाला हो, भी शामिल हैं	— 1,00,000 रुपये
निर्माण ठेकेदार अथवा ऐसे ठेकेदारों की फर्म	— 1,00,000 रुपये
इंजीनियरी सलाहकार अथवा वास्तविक या इंजीनियरी सलाहकारों अथवा वास्तुविदों की फर्म	—50,000 रुपये
कोई अन्य व्यक्ति जो अपने पेशे में कुशल है चाहे उनके पास कोई व्यावसायिक या तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा हो या न हो।	—20,000 रुपये

(5) **व्यावसायिक उद्यम** : ऐसे सभी उद्यम जिनमें इस्तेमाल किए गए उपकरणों का मूल लागत मूल्य 50,000 रुपये से अधिक न हो।

निगम ने भारतीय ऋण गारंटी निगम लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 नामक नयी योजना भी तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य वित्तीय निगम जिसमें तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड शामिल है, द्वारा छोटे ऋण कर्ताओं को मिलने वाली ऋण सुविधाओं की कुछ निर्दिष्ट सीमाओं तक गारंटी की देना है। चूंकि छोटे पैमाने के उद्योगों को मिलने वाले ऋणों के लिए गारंटी व्यवस्था पहले ही ऋण गारंटी योजना के अधीन की जा चुकी है, नयी योजना में छोटे कर्जदारों के शेष वर्गों के लिए व्यवस्था की जायेगी जो सम्भवत: (क) परिवहन संचालक, (ख) छोटे होटलों के मालिक और (ग) बिजली या अन्य किस्म की विद्युत के जनन अथवा वितरण में लगे हुए अथवा किसी समीपस्थ भू-क्षेत्र को औद्योगिक बस्ती के रूप में विकसित करने के प्रबन्ध में लगे हुए व्यावसायिक उद्यम, हो सकते हैं। नयी योजना पहली जुलाई, 1971 से लागू होगी।

भारत नेपाल सीमा पर तस्कर व्यापार

*587. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सीमा पर किन किन वस्तुओं का तस्कर व्यापार होता है।

(ग) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

(घ) इस अवधि में सीमाकर अधिकारियों ने कितने मूल्य का माल पकड़ा;और

(ङ) क्या इस सीमा पर कुछ सशस्त्र तस्कर व्यापारी भी हैं और यदि हां, तो उनसे निबटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार होता है।

(ख) नेपाल से भारत में तस्कर आयात की जाने वाली विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं हैं जैसे ऊनी तथा कृत्रिम कपड़े, नाइलॉन की जुराबें, धातु का धागा, सिगरेटें, सिगरेट लाइटर, फाउन्टेन पैन, टार्च, कैमरे, ब्लेड, घड़ियां, ट्रॉजिस्टर, टेप-रिकार्डर, लोग प्रसाधन-सामग्री तथा ताश के पत्ते।

भारत से नेपाल को तस्कर-निर्यात की जाने वाली वस्तुएं यह हैं। कच्चा पटसन, अभ्रक, कड़े बाल (ब्रिसल), जंगली जानवरों,पेट के बल चलने वाले जीव और भेड़ों के बच्चों की खाल तथा इलायची।

(ग) गिरफ्तार किये गये तस्कर-व्यापारियों की संख्या 1969-70 में 111 तथा 1970-71 में 211 थी।

(घ) 1969-70 में पकड़े गये माल का मूल्य 49,02,578 रुपये था तथा 1970-71 में पकड़े गए माल का मूल्य 75,37,498 रुपये था ।

(ङ) जी हां, इस सीमा पर कुछ सशस्त्र तस्कर-व्यापारी हैं तथा सीमा शुल्क कर्मचारियों पर कितने ही आक्रमण हो चुके हैं । सशस्त्र तस्कर-व्यापारियों से निबटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) भारत नेपाल सीमा पर सीमाशुल्क निवारक दलों को राइफलें तथा रिवाल्वर देने की व्यवस्था की गई है ।

(ii) निवारक दलों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है ।

(iii) पटसन का नेपाल को तस्कर-निर्यात रोकने के लिए पटना समाहर्ता-कार्यालय के फोर्बेसगंज प्रभाग में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस की एक कम्पनी को लगा दिया गया है ।

(iv) तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए मुजफ्फरपुर तथा मोतिहारी सीमा शुल्क प्रभागों में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस कार्मिकों की एक एक प्लाटून को कुछ महीनों के लिए भेज दिया गया है ।

(v) तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए लगाये गये सीमाशुल्क कर्मचारियों की सहायता करने तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर राज्य पुलिस अधिकारियों से निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना

*588. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मंडल ने सरकार से हल्दिया में एक शिपयार्ड की स्थापना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार मामले की जांच कर रही है ।

परिचालित मुद्रा की राशि

* 589. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में 31 दिसम्बर 1970 तक देश में परिचालित मुद्रा की राशि क्या थी; और

(ख) पिछले दो वर्षों में मुद्रा के परिचालन में वर्षवार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . दिसम्बर 1970 के अन्तिम शुक्रवार को जनता के पास 6799 करोड़ रुपये की मुद्रा थी, जबकि दिसम्बर 1969 के अन्तिम शुक्रवार को यह रकम 6036 करोड़ रुपये और दिसम्बर 1968 के अन्तिम शुक्रवार को 5389 करोड़ रुपये थी । जनता के पास मुद्रा-उपलब्धि की वार्षिक वृद्धि की दर, दिसम्बर 1968 के अन्त से दिसम्बर, 1969 के अन्त तक की अवधि में 12 प्रतिशत तथा दिसम्बर, 1969 के अन्त से दिसम्बर, 1970 के अन्त तक की अवधि में 12·6 प्रतिशत बैठती है ।

पांच लाख रुपयों से अधिक बकाया आयकर वाले मामले

*590. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) ऐसी पार्टियों के नाम क्या हैं जिनकी तरफ पांच लाख रुपये या इससे अधिक आय-कर की राशि बकाया है;

(ख) उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विचाराधीन इस प्रकार के मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) कर निर्धारण के सभी विचाराधीन मामलों को दो वर्षों में निपटाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए बकाया आयकर की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना, जैसा कि वह 31–3–1971 को तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह एकत्रित की जा रही है और जैसे ही यह उप-लब्ध होगी, सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(i) 31-12-1970 को उच्च न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या ।···7230

(संख्या, जैसा कि वह 31–3–1971 को थी अभी तक उपलब्ध नहीं है)

(ii) 31–3–71 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या । ······54584

(ग) 1–4–1968 से कर निर्धारण को पूरा करने की मियाद चार वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दी गई है । यह मियाद उस निर्धारण- वर्ष के अन्त से शुरू होगी जिससे आय पहली बार निर्धारण किये जाने योग्य हुई थी । कर-निर्धारण के कार्य को और तेज करने के लिये, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 143 के स्थान पर एक नई धारा 143 रख दी गई है । नए उपबन्धों के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1971 से लागू हुए हैं, आय-कर अधिकारी को यह छूट होगी कि वह, आय की विवरणी प्राप्त करने के बाद, अधिकांश मामलों में निर्धारिती को बुलाए बिना अथवा

विवरणी के समर्थन में निर्धारिती से कोई साक्ष्य प्रस्तुत कराये बिना संक्षिप्त तरीके से नियमित कर-निर्धारण कर दें। इन उपबंधों के शामिल हो जाने से, यह आशा की जाती है कि बकाया पड़े कर-निर्धारणों का निपटान हो जाएगा।

Aligarh Muslim University Bill

*591. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Education & Social Welfare** be pleased to state the reasons for which the introduction of the Aligarh Muslim University Bill in the Parliament is being delayed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadav) : A bill to amend certain provisions of the Aligarh Musilim iUniversty Act was introducэd in the Rajya Sabha on August 31, 1970. As stated in the statement of objects and Reasons relating to this bill, the report of, the committee on Governance of Universities appointed by the University Grants Commission will have a bearing on long-term legislation for central universities, Comparehensive legislation in respect of Aligarh Muslim University will, therefore, be undertaken after the report of the committee is received and examined by Government.

बैंक दर में वृद्धि

*592. **श्री सी० चितिबाबू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1971 में बैंक दर में एक प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण छोटे उद्योगों और औद्योगिक एककों को बैंकों से ऋण लेने के मामले में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या बैंक दर में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं या करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) उद्योगों की उत्पादन लागत की तुलना में, बैंक ऋणों पर ब्याज की दर में वृद्धि का अनुपात इतना अधिक नहीं है कि उसका कुल लागत पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तरों को दृष्टि में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

Arrears of Taxes Against Persons in Rajasthan

* 593. **Shri P. L. Barupal** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) The number of persons in Rajasthan against whom arrears of Income-Tax, Estate duty and wealth-tax are outstanding and the amount of these taxes outstanding;

(b) The reasons for which arrears of taxes could not be realised from them so far; and

(c) The steps proposed to be taken by Government to realise these arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Information regarding the number of persons in Rajasthan against whom arrears of Income-tax, Estate duty and wealth-tax were oustanding as on 31-3-1971 is not available. The collection of this information will involve considerable time and labour. If the Hon, ble member desires to have information regarding any specific assessee, the information could be furnished.

The amount of net arrears of Income-tax outstading in the Rajasthan charge on 31-3-1971 was Rs. 3·77 crores. Information regarding wealth-tax and Estate duty outstanding is not yet available. It is being collected and will be laid on the table of the House as soon as it is available.

(b) and (c) : A substantial portion of the above outstanding demand included the following types, the recovery of which was unavoidably held up:—

(i) Demands wherein the assessees have gone in appeal/references against the orders of income-tax officers Appellate Assistant Commissioners/Appellate Tribunal and are not paying the disputed demands.

(ii) Demands where recovery proceeding have been stayed by the high Courts other courts.

(iii) Demands due from persons who have left India and/or are not traceable.

(iv) Demands due from persons who have nil/inadequate assets at present.

(v) Demands due from companies which have gone into liquidation.

(vi) Demands locked up on account of the same income having been taxed in the hands of more than one assessee as a protective measure.

(vii) Demands pending realisation on account of the verification of assesses claims for double income-tax relief.

The remaining demand was in the normal process of recovery and such steps as are contemplated in law are being taken.

Export of Poppy Husk

* 594. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether poppy husk is exported to foreign countries in a lage quantity;

(b) if so, the price at which it is sold by the farmers in the country and the export price thereof; and

(c) the rate of central excise duty imposed thereon in the varous states ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Poppy husk is not exported to foreign countries in a large quantity. Exports of poppy husk to foreign countries amounted to 14 tons in 1968, 27 tons in 1969 and 32 tons in 1970.

(b) According to information available, the farmers sell the poppy husk at a price ranging from about Rs. 6/- to Rs. 10/- per quintal. The export price for sale abroad is not available. The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) Central Excise duty is not imposed on poppy husk. The State Government, however, impose an excise duty which varies from State to State. The rates of excise duty on poppy husk in the poppy growing States are as under :

Name of State	Rate of duty per Kg.
1. Madhya Pradesh.	
(a) Poppy husk for export out of the State :	Re. 0·50
(b) On sale of poppy husk for purposes other than (a) above.	Re. 1·50
2. Rajasthan.	
(a) Poppy husk for export out of the State :	Re. 0·25
(b) On sale of poppy husk for purposes other than (a) above.	Re. 1·00
3. Uttar Pradesh.	
(a) Poppy husk for export out of the State :	Re. 0 25
(b) On sale of poppy husk for purposes other than (a) above.	Re. 0·50

बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए विमानों की संख्या में वृद्धि करना

*595. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत में विमानों द्वारा यात्रा करने वालों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए विमानों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाहित यात्रियों की संख्या, जोकि भारत में विमान यात्रा की अभिवृद्धि का प्रतिद्योतक है, निम्न प्रकार है :—

वर्ष	यात्रियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत विभिन्नता
1967–68	1,959,417	+18·2
1969–70	2,248,177	+14·7
1970–71	2,125,357	— 5·5

1970–71 में हुई कमी श्रमिक अशान्ति के कारण कारपोरेशन की सेवाओं के अस्त-व्यस्त होने तथा पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने वाली सेवाओं के फरवरी, 1971 से निलम्बित होने के कारण हुई ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेशन के विमानों की संख्या प्रति वर्ष उत्पादित ए० टी० के० (उपलब्ध टन किलोमीटर) सहित, नीचे दी गयी है ।

विमान	1968–69	1969–70	1970–71
बोइंग–737	—	—	6
कारवेल	7	7	7
वाइंकाउंट	14	14	14
एफ–27	15	14	11
एच० एस०–748	8	14	14
डी० सी–4	3	—	—
डी० सी–3	15	9	9
उ० ठ० कि० मी (दस लाख में)	208·252	223·481	207–392

चौथी योजना के दौरान केरल राज्य में छोटे बन्दरगाहों का विकास

*596. **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि के दौरान केरल राज्य में छोटे बन्दरगाहों के विकास हेतु कोई नया प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उक्त छोटे बन्दरगाहों के क्या नाम हैं और उनकी अनुमानित लागत क्या है, और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) (क) और (ख) : "केन्द्रीय प्राययोजित योजनाओं" के अन्तर्गत प्रत्येक समुद्री राज्य में एक पतन का विकास की

योजना के भाग के रूप में केरल में वैपुर पतन को विकास के लिए चुन लिया गया है। वेपुर के विकास के लिए अनुमान की जांच हो रही है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृति लागत का शतप्रतिशत पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है।

Merger of Bank of Behar Ltd. With State Bank of India

*597. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether the Bank of Behar Ltd. with its headquarters at Patna, was merged with the State Bank in August, 1968;

(b) whether the shareholders of the said Bank have neither been shown any accounts since then nor have they been paid any compensation; and

(c) if so, the reasons therefor

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan): (a). The Bank of Behar Limited was amalgamated with the State Bank of India with effect from 8th November, 1969.

(b) & (c) : Under instructions from the Reserve Bank of India, the State Bank will keep the shareholders of the Bank of Behar Ltd. posted with the affairs of the Bank by issuing at periodical intervals the account statements. The first Statement of account as on 31-12-1970 is expected to be released to the shareholders shortly.

The question of paying compensation to the shareholders of the Bank of Behar Ltd. would arise only if and when realisations of the other assets of the Bank of Behar Ltd. which were considered not readily realisable exceed the shortfall, which, as known at present, placed at Rs. 1·34 crores. The State Bank of India is taking all available steps for realising the assets of the Bank of Behar Ltd.

सरकारी उपक्रमों में नियुक्तियों के लिए तालिका

* 598. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में प्रबन्धकों के पदों पर नियुक्तियों के लिये ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा एक तालिका तैयार की जाती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उक्त तालिका में कितने व्यक्तियों के नाम संकलित हैं और उनमें से कितनों की नियुक्ति की जा चुकी है; और

(ग) यदि नियुक्तियां इस तालिका में से नहीं की गयी हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों पर नियुक्तियां करने के लिये, विभिन्न सम्भावित स्रोतों, अर्थात् सरकारी सेवाओं,

सरकारी उद्यमों और गैर सरकारी क्षेत्र से उपयुक्त व्यक्तियों के नामों को सूची तैयार करने का काम एक जांच समिति को सौंपा गया है, जिसकी सेवा-व्यवस्था सरकारी उद्यम कार्यालय कर रहा है।

(ख) जांच समिति ने 1966 से 1970 तक के अपने कार्यकाल में सरकारी उद्यमों में विभिन्न उच्च पदों के लिये 595 व्यक्तियों के नामों की सूचि तैयार की थी। सरकार ने अगस्त, 1970 में जांच समिति का फिर से गठन किया। इस समिति ने अब तक 105 व्यक्तियों के नामों की सूचि तैयार की है।

1966 से अब तक सूचि में दर्ज 137 व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जा चुका है। किन्तु, 1968 से 1970 के दौरान सरकार ने यह निश्चय किया कि सरकार उद्यमों के प्रबन्धकों को, उसी उपक्रम में जहां वह कार्य कर रहे हैं, उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिये उनके नाम का पहले से सूचि में होना आवश्यक शर्त नहीं होगा।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकारी उद्यमों में 32 उच्च पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है जिनका नाम सूची में नहीं था। इसमें 1968–1970 के दौरान दी गयी विशेष छूट के अन्तर्गत, उसी उपक्रम में पदोन्नति के आधार पर उच्च पदों पर की गयी नियुक्तियां शामिल नहीं हैं। इस प्रकार नियुक्तियां करना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि उच्च स्तर के कुछ विशिष्ट पदों पर नियुक्त करने के लिये सूची में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बम्बई की खार स्थित शाखा के कर्मचारियों द्वारा 20 लाख रुपये का कथित गबन

* 599. **श्री रामकंवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बम्बई को खार शाखा के कर्मचारियों द्वारा 20 लाख रुपये से भी अधिक की राशि का गबन किया गया है;

(ख) बैंक के रुपये के गबन में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है; और

(ग) क्या उन वरिष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो लेखों के पर्यवेक्षण तथा लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चौहान) : (क) जी, हां। पता चला है कि 20,30,300 रुपये का गबन किया गया है।

(ख) गबन के इस मामले में पैसे शाखा के एजेन्ट तथा मुख्य सर्राफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में रखा गया है।

(ग) बैंक ने इस शाखा के रोकड़ विभाग के सभी क्रिया-कलापों की जांच करने के लिए एक लेखा परिक्षक दल का प्रबन्ध किया है। लेखा-परीक्षकों द्वारा की गयी जांच के परिणामों के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई करने पर विचार किया जायेगा।

सिंगापुर में हुआ एशियाई शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

* 600. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 के प्रथम सप्ताह में सिंगापुर में एशिया के 20 राष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिये उसमें क्या प्रमुख निर्णय लिये गये; और

(ग) उससे भारत को किस सीमा तक लाभ होने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां। शिक्षा मंत्रियों और एशिया में आर्थिक आयोजन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का क्षेत्रीय सम्मेलन, 31 मई से 7 जून, 1971 तक सिंगापुर में हुआ था।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी० 463/71]**

(ग) सम्मेलन की सिफारिशो से, यदि वे यूनेस्को और एशियाई सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कर ली जाती हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में और अधिक क्षेत्रीय सहयोग तथा प्रचुर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के जरिए, भारत को लाभ पहुंचाने की सम्भावना है।

वास्तविक राशि से कम और अधिक राशि के बीजक आदि बनाने को रोकने के उपाय

* 271. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम राशि के बीजक बनाने, अधिक राशि के बीजक बनाने और कर–अपवंचन को रोकने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार द्वारा किये गए उपायों के परिणामस्वरूप ऐसी घटनाओं में कमी हुई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) न्यून-बींजकांकन, अधि-बीजकांकन और कर अपवंचन को रोकने के लिये प्रशासनिक तथा कानूनी दोनों प्रकार के उपाय किये गये हैं। इनमें से हाल में किये गये और महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

(i) आयात और निर्यात किये गए माल की मूल्य सम्बन्धी घोषणाओं की अधिक बारीकी से छान-बीन करना।

(ii) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की धारा 12 (i) में संशोधन किया गया है, जिससे जी० आर० फार्म में मूल्य की गलत घोषणा करना ऐसा अपराध घोषित किया गया है, जिस पर सीमाशुल्क अधिनियल 1962 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(iii) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अपवंचन का पता लगाने के लिये निवारक और लेखा-परीक्षा तंत्र को अधिक सबल बनाया गया है।

(iv) आय-कर अधिनियम में विभिन्न संशोधन किये गये हैं। आय-गोपन और धन-गोपन पर न्यूनतम और अधिकतम दण्ड की सीमाएं बढ़ा दी गयी हैं और जो व्यक्ति स्रोत पर कर की कटौती नहीं करते अथवा उसको सरकारी कोष में जमा नहीं करते अथवा जो व्यक्ति आय-कर की विवरणी दाखिल नहीं करते उनके लिए कारावास की व्यवस्था की गयी है।

माननीय सदस्य का ध्यान उन कई उपायों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जो कर अपवंचन को रोकने के लिये 1971–72 के बजट में प्रस्तावित किये गये हैं।

(ख) अधि-बीजकांकन और न्यून-बीजकांकन से सम्बन्धित प्रश्न की समीक्षा करके एक अध्ययन दल ने विभिन्न सिफारिशें की हैं। सिफारिशों के आधार पर किये जाने वाले निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये यथा-आवश्यकता कानून बनाने का प्रस्ताव है। जहां तक कर अपवंचन का सम्बन्ध है, अपवंचन किये गये कर की अधिकाधिक रकमों का बराबर पता लगाया जा रहा है, जिससे प्रकट है कि कर-अपवंचन को रोकने के उपाय फलदायक सिद्ध हो रहे हैं।

Proposal to Include Pachmarhi in Madhya Pradesh in the List of Tourist Centres.

2507. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government propose to include Pachmarhi (Madhya Pradesh) in the list of Tourist Centres;

(b) if so, by what time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism & Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) to (c) : No specific list of tourist centres is being maintained. Pachmarhi, however, finds place in the tourist literature on Madhya Pradesh which the Department of Tourism has brought out. The State Government may develop the same as a Tourist Centre.

गुजरात में खोली गयी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

2508. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष गुजरात के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1970 के दौरान गुजरात में ग्रामीण और शहरी केन्द्रों में (जिसमें अर्ध शहरी और महानगरी केन्द्र शामिल हैं) खोले गए कार्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

		खोले गए कार्यालयों की संख्या
1. ग्रामीण केन्द्र (वे स्थान जिनकी आबादी 10,000 तक है)		109
2. अर्धशहरी, शहरी और महानगरी केन्द्र		37
	जोड	146

राष्ट्रीय राजपथ से जयपुर और भोपाल को मिलाना

2509. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा और झालावाड होकर एक राष्ट्रीय राज्यपथ से जयपुर और भोपाल को मिलाने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रश्न गत सड़क जयपुर-कोटा-झालावाडा ब्यौरा-भोपाल मार्ग के साथ जाती है (इसका, ब्यौरा-भोपाल खंड पहले से ही एक राष्ट्रीय राज मार्ग है। राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 12 ब्यौरा से जयपुर कार झालावार और कोटा से होकर जाने वाली शेष सड़क वर्तमान राज्य सड़क है। इस ग्रंड पर जयपुर ब्यौरा) धार तथा काली सिंध नदियों पर पुलों के निर्माण के लिये भारत सरकार ने हाल ही में 40 लाख रु० का ऋण देने की सहमति दी है।

राजस्थान में स्कूलों में भर्ती बच्चों की प्रतिशतता

2510. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष और 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों की कुल संख्या कितनी है,

(ख) उनमें से कक्षा 1 से कक्षा पांच में कुल कितने बच्चे भर्ती किए गए हैं, और

(ग) भर्तीछात्रों की उपरोक्त प्रतिशतता अन्य राज्यों में भरती छात्रों की प्रतिशतता की तुलना में किस प्रकार है,

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 1968–69 वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार राजस्थान में 6–11 आयु वर्ग वाले बच्चों की संख्या 35·66 लाख थी।

(ख) 1968–69 वर्ष में (i—v) कक्षाओं में भर्ती किये गये बच्चों की कुल संख्या 20·13 लाख थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें राजस्थान हित 6–11 आयु वर्ग की तदनुरुप जनसंख्या के i–v कक्षाओं में भर्ती किये गये विद्यार्थियों की प्रतिशतता को राज्यवार जानकारी दी गई है। **[ग्रंथालय में रक्खा गया देखिये संख्या एल० टी० 464/71]**

विदेशी पर्यटकों के लिये आसाम में वर्जित क्षेत्र

2511. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कुछ भाग विदेशी पर्यटकों के लिए वर्जित हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के क्या नाम हैं और विदेशी पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : **(क) और (ख)** विदेशी (वर्जित क्षेत्र) आदेश, 1963, के अन्तर्गत, आसाम के सम्पूर्ण राज्य को वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा विदेशियों को इस राज्य का भ्रमण करने के लिये परमिट लेने पड़ते हैं। ऐसे परमिट पर्यटकों को काजीरंगा, मानस तथा शिलांग का जो कि पर्यटक रुचि के स्थान समझे जाते हैं, भ्रमण करने के लिये उदारतापूर्वक दिये जाते हैं।

अन्दमान प्रशासन द्वारा मैट्रिक पास प्रशिक्षित अध्यापकों की पदोन्ननि

2512. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंदमान में कुछ मैट्रिक प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के रूप में पदोन्नति किया गया है और ये अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक होने के कारण उच्च माध्यमिक और मिडल की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, यदि हां तो इन अध्यापकों की संख्या कितनी है।

(ख) क्या अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्य प्रणाली प्रचलित है, और

(ग) यदि नहीं, तो अन्दमान में इस कार्यप्रणाली को चलाने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अन्दमान द्वीप समूह में एक शिक्षक को छुरा घोंपना

2513. **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में राजकीय बाल विद्यालय के एक छात्र ने एक शिक्षक के छुरा घोंपा था,

(ख) क्या वह शिक्षक वर्तमान विद्यालय में अपने स्थानान्तरण से पूर्व बालिका विद्यालय में नियुक्त किया गया था,

(ग) क्या उस समय जब वह शिक्षक बालिका विद्यालय में था उसके आचरण के बारे में जनता के कुछ लोगों ने शिकायतें की थी, और

(घ) क्या वर्तमान विद्यालय में उसका स्थानान्तरण लोगों की शिकायतों के आधार पर किया गया था, और

(ङ) क्या सचिवालय में कार्य कर रहे उक्त शिक्षक के संबंधियों के हस्तक्षेप के कारण अधिकारियों ने उसके विरुद्ध शिकायतों को दबा दिया था और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). जी हां ।

(घ) जी, नहीं । उसका स्थानान्तरण सामान्य क्रम में किया गया था क्योंकि लड़कियों के स्कूल में पांच वर्षों से अधिक से काम कर रहा था ।

(ङ) जी, नहीं । अन्दुमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा शिक्षक के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच की गई थी और यह निराधार पाई गई ।

अन्दमान प्रशासन द्वारा अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की पदोन्नति

2514. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान में दो अप्रक्षित स्नातक शिक्षकों की माध्यमिक स्कूलों के मुख्याध्यापक के रूप में पदोन्नति हुई है,

(ख) क्या अन्दमान शिक्षा निदेशालय को उक्त पदोन्नति के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप में शिक्षकों से और शिक्षक संगठन के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ग) क्या अप्रशिक्षित स्नातक अन्य किसी केन्द्र शासित क्षेत्र में इन पदों के योग्य नहीं माने जाते, और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) पदोन्नति के समय लागू होने वाले भर्ती के नियमों के अनुसार ये दोनों अध्यापक प्रधानाध्यापकों के रूप में पदोन्नति के योग्य थे । तथापित उन्हें दो वर्षों के भीतर अध्यापन संबंधी उपाधि प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया गया था । भर्ती के नियमों में संशोधन किया जा रहा है जिसके अनुसार अध्यापन योग्यता अनिवार्य रूप से निर्धारित कर दी जायेगी ।

अन्दमान द्वीप समूह के लिये शिक्षा सचिव के पद का बनाया जाना

2516. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के अन्तर्गत शिक्षा सचिव का एक पद बनाया है,

(ख) यदि हां, तो उस पद पर कार्य कर रहे व्यक्ति का नया पद वेतनमान और योग्यताएँ क्या हैं; और

(ग) उक्त पद को बनाने-पद के लिये चयन करने और उस पर नियुक्ति करने के लिये कौन अधिकारी सक्षम है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी. नहीं । अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन में शिक्षा सचिव का कोई पृथक पद नहीं है । वित्त सचिव पर शिक्षा का कार्य भार भी है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय सहायता के लिये दिये गये आवेदन पत्रों का गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रद्द किया जाना

2517. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में गत एक वर्ष में वित्तीय सहायता के लिये दिये गये कितने आवेदन-पत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा इस आधार पर रद्द किये गये कि आवेदक प्रतिभूति देने में समर्थ नहीं थे; और

(ख) कितने आवेदन-पत्र तीन महीने और छः महीने से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हुए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . अस्वीकृत आवेदन-पत्रों के आँकड़े बैंकों द्वारा श्रेणीवार अलग से नहीं रखे जाते । जहां तक विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या का सम्बन्ध है सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

अहमदाबाद हवाई अड्डे का पुर्ननिर्माण

2518. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद के हवाई अड्डे का पुर्ननिर्माण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पुर्ननिर्माण के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रूप देने का भी निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) . जी, नहीं । परन्तु, चालू योजनावधि के दौरान अहमदाबाद विमान क्षेत्र पर हाथ में लिये जाने वाले कुछ विकास कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है । अहमदाबाद पहले ही बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र का एक वैकल्पिक विमान क्षेत्र है ।

रामेश्वरम् द्वीप को मंडापन के साथ सड़क पुल से जोड़ने का प्रस्ताव

2519. **श्री भुवाराहन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम् द्वीप को मंडापन से रामेश्वरम् तक सड़क का पुल द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 532·87 लाख रुपये है ।

स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन अधिनियम 1956 में संशोधन सुझाने हेतु गठित अध्ययन समिति का प्रतिवेदन

2520. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पण्य का दमन अधिनियम, 1956 में संशोधन सुझाने हेतु गठित अध्ययन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति अथवा इसकी मुख्य सिफारिशें सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(घ) मुख्य अधिनियम की कमियों को दूर करने हेतु सरकार का कब तक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) "स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पुण्य दमन अधिनियम, 1956 में संशोधन" से सम्बद्ध समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की समाज कल्याण विभाग से जांच की गई थी । इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है । इस रिपोर्ट की एक प्रति यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इण्डियन इन्स्टीटियूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज, शिमला

2521. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इण्डियन इन्स्टीटिट्यूट आफ एडवास्डस्टडीज' शिमला (हिमाचल प्रदेश) पर प्रति वर्ष कुल कितनी राशि व्यय की जाती है,

(ख) प्रशासनिक और अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों को कुल संख्या कितनी है,

(ग) वर्ष 1970-71 में कुल कितने 'स्कालरों' को 'फैलोशिप' दी गई और उनके नाम क्या हैं,

(घ) किन विषयों के लिये ये 'फैलोशिप' प्राप्य हैं,

(ङ) 'इन्स्टीट्यूट' द्वारा कितने प्रकाशन निकाले गये और,

(च) क्या 'इंस्टीट्यूट' के शासी निकाय में किन्हीं संसद सदस्यों को भी स्थान दिया गया है, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) संस्थान पर वर्ष 1970-71 में अनुदानों के रूप में सरकार द्वारा किया गया खर्च निम्नलिखित था :—

गैर योजना 16·14 लाख रुपये

योजनागत 1·50 लाख रुपये

(ख) अनुसंधान कर्मचारी (अतिथि प्राध्यापक गण तथा अध्येयता सहित, जिन्हें वर्ष 1970-71 के दौरान वित्तीय सहायता/आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी)······45

प्रशासनिक कर्मचारी (निदेशक को छोड़कर)

अधिकारी	8
श्रेणी iii कर्मचारी	42
श्रेणी iv कर्मचारी	68

(ग) विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०465/71]**

(घ) शिक्षावृत्तियां निम्नलिखित विषयों में उपलब्ध हैं:—

(1) समाज विज्ञान तथा मानव शास्त्र ।

(2) राजनीति विज्ञान तथा विधि ।

(3) गणित ।

(4) शिक्षा तथा मनोविज्ञान ।

(5) अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य ।

(6) ऐतिहासिक विज्ञान ।

(7) साहित्य एवं भाषा विज्ञान ।

(7) तर्कशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र और

(9) ललित कला ।

(ङ) अब तक 29 प्रकाशन निकाले जा चुके हैं ।

(च) नहीं जी । तथापि केन्द्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं ।

कम्पनियों में सचिवों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन

2522. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि 'मैनेजिंग ऐजेन्सी' प्रथा को समाप्त कर दिये जाने के पश्चात कुछ कम्पनियों ने कम्पनी सचिव के पद के लिए अपने पुराने मैनेजिंग एजेन्टों या पुराने अधिकारियों को, अर्हता प्राप्त न होते हुए भी, उच्च वेतनों पर नियुक्त करके कानून की अवहेलना प्रणिथ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस दृष्टि से कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने हेतु और विधि निर्माण पर विचार कर रही है जिससे कि 20 लाख रुपये या इससे अधिक की पूंजी वाली कम्पनियों को बाध्य किया जा सके कि उनके सचिवालय विभाग में उत्तरदायी पदों पर अनिवार्य रूप से केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कम्पनी कानून को सरकार के संशोधित सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप कब तक बनाया जायेगा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार के नोटिस में ऐसे दृष्टान्त आये हैं, जहां भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्त्ता अथवा सचिव व कोषाध्यक्ष, उनके द्वारा पहले की प्रबन्धित कम्पनियों के सचिव, परामर्शदाता आदि नियुक्त किये गए हैं ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधनार्थ कुछ ऐसे सुझाव, जिससे कि कुछ परिमाण की कम्पनियों के लिए, योग्यता प्राप्त सचिव रखना वांछनीय बनाया जा सके, सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) कम्पनी अधिनियम के संशोधनार्थ अनेक सुझाव अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं ।

'पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज' के निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के सम्बन्ध में, 'कम्पनी कानून बोर्ड' की शक्तियां

2523 **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सरकार ने आय के सम्बन्ध में जो सीमा निर्धारित की है उसके अन्तर्गत 'पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज' के निदेशकों के पारिश्रमिक को कम करने के सम्बन्ध में 'कम्पनी ला बोर्ड' की शक्तियों को 9 मई, 1971 को न्यायालय के एक निर्णय द्वारा मनमाना और रद्द घोषित करार दे दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाल ही में निर्धारित आय की सीमा के अधिक बढ़ रहे कम्पनी के निर्देशकों के पारिश्रमिकों पर नियन्त्रण लगाने के दृष्टिकोण से. मामले को पुन: ठीक करने के लिए सरकार का क्या कानूनी कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) तथा (ख). अपर दोआव शुगर मिल्स लिमिटेड ने अपने दो प्रबन्ध निर्देशकों को, वित्तिय वर्ष के मध्य कम्पनी के शुद्ध लाभ पर, 3·50 प्र० श० कमीशन सहित 5,000 प्रति मास वेतन तथा अन्य परिलब्धियां देने का संकल्प किया था। कम्पनी विधि बोर्ड ने' नियुक्ति तथा वेतन का अनुमोदन करते समय, यह शर्त लगाई कि, वेतन तथा कमीशन के द्वारा, प्रत्येक प्रबन्ध निर्देशक का पारिश्रमिक, 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा । कम्पनी ने प्रतिबन्ध पर, इस आधार पर आपत्ति उठाई कि यह कम्पनी अधिनियम की धारा 198 तथा 309 के उपबन्धों के विरुद्ध है, जिनमें, एब प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निर्देश के लिए, शुद्ध लाभ का 5 प्र० श० तथा एक प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निर्देशक से अधिक होने पर शुद्ध लाभ के 10 प्र० श० तक, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की अनुमति है। दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रभाग बैंच ने, इस विवाद का समर्थन किया तथा घोषणा की कि, प्रशासनीक अधिकतम सीमा, धारा 198 तथा 309 के सांविधिक उपबन्धों के प्रतिकूल होने से, कानून में प्रवृत्तिहीन है। सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का निर्णय किया है. एवं उपयुक्ता के प्रमाणपत्र तथा आन्तरिम रोक के लिये एक प्रार्थना पत्र पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) सरकार कम्पनी अधिनियम के संबंधित उपबन्धों के संशोधन करने का प्रश्न की परीक्षा कर रही है।

कम्पनी अधिनियम 1956 में परिवर्तनों के लिए प्रस्ताव

2524 **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें बदलती हुई

सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से कम्पनी अधिनियम 1956 में मूलभूत परिवर्तन करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पक्षों द्वारा जिन परिवर्तनों की माँग की गई है उनका स्वरूप क्या है;

(ग) कम्पनी विधि में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यह परिवर्तन प्रशासनिक अथवा विधायी कार्यवाही द्वारा कब तक किए जाने की संभावना है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ). कम्पनी अधिनियम, 1956 के संशोधनार्थ, अनेक हितार्थियों से एक वृहद संख्या में सुझाव प्राप्त हुए है । यह सुझाव तथा अन्य समुचित संशोधन अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

Hotels Run by Government in Delhi and Simla

2525. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of Government run hotels in Delhi and Simla at present and the names thereof;

(b) the hotal expenditure incurred on the maintenance as also on the employees of the hotels during the last two years, year-wise; and

(c) the amount of earnings separately from these hotels during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) The India Tourism Development Corporation, a Government-owned company, runs the following hotels in Delhi at present :—

1. The Ashoka
2. The Janpath
3. The Lodhi
4. The Ranjit

No hotel is being run by India Tourism Development Corporation in Simla.

(b) & (c) The expenditure incurred on the pay and allowances of the employees and maintence and gross income from the hotels during 1968-69 and 1969-70 are given below :—

	Maintenance		Pay & allowances of employees.		Gross income	
	19 ,8-69	1969-70	1968-69	1969-70	1953-69	1969-70
			(Rs. in lakhs)			
Ashoka	5·61	6·96	38·46	59 26	151·20	180·08
Janpath	1 30	1·66	22·52	21·73	55·79	68·09
Ranjit	0·65	0·90	8·19	9·20	15·89	52·29
Lodhi	0·35	0·51	7·20	7·98	15·02	21·64

The accounts for 1970-71 have not been finalised yet.

जयपुर का 'बी' श्रेणी के शहर के रूप में विकास

2526. **राजमाता गायत्री देवी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर को 'बी' श्रेणी के शहर के रूप में विकास की योजना 1963-64 से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अभी तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार उसको कब तक क्रियान्वित करने का है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) . सरकार ने दिसम्बर 1963 में जयपुर के पुर्नवर्गीकरण के प्रश्न पर विचार किया था और जयपुर नगर का 1 जनवरी 1964 से 'बी-2' नगर के रूप में पुर्नवर्गीकरण किया था । जयपुर तथा अन्य शहरों एवं नगरों के अब वर्गीकरण/पुर्नवर्गीकरण के लिये 1971 की जनगणना के नतीजों की प्रतीक्षा करनी होगी । जनसंख्या के अन्तिम आकड़े अभी आने हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कार्यभार

2527. **श्री मनोरंजन हाजरा** :क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में केवल 0·5 प्रतिशत वृद्धि हुई थी;

(ख) क्या इसी अवधि में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कई गुणा बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह स्थिति अधिक व्यय न करने के उद्देश्य से वर्तमान कर्मचारियों को अधिक काम सौंपने अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) कार्य की कुल मात्रा में घट-बढ़ हुई है उसका यथार्थ निर्धारण, भिन्न-भिन्न विभागों में एक अवधि तक कार्य की मात्रा का अध्ययन करके ही किया जा सकता है । स्थिति जैसी है उसको देखते हुए, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य-भार में एक वर्ष की अवधि में हो सकने वाली घट-बढ़ का सही निर्धारण करना सम्भव नहीं है ।

(ग) वर्ष 1968–69 में निम्न दर पर वृद्धि कई कारणों के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम हो सकती है । अंशतः ऐसा, सरकार द्वारा अपनाये गये मितव्ययिता के विभिन्न उपायों के कारण हुआ हो सकता है, जैसे चतुर्थ श्रेणी के पद निर्माण पर प्रतिबन्ध और श्रेणी 111 के पदों पर भरती पर रोक । इन उपायों का उद्देश्य यह था कि अनुत्पादक प्रशासनिक व्यय में वृद्धि को रोका जाय और वर्तमान कर्मचारियों का अधिक उत्कृष्ट उपयोग हो सके ।

मारमुगाव बन्दरगाह में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की नियुक्ति

2528. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारमुगाव बन्दरगाह, गोआ में, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियुक्त कर दिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बंध में भारमुगाव पोर्ट ट्रस्ट एण्ड डोक वर्कस यूनियन की ओर से कोई विरोध-पत्र मिला है,

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त बन्दरगाह से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हटाने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । भारमोगाओं पतन में पहरा और निगरानी कार्य 1 फरवरी, 1971 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को आंशिक रूप से सौंपा गया था और बल को चरणों में मारमोगाओं पतन में प्रवेश कराया गया है । मारमोगाओं में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की वर्तमान संख्या एक सहायक कमान्डेंट, एक इन्सपैक्टर दो सब-इन्सपेक्टर एक हैड सीक्योरिटी गार्ड, चवालीस गार्ड और फोनोवर है ।

(ख) पतन न्यास को एक विरोध पत्र मिला है ।

(ग) और (घ) सरकार पहले लिए गये निर्णय को संशोधित करने में कोई औचित्य नहीं समझती है ।

संघ राज्य क्षेत्रों के हाई स्कूलों और कालेजों और सेंट्रल स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का हटाया जाना

2529. श्री ब्रजराज सिंह कोटा : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों और कालेजों से और सेन्ट्रल स्कूलों से शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम हटाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सम्बन्धित संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर यथासम्भव रख दी जाएगी।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है शिक्षा का माध्यम हिन्दी और अंग्रेजी है ? तदनुसार विज्ञान तथा गणित विषय अंग्रेजी में पढ़ाये जाते हैं। इन विषयों के शिक्षा के माध्यम के रूप में केन्द्रीय स्कूलों में अंग्रेजी को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत में शिशु कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि सहायता

2530. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में शिशुओं के किन्हीं कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आपात निधि की ओर से कोई नई सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है और किन शर्तों पर ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष के कार्यकारी बोर्ड के 1971 के सम्मेलन ने परियोजनाओं और कार्यक्रमों के हेतु विभिन्न अवधियों के लिए कुल 1,01,27,000 डालर की नई सहायता स्वीकार की थी, जिसमें से बोर्ड ने 1971/72 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए 60,60,000 डालर का आवंटन मंजूर किया था:—

	अमरीकी डालर
1. ए० एन० एम० प्रशिक्षण (परिवार नियोजन)	13.15,000

2.	विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम (स्कूलों के बच्चों के लिए)	33,54,000
3.	"ओपेरेशन फ्लड" (भारत में नगर दूध योजनाएं)	9,40,000
4.	भारत में पोषाहार प्रशिक्षण	1,91,400
5.	भारत में चुने हुए शहरी क्षेत्री में बच्चों के लिए समेकित सेवाएं ।	1,60,000
		60,60,4000

सहायता संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष द्वारा साज सामान और पूर्तियों के रूप में परियोजनाओं/कार्यक्रमों में सरकार और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष द्वारा आपस में स्वीकार की गई पद्धति के अनुसार उपयोग के लिए दी जाती है ।

Realisation of Excise Duty and Income Tax from Textiles Mills in Indore

2531. **Shri Phool Chand Verma :** Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) the number of cotton and textile mills in Indore district (Madhya Pradesh) and the names of their Managing Directors;

(b) the amount of excise-duty realised by the Central Government from the said mills during the last three years;

(c) the amount of Income-tax realised by the Central Government from the parties which are running these mills during the said period;

(d) the amount of Income-tax and excise-duty outstanding against them upto December, 1970;

(e) Whether the accounts of the said mills have been audited; and

(f) if so, the designation of the senior officer who audited their account and When ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K R. Ganesh) : (a) There are seven Cotton textile mills in Indore district of Madhya Pradesh as listed below with the names of their Managing Directors.

Names of the Mills	Names of the Managing Directors
Hukamchand Mills	Shri Manna LaL Agarwal
Kalyanmal Mills	Shri R. C. Jall
Rajkumar Mills	Shrl G. B. J. Seth
K.,B. Mills	Shri S, N. Bhandari
Indore-Malwa United Mills	Shri K. G. Saksaria

Names of the Mills	Names of the Managing Directors
Swadeshi Cotton and Flour Mills, & Nand LaL Bhandari Mills,	Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) The amount of excise duty realised from these mills during the last three years is as follows ;—

Year	Amount of Excise duty realised
1968-69	Rs. 1,86,89,099
1969-70	Rs. 1,73,11,152
1970-71	Rs. 1,70,69,863

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(d) The amount of excise duty outstanding against these mills upto December, 1970 is Rs. 2,62,096. Information regarding the amount of Income-tax outstanding against these mills is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(e) Yes, Sir.

(f) The accounts relating to the production and clearance of excisable goods as also payment of Central excise duty by the Mills were audited by the Accounts officers of the Accountant General, Madhya Pradesh on the following dates:—

Names of the Mills	Dates
Hukamchand Mills	51·1971
Kalyanmal Mills	26.11.1969
Rajkumar Mills	16.11·1970
K. B. Mills	25.2.1971
Nand Lal Bhandari Mills	25·2.1971
Irdore-Malwa United Mills	23.12.1969
Swadeshi Cotton and Flour Mills	6.11.1970

Departmental audit of the accounts relating to the production and clearance of excisable goods as also payment of Central Excise duty by these Mills had also been done between February to May, 1971 by the Examiner of Accounts, or Superintendents of Central Excise, Inspection Group.

तस्करों को सजा

2532. श्री राजदेव सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय मामलों में केवल तस्कर किया हुआ माल तो पकड़ लिया जाता है और तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तस्कर व्यापार को 'बिना जमानत का बिल जुर्म' बनाने और तस्करी के आरोपों में पकड़े गये व्यक्तियों को कठोर सजा देने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जिन मामलों में तस्कर-आयात के माल का मूल्य कम होता है, उनको छोड़कर तस्करों को गिरफ्तार करने के सभी व्यावहारिक उपाय किये जाते हैं ।

(ख) तस्कर व्यापार से सम्बन्धित अपराधों के लिये सीमाशुल्क अधिनियम 1962 में निर्धारित दण्ड काफी कठोर है । माल को जब्त करने के अतिरिक्त, तस्कर-व्यापार से सम्बन्धित व्यक्ति पर माल के मूल्य का पांच गुना दण्ड लगाया जा सकता है । इसके अलावा, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 के अधीन इस्तगासे की कार्यवाही करके तस्कर व्यापार करने वाले को दो साल की कैद की सजा दी जा सकती है । ऐसे माल से सम्बन्धित अपराधों के मामले में जिन पर धारा 123 लागू होती है (अर्थात् सोना, हीरे, सोने अथवा हीरों की बनी वस्तुएं, घड़ियां, प्रसाधन-सामग्रियां, मैकेनिकल लाइटर तथा उनके लिए चकमक पत्थर, ताश, ब्लेड, सिगरेट, ट्रांजिस्टर, तथा डायोड्स, संश्लिष्ट धागा तथा धातु का धागा, पूर्णतया अथवा मुख्यतया संश्लिष्ट धागे के बने वस्त्र), अगर तस्कर-आयात के माल का भारतीय बाजार मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो तो पांच साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है । पांच साल की इस कैद के उपबन्ध के कारण तस्कर-व्यापार के ऐसे सभी मामलों में से अपराध दण्ड-प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार पहले ही ऐसे हैं जिनकी जमानत नहीं दी जा सकती है ।

बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋणों पर अधिक ब्याज लिया जाना

2533. **श्री एम० कतामुतु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब बैंक उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत की दर से ब्याज ले रहे हैं; और

(ख) क्या उद्योगों के विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). बैंक दर के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिये जाने के पश्चात् वाणिज्यिक बैंकों ने भी अपनी ब्याज की दरें फिर से निर्धारित कर दीं । इस समय बड़े-बड़े बैंक सामान्यतः बड़े और लघु उद्योगों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को देखते हुये, क्रमशः $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक और 9 प्रतिशत से $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक ब्याज ले रहे हैं । यह भी सम्भव है कि कुछ मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए, 13 प्रतिशत की दर पर भी ब्याज लिया गया हो ।

अधिकांश मामलों में ब्याज की दरों में वृद्धि केवल मामूली है और उद्योगों के कुल व्यय की तुलना में ब्याज की दर में वृद्धि का अनुपात ऐसा कोई विशेष नहीं है कि उसका उद्योग के विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

2535. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस आशय के अनुदेश दिये थे कि 500 रुपये तक मूल वेतन वाले पदों की भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी चाहिए;

(ख) क्या यह अनुदेश उड़ीसा में सभी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा संस्थानों में लागू किया जा रहा है;

(ग) क्या इसी प्रकार के अनुदेश हिन्दुस्तान एरानोटिक्स लिमिटेड, सूनाबडा को दिये गये हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के नाम इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि जिन पदों का मासिक वेतन 500 रुपये से अधिक न हो, उन सभी पदों की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाय और अन्य स्रोतों का सहारा केवल उसी हालत में लिया जाए जबकि सम्बद्ध रोजगार कार्यालय 'अप्राप्यता का प्रमाणपत्र' दे दें ।

(ख) उपर्युक्त अनुदेश केवल केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों पर ही लागू होते हैं; इनमें वे उपक्रम भी शामिल हैं जो उड़ीसा में स्थित हैं । इसी तरह के अन्य अनुदेश भी दिये गये हैं कि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों की भर्ती करने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालयों का उपयोग किया जाना चाहिये । जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का सम्बन्ध है, वे नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959 में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार, अपने रिक्त पद रोजगार कार्यालय को अधिसूचित करते हैं और रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों के मामले में सम्यक रूप से विचार करते हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

तस्करों पर मुकदमें चलाया जाना

2536. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :
श्री नुग्घल्ली शिवप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969–70 में कितने तस्करों को पकड़ा गया; और

(ख) इसी वर्ष में उनमें से कितने तस्करों को रिहा किया गया और कितने तस्करों पर मुकदमा चलाया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बाल अपराध के सम्बन्ध में 'सेन्ट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज' द्वारा किया गया विश्लेषण

2537. **श्री भान सिंह भौरा** :
श्री रोबिन सेन :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेन्ट्रल ब्यूरो आफ करेक्शनल सर्विसेज' द्वारा अपराध और सजा के बारे में किये गये विश्लेषण से पता चला है कि कारावास में हर पांचवा व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है;

(ख) देश पें बाल अपराध में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त समस्या को सुलझाने के लिये सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सुधार सेवाओं के केन्द्रीय ब्यूरो के पास 1961 से 1965 तक की कालावधि के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़ों से पता चला है कि कारावास की सजा पाने वाले 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या 1961 में 17·1% तथा 1962 में 18·8% थी । यह प्रतिशतता 1965 में घटकर 17·6% हो गई थी ।

(ख) अपराध और अपचार के हेतु विज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न बातें आती हैं । तो भी, मुख्य बातें आबादी में बढ़ोतरी, तेजी से हो रहा नगरीकरण तथा व्यापक बेरोजगारी प्रतीत होती है ।

(ग) सामाजिक रक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों पर है । तो भी समाज कल्याण विभाग बाल अधिनियम, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम और बोर्स्टल स्कूल अधिनियम को अधिनियमित करने, उन्हें लागू करने और उनके अधीन सेवाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करता रहा है । यह विभाग किशोर अपचार को रोकने के हेतु बच्चों के लिए कल्याण सेवाओं को शुरू करने और इन्हें बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकारों से अनुरोध करता रहा है ।

Appointment of Lower Division Clerks in Income Tax Department, Patna

2538. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether prior to 1964, knowledge of typing was compulsory for appointment to the posts of Lower Division Clerks in the Income-Tax Department at Patna;

(b) Whether Government had withdrawn this condition in 1964;

(c) Whether appointments to these posts were made on this basis during the years 1966 and 1968;

(d) If so, the justification for reintroducting the said condition in regard to appointment during 1971; and

(e) Whether some capable candidates were dropped on this basis in the Income Tax Department at Patna and if so, their number ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government amended the instructions in Home Ministry's Memo No. 15/3/73—Estt (D), dated 13 th July, 1964 to the effect that though it is considered essential that Lower Division Clerks should possess typing qualification, it has now been decided that in future for entering into service under the Government of India, possession of typing qualification need not be insisted upon in the case of Lower Division Clerks, but the persons so appointed will neither be eligible to draw increments in the pay scale nor will they be entitled to confirmation in the grade till they acquire the prescribed speed of 30 w. p. m. in typing.

(c) Yes, Sir. Appointments in 1966 and 1968 were made on the basis of the Home Ministry's O. M. referred to in Part (b).

(d) The condition of qualification in typing has not been re-introduced with reference to appointment during 1971. However, those who qualified in typing were preferred to those who did not qualify in typing and the latter have been kept in the waiting list for future appointments.

(e) A few candidates who failed in the typing test have not yet been appointed. This was because the Commissioner misinterpreted the instructions. These candidates will be absorbed against future vacancies.

The number is six.

जामियामिलियां विश्वविद्यालय प्रांगण में दुर्घटनाओं में मरे व्यक्ति

2539. **श्री अचल सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से गरीब व्यक्ति जामियां मिलियां विश्वविद्यालय नयी दिल्ली के प्रांगण

मैसर्स नियमतुल्ला एण्ड परमजीत सिंह द्वारा चलाई जाने वाली पत्थर खानों की ट्रकों की दुर्घटनाओं के कारण मर गये,

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसी दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मरे थे,

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि नहीं इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार जामियां-मिलियां विश्वविद्यालय प्रांगण में गत तीन वर्षों (1968–69, 1969–70 और 1970–71) में कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई। ओखला सड़क जो एक पहुंच मार्ग है और उस प्रांगण की मुख्य सड़क है, पर उपरोक्त समय से चार घातक दुर्घटनायें हुई। परन्तु मैसर्स नियामतुल्ला प्रेमजीत सिंह एण्ड कम्पनी, जमना सेन्ड सप्लाई कम्पनी, ओखला इनमें से किसी भी दुर्घटनाओं में अन्तग्रस्त नहीं है।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित दुर्घटनाओं में चार आदमी मारे गये हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि जिलाधीश, दिल्ली ने विद्यालय पहुंचने तथा वहां से रवानगी के समय विद्यालय के बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओखला सड़क पर 7·00 बजे प्रातः काल से 8·30 से प्रातः काल तक तथा 1·30 से सांयकाल से 2·30 सांय काल तक भारी परिवहन गाड़ियों की यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है और फिर सारी ओखला सड़क पर सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों के लिए सामान्य गति मीमा 40 कि० मी० तथा अधिक की तुलना में 30 कि० मी० की गति पर गति सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया है

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हीरा बककारी सेवा आरम्भ करना

2540. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशिष्ट हीरा बेककारी सेवा आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय कर लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : हीरे के व्यापार के लिए वर्तमान बैंकिंग सुवि-

धाओं में सुधार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

जिलों में मार्गदर्शी बैंकों का खोला जाना

2541. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता देने के लिये देश के प्रत्येक जिले में एक मार्गदर्शी बैंक के खोले जाने के लिये अनुमति दे दी है;

(ख) क्या बिहार के दरभंगा जिले में इस प्रकार का एक बैंक चालू है;

(ग) उक्त बैंक से किसान किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का उपप्रभाग (सब डिवीजन) स्तर पर भी इसकी शाखाएं खोलने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो इस विचार को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) दिसम्बर, 1969 में बनायी गयी बैंक नेतृत्व योजना के अन्तर्गत, भारतीय संघ के लगभग सभी जिले, जिनमें बिहार का दरभंगा जिला भी शामिल है, वर्तमान एक या दो बड़े बैंकों (अधिकतर सरकारी क्षेत्र के बैंकों) को सौंप दिये गये हैं जिन पर प्रत्येक जिले में बैंकिंग कार्यों की गति में वृद्धि करने की मुख्य जिम्मेदारी होती है।

नेता बैंक का एक प्रमुख कार्य सम्बन्धित जिले में सर्वेक्षण करना और ऋण-सुविधा के अभाव वाले क्षेत्रों का पता लगाना तथा कृषि सहित अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं बनाना है।

अभी यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि किसी विशेष जिले में कृषकों को बैंक नेतृत्व योजना से किस सीमा तक लाभ पहुंचा है। नेता बैंक का पहला कार्य उन विकासक्षम केन्द्रों का पता लगाना होता है जिनको बैंक सुविधाओं की तुरन्त आवश्यकता है, ताकि ऐसे सभी केन्द्रों में बैंक के कार्यालय खोलने की आयोजनाएं तैयार की जा सकें। जिले के आन्तरिक भाग में बैंकों की शाखाएं खुल जाने से कृषि और अन्य क्षेत्रों को सहायता प्राप्त होने लगेगी।

दरभंगा जिले का नेता बैंक, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया है। जून, 1969 में दरभंगा में वाणिज्यिक बैंकों के 17 कार्यालय थे; अब वहां वाणिज्यिक बैंकों के 24 कार्यालय हैं जिनमें से 8 नेता बैंक के हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 1971 में 10 और कार्यालय खोलने का विचार है, जिनमें से 4 नेता बैंक द्वारा खोले जायेंगे।

उप-प्रभागस्तर पर नेता बैंकों के कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु नेता

बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जिलों में प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व रखेंगे, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी समुचित रूप से निभा सकें।

Housing Loan Facilities by L. I. C.

2542. **Shri Bharat Singh Chauhan :** will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) Whether the Life Insurance Corporation has decided to provide housing loan facilities at each of its 480 centres; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b). Yes, Sir, The LIC's "Property Mortgage" Scheme and "Own Your Home" Scheme which provide loan finance for housing are in operation at all places where it has either a Branch office or a Sub-office. They are also in operation at a few other selected Centres where the LIC does not have any office. The total number of Centres where the Schemes are in operation is 423.

स्कूल तथा कालेजों में सेमेस्टर प्रणाली

2543. **श्री बी॰ के॰ दास चौधरी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्कूलों तथा कालेजों में सेमेस्टर प्रणाली अपना ली है,

(ख) क्या इन राज्यों ने स्कूलों तथा कालेजों में सेमेस्टर प्रणाली अपनाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था, और

(ग) यदि हां तो इस प्रणाली को अपनाने के लिए इन राज्यों ने क्या कारण बताये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी॰ पी॰ यादव) : (क) से (ग) स्कूल तथा कालेजों में सेमेस्टर (अर्ध वार्षिक प्रणाली को आरम्भ करने का निर्णय सम्बन्धित माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालयों को सामर्थ्य में हैं, और वे भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करें अथवा न करें। उपलब्ध सूचना के आधार पर उन विश्वविद्यालयों/संस्थानों के नाम, जिन्होंने सेमेस्टर (अर्धवार्षिक)/त्रैमासिक प्रणाली आरम्भ कर दी है, संलग्न विवरण में उल्लिखित है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल॰ टी॰ 466/71]**

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त हुए ऋण

2545. **श्री नघुल्ली शिवप्पा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में वर्षवार विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों

के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है, और

(ख) ऋणों की अदायगी के सम्बन्ध में ब्याज सम्बन्धी तथा अन्य दूसरी शर्तें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 467/71]

U. G. C. Grants To Universities in Bihar

2546. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state ;

(a) Whether in 1970-71 the University Grants Commission had given any grants to the Universities functioning in Bihar State, if so, the amount thereof;

(b) Whether the Universities have utilised the full amount given to them; and

(c) if not, the extent of shortfall and the reasons for not utilising the full amount ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education And Social welfare And in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) A statement showing grants paid to Universities in Bihar State during 1970-71 by the University Grants Commission is attached.

(b) & (c) The position about full utilization of grants as also the extent of shortfalls, if any would be known on receipt of the report on the Progress of expenditure by 31st August 1971 by which time the statements of unspent balances are required to be submitted by the Universities.

Statement	Rs.
1. Indian School of Mines, Dhanbad	1,19,296
2. Bhagalpur University	4,14,189
3. Bihar University	11,13,667
4. K. S. Darbhanga Sanskrit Vishwavidalaya	15,304
5. Magadh University	9,55,478
6. Patna University	22,51,098
7. Ranchi University	9,08,263

गुजरात के तटवर्ती राजपथों का बीच में अधूरा होना

2547. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के तटवर्ती राजपथों का बीच में अधूरा होने का विवरण क्या है; और

(ख) इस अधूरे भाग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) . संभवत: माननीय सदस्य बड़ौदा कैम्बे-भावनगर-वैरवाल-पोरबन्दर-ओखा मलिया मार्ग के साथ-साथ विकास के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित तटीय राजमार्ग, जो बड़ौदा को मलिया से जोड़ता है, का उल्लेख कर रहे हैं। यह राज्य की सड़क है तथा गुजरात सरकार इसके विकास के लिए मुख्यत: सम्बन्धित है। कुछ समय पूर्व उनसे प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उपरोक्त तटीय राजमार्ग पर निम्नलिखित लुप्त सड़क खण्ड है :

(1) उमेता-धुवारन	25 मील
(2) पोरबन्दर कुरंगा	44 मील
(3) धरोल-मलिया	50 मील

2. बड़ौदा से मलिया तक सकल लम्बाई में 35 लुप्त या कमजोर पुलों की सूचना मिली थी।

3. जनवरी, 1971 में इस सड़क पर हाथ में लिये जा रहे निम्नलिखित कार्यों के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को 100 प्रतिशत ऋण देने की सम्मति दी थी।

कार्य का नाम	लम्बाई मीलों में या पुलों की संख्या	लागत (लाख रु०)
1. धुवारन-उमेता (लुप्त खंड)	25	50.00
2. मिमानी-कुरंगा (लुप्त खंड)	23	50.00
पोरबन्दर ओखा खंड		
1. भोगात के पार पुल 2. नवादाना के पार पुल 3. खारी के पार पुल 4. कालीपार के पार पुल 5. नेतर क्रीक पर काजवे के स्थान पर पुल 6. विसावदा के पार पुल 7. किन्नूरी के पार पुल	7 पुल	43.00
	कुल	143·00

इसके अतिरिक्त, बड़ौदा-भावनगर खंड के भाग (भावनगर- खिलयारी 22 मील) का विकास राज्य की केन्द्रीय सड़क निधि नियतन लेखों में से पहले ही प्रगति पर है।

सौराष्ट्र क्षेत्र की भील जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता

2548. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र की 'भील' जाति को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जाता है;

(ख) क्या गुजरात के कुछ भागों के 'भील' जाति को अनुसूचित जनजाति माना जाता है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात के बहुत से 'भील' संगठनों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उक्त सौराष्ट्र क्षेत्र की भील जाति को अनुसूचित जनजाति समझा जाये; और

(घ) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) . राजकोट क्षेत्र को छोड़कर गुजरात राज्य में भील जाति एक अनुसूचित जाति है। इस अन्तर का कारण यह है कि वर्तमान गुजरात राज्य में वे क्षेत्र शामिल हैं जो राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व अलग राज्यों के भाग थे। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित आदिम जातियां सूचियाँ (आंशोधन आदेश, 1956, में, जिसे पुनर्गठन के बाद जारी किया गया था, सूचियों में संशोधन नहीं किया गया था केवल राज्य पुनर्गठन द्वारा क्षेत्रीय परिवर्तनों के आधार पर उनमें आशोधन किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) उस विधेयक में जिसे सरकार ने पिछली लोक सभा में प्रस्तुत किया था, भील जाति को सारे गुजरात राज्य में अनुसूचित आदिम जाति दिखाया गया है।

कोचीन विश्वविद्यालय की स्थापना

2549. **श्री बयालार रवि**: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कोचीन विश्वविद्यालय के नाम से किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है,

(ख) क्या केरल सरकार अथवा केरल विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोचीन विश्वविद्यालय के लिए किसी वित्तीय सहायता की मांग की है, और

(ग) यदि हां, तो सहायता के रूप में मांगी गई धन राशि कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोचीन विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई, औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व युवक केन्द्र नई दिल्ली को सहायता तथा अनुदान

2550. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विश्व युवक केन्द्र नई दिल्ली को किस प्रकार की सहायता तथा अनुदान दिये हैं,

(ख) इन केन्द्रों को विदेशों से तथा अन्य दूसरे किन सूत्रों से कितनी सहायता प्राप्त हो रही है, और

(ग) क्या इस केन्द्र के ट्रस्टी बोर्ड में सरकार का कोई प्रतिनिधि है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) (I) अन्तर्राष्ट्रीय गृह तथा छात्रावास भवन निर्माण के हेतु 2,149 एकड़ के माप का एक भू-खंड रियायती दर पर दिया गया था ।

(II) छात्रावास मांग के निर्माण हेतु 6,00,000/-रुपये का अनुदान दिया गया था ।

(III) गैर छात्र युवकों के लिये एक वर्कशाप के संचालन हेतु 23,000/- रु० का अनुदान दिया गया था ।

(ख) केन्द्र समय समय पर विदेश से भी सहायता प्राप्त करता है । वर्ष 1971 के दौरान केन्द्र को निम्नलिखित सहायता प्राप्त होने की संभावना है :—

(I) **यूनेस्कों से** : एशियाई युवक उपस्थापन केन्द्र तथा अनुदान कार्य के लिए 11,946 रुपये ।

(II) **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान बोन से**:—प्रशिक्षित कार्यक्रमों, उपकरण तथा फर्नीचर और कार्यक्रम परामर्शदाता की सेवाओं के रूप में भी 3,56,748/-रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त की गई सहायता

2551. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वयुवक केन्द्र, नई दिल्ली को बौन में एडेन्योर फाउन्डेशन को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता सहयोग संस्था के माध्यम से कोई धन प्राप्त हो रहा है ।

(ख) यदि हाँ, तो सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) सहायता की शर्तें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) . विश्व युवक केन्द्र के प्राधिकारियों ने सरकार को यह सूचित किया है कि केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, बोन से सहायता प्राप्त कर रहा है।

1967–70 वर्षों के दौरान केन्द्र ने उपस्कर खरीदने के लिए रु० 1,66,840·33, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए रु० 5,83,071·96 रु० और पुस्तकालय के लिये पुस्तकें तथा पत्रिकायें खरीदने के लिये 1,59,426·88 प्राप्त किए हैं ।

इसके सिवाय कोई अन्य शर्तें नहीं हैं कि राशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाना चाहिए जिनके लिए अनुदान दिए गए हैं और लेखों को परीक्षा पंजीकृत सनदों लेखपाल द्वारा की जानी चाहिए ।

विश्व युवक केन्द्र का ट्रष्टो बोर्ड

2552. **श्री सी० के चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वयुवक केन्द्र, नई दिल्ली के ट्रष्टो बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है; और

(ख) क्या श्री मोरारजी देसाई के पुत्र श्री कान्ति देसाई कभी ट्रष्टो बोर्ड के सदस्य थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). विश्व युवक केन्द्र के प्राधिकारियों ने सरकार को सूचित किया है कि ट्रष्टो बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री मोरारजी देसाई हैं, और श्री कांति देसाई इस बोर्ड के सदस्य कभी भी नहीं रहे हैं ।

भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र को प्राप्त हुए जानकारी मांगने वाले पत्र और आवेदन पत्र

2553. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र नई दिल्ली, को प्राप्त हुए जानकारी मांगने वाले पत्रों और आवेदन पत्रों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र सरकार द्वारा मंजूर किये गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). भारतीय निवेश केन्द्र (इसके समुद्रपारीय कार्यालयों सहित) को पिछले तीन वर्षों के दौरान, विदेशी और भारतीय उद्यमकर्ताओं से, सामान्य जानकारी और विशिष्ट प्रस्तावों से सम्बद्ध जानकारी के लिए जो पूछताछ पत्र प्राप्त हुए उनकी संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1968–69	1219
1969–70	1643
1970–71	2859

केन्द्र कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं करता ।

(ख) विदेशी निवेश से सम्बद्ध ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिनसे केन्द्र सक्रिय रूप से सम्बद्ध था और जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो गया था :—

		(लाख रुपयों में)	
	प्रस्तावों की संख्या	**कुल निवेश**	**विदेशी अंशदान**
1968–69	16	416·0	188·7
1969–70	10	730·0	98·0
1970–71	29	9266·7	1018·2

इम्फाल के तुलिहिल हवाई अड्डे पर सुविधाओं का अभाव

2554. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इम्फाल के तुलिहल हवाई अड्डे पर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए अत्यावश्यक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो कई वर्षों से चली आ रही इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां ।

(ग) तुलीहाल हवाई अड्डे पर यात्री विश्रामकक्ष (पैसेंजर लाउंज) के विस्तार के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

मनीपुर में प्रारम्भिक स्कूलों के अन्दर स्कूल के मदर का वेतन मान

2555. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मनीपुर सरकार द्वारा चलाये जा रहे प्रारम्भिक स्कूलों की स्कूल मदर्स के वर्तमान निश्चित वेतन के संस्थान पर वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में मदर्स में बहुत दिनों से चले आ रहे असंतोष की जानकारी है, और

(ग) नया वेतनमान कब तक लागू होने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना मणिपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मनीपुर में पर्यटन का विकास

2556. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने मनीपुर को और अधिकाधिक पर्यटक आकर्षित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) मनीपुर में पर्यटक केन्द्रों के विकास तथा पर्यटक सुविधायें प्रदान करने के लिये चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धन राशि व्यय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) चौथी योजना के दौरान और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये मणिपुर सरकार हाथ में ली जाने वाली स्कीमों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) योजना आयोग ने राज्यीय योजना में पर्यटन स्कीमों के लिए 2·35 लाख रुपये की व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया है ।

विवरण

चौथी योजना के दौरान मणिपुर सरकार द्वारा हाथ में ली जाने वाली पर्यटन स्कीमें

1. केना में रास मण्डल का निर्माण ।
2. वैथान में एक पर्यटक गृह का निर्माण ।
3. लोकटक में मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था ।
4. सेन्द्रा तथा फनबाला पर्यटक गृहों का सुधार ।

5. इम्फाल में एक पर्यटक गृह का निर्माण ।

6. चाकपिकारंग फिशिंग लौज का पुननिर्माण ।

7. पर्यटन प्रचार ।

8. कर्मचारी-वर्ग ।

मनीपुर में उड़ाकू प्रशिणार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

2557. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के नागर विमान उड़ाकू प्रशिक्षणार्थियों ने मनीपुर सरकार से छात्रवृतियां देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृतियां मिल गयी हैं और कितनों को मिलने की संभावना है; और

(ग) ऐसी छात्रवृतियां देने के लिए सरकार ने क्या कोई नियम बनाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). जी, हां । केवल एक प्रशिक्षणार्थी ने मणिपुर सरकार से अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये आर्थिक सहायता मांगी थी । उसे 5000/– रुपये छात्रवृति के रूप में दिये गये हैं ।

(ग) जी, हां । मणिपुर सरकार ने उड़ान-छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये नियम बनाये हैं जिनका भारत सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ।

मनीपुर में शिक्षा के प्रशासकीय ढांचे में सुधार करना

2558. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनिपुर को पांच जिलों में बांटे जाने के बाद वहां शिक्षा के प्रशासकीय ढांचे में लागू किये गए सुधारों की मुख्य बातें क्या हैं,

(ख) क्या जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए स्कूल निरीक्षकों के और पद बनाए जा रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा, और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार उपनिरीक्षकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के रूप में कार्य करते रहने से संतुष्ट है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना मणिपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है, और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

जीवन बीमा निगम यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य दूसरे वित्तीय संस्थाओं द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनियों के शेयरों पर खर्च की गई राशि तथा इन्हें दिये गये ऋण

2559. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया भारतीय वित्त निगम राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य दूसरे केन्द्रीय सार्वजनिक संस्थानों द्वारा इन्डियन आयरन एण्ड स्टील तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनियों के शेयरों की खरीद पर तथा ऋणों के रूप में दी गयी कुल धन राशी क्या है;

(ख) क्या इन सभी राशियों को इक्विटी शेयरों के रूप में बदल दिया जायेगा और उक्त कम्पनियों के प्रबन्ध में सामानुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जायेगा, और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें मांगी गई सूचना दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 468/71]**

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी के लिए स्वीकृत विदेशी मुद्रा ऋण और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इण्डिन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी के लिए स्वीकृत रुपया ऋण में रुपान्तरणीयता का विकल्प नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऋण सरकार द्वारा सरकारी वित्तीय संस्थाओं के लिए उन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले मंजूर किये गए थे, जिनमें इन संस्थाओं के ऋण सम्बन्धी लेनदेनों में रुपान्तरणीयता की धारा शामिल है । भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन दोनों कम्पनियों के लिये ऋण की जो व्यवस्था की गई थी वह कार्यचालन पूंजी के प्रयोजन के लिए है । कार्यचालन पूंजी के लिये दिये जाने वाले ऋणों की स्वीकृत सीमा का हर वर्ष या इससे पहले भी नवीकरण किया जाता है । कार्यचालन पूंजी के लिए दिये जाने वाले ऋण माँगे जाने पर वापस करने होते हैं । इसलिये, इस प्रकार ऋणों का सामान्य शेयर पूंजी में रुपान्तरण किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जहां तक कम्पनियों के प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, जीवन बीमा निगम का एक प्रतिनिधि इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी के निर्देशक-मण्डल का सदस्य है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है । इन दोनों कम्पनियों में एक सरकारी निर्देशक है जो एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है ।

उड़ीसा के लोगों पर आय कर की बकाया राशि

2560. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में, ऐसी कम्पनियों, व्यक्तियों के उनके व्यक्तिगत रूप में अथवा किसी कम्पनी के निर्देशक के रूप में अथवा जिसका ये आर्थिक रूप में कम्पनी से कोई सम्बन्ध है, नाम क्या है जिनपर 31 मार्च 1971 को आयकर की 20,000 रु० से अधिक की राशि बकाया थी ।

(ख) दोषियों के नामों को प्रकाशित करने के लिए गत तीन महीनों के दौरान सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) उन कम्पनियों और व्यक्तियों के नामों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना, जिन पर आयकर आयुक्त, उड़ीसा के अधिकार-क्षेत्र में 31-3-1971 को 20,000 रु० से अधिक का आयकर बकाया था, एकत्रित की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

(ख) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अनुसार सरकार ने आयकर आयुक्तों को उन चूककर्ताओं के नाम तथा अन्य विवरण प्रकाशित करने का अधिकार दे दिया है, जिनकी ओर विशिष्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुछ मागें बकाया होती है । ऐसा प्रकाशन समय-समय पर किया जा रहा है । 31 मार्च, 1971 को समाप्त वर्ष के लिये चूककर्त्ताओं के नामों का अपेक्षित प्रकाशन यथासमय कर दिया जाएगा ।

(ग) इन बकाया रकमों को वसूल करने के लिए, कानून सम्मत सभी ऐसे उपाय, और हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुये किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में "चिलका झील" के विकास हेतु कार्यवाही

2561. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में 'चिलका झील" के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) उक्त स्थान पर मनोरंजात्मक सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए दो लाख रुपये की जिस राशी पर वचन दिया गया था क्या केन्द्रीय सरकार ने यह धन-राशी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) रम्भा में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया गया है ।

(ख) चिलका झील पर आमोद-प्रमोद की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 3 लाख रुपये का अन्तिम धन-विनियतन किया गया था। किन्तु चौथी योजना के परिव्यय में जबरदस्त कमी किये जाने के फलस्वरूप प्राथमिकताओं में एक कठोर क्रम का परिपालन, तथा भाग 11 की स्कीमों को समाप्त करना, अनिवार्य हो गया, अतः चिलका में आमोद-प्रमोद की सुविधायें प्रदान करने की योजना को छोड़ देना पड़ा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपलों का वेतनमान

2562. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसीपलों के वेतनमान 27 मई, 1970 से पुनरीक्षित किये गये हैं, और

(ख) यदि हां तो उक्त पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान पद का वर्गीकरण चयन अधिकारी नियुक्ति अधिकारी कौन है और भर्ती सम्बन्धी नियम क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) परिशोधित वेतन-मान 700–1100 रुपये है। पद सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग है। वेतन-मानों के परिशोधन के परिणामस्वरूप चयन अधिकारों सहित पद के लिए संशोधित नियुक्ति नियम इत्यादि विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की अधिक शाखाओं का खोला जाना

2563. **श्री राज देव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की उत्तर प्रदेश में कुछ और शाखाएं खोलने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो जिला-वार उनकी क्या संख्या है ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 469/71**]

आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा कानपुर में छापा मारा जाना

2564. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने 26 मई, 1971 को कानपुर में छापा मार कर एक व्यापारी से एक लाख रुपया और कुछ दस्तावेज बरामद किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) जी, हां। 89,969 रुपये की नकदी और कुछ कागजात पकड़े गये।

(ख) मामले की अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए समान वेतनमानों तथा सेवा की शर्तों की मांग

2565. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आलइंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सीटी कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन" ने 26 मई, 1971 को उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवृत्त बहुसंख्यक वेतनमानों को समाप्त किया जाये और समान सेवा शर्तें लागू की जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री को 22 मई, 1971 को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक महासंघ ने एक समान चालू ग्रेडों और सभी कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए एक जैसी सेवा शर्तों की मांग पेश की थी।

(ख) मामला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित की गई विश्वविद्यालयों और कालेजों की अभिशासन समिति के विचाराधीन है।

Loans to Madhya Pradesh Government for Development of Education

2566. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) The amount of loans given to the State Government of Madhya Pradesh by the central Government for the development of education in the State during the last three years; and

(b) The number of central Government run educational institution in the State at present ?

The Minister of Education and Social Walfare and the Department of Culture (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) A statement is attached.

(b) There are three institutions which are run by the Government of India as autonomous bodies or branches thereof. These are viz. (1) Western Regional Institute for Technical Teachers Training, Bhopal; (2) Lakshmibai College of Physical Education, Gwalior; and (3) Regional College of education, Bhopal.

Statement

Name of the Scheme

Year	Loan Scholarship Scheme		Construction of students hostels of technical and engineering institution	
	Plan Rs.	Non-Plan Rs.	Plan Rs.	Non-Plan Rs.
1968-69	13,80,000	4,80,000	1,08,300	Nil
1969-70	2,96,000	16,34,000	15,700	Nil
1970-71	3,66,000	16,34,000	89,000	Nil
Total	20,42,000	37,48,000	2,13,000	Nil

Grand Total Rs. 60,03,000

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का त्यागपत्र

2567. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : श्री पी० के० देव :**

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने अपना त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। अनुमाति प्राप्त नियमों के अनुसार पचास वर्ष की आयु होने पर उन्होंने अपनी सेवा निवृत्ति के लिए नोटिस दिया है। उन्होंने किसी भी एक विश्वविद्यालय में व्यावसायिक नियुक्ति की अनुमति भी मांगी है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

एयर इन्डिया की एक सहायक कम्पनी की स्थापना करने का प्रस्ताव

2568. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्री तथा भाड़ा चार्टर सेवा चालू करने के लिए एयर इण्डिया की एक सहायक कम्पनी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई कम्पनी के लिए नये विमान खरीदे जायेंगे; और

(ग) क्या कम्पनी के गठन के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क). एयर इण्डिया का चार्टर पर विमान देने का कार्य करने के लिये एक कम्पनी की स्थापना करने का विचार है ।

(ख) और (ग) : ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

पर्यटकों के आगमन सम्बन्धी लक्ष्य का पुनरीक्षण

2569. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 तक विदेशों से पर्यटकों के भारत में आगमन सम्बन्धी लक्ष्य को 6,00,000 से घटाकर 4,00,000 कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यटकों के आगमन सम्बन्धी चौथी योजना के लक्ष्यों में भी तदनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा और यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) लक्ष्य की पुनरीक्षण के कारण अनुमानतः कितनी हानि होगी; और

(ङ) मूल लक्ष्य को बनाये रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : **(क) और (ग)**. 1973 के लिये विदेशों से पर्यटकों के भारत में आगमन सम्बन्धी लक्ष्य को 6,00,000 से घटाकर 4,00,000 कर दिया गया है ।

(ख) चौथी योजना के मसौदे में पर्यटन के लिये 84·76 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव था । परन्तु इसको घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया जिसका मतलब यह हुआ कि अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अपेक्षित आधारभूत उपादानों का वांछित

स्तर तक विकास नहीं किया जा सका और इसीलिए पर्यटकों के आगमन के लक्ष्य में संशोधन करना पड़ा।

(ग) इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(घ) पर्यटन के आवंटन में कटौती करने के बावजूद, पर्यटन विभाग ने इस देश के लिये पर्यटन यातायात में वृद्धि करने के लिये कई कदम उठाये हैं। इनमें ये सम्मिलित हैं। विदेशों में पर्यटन की बिक्री के दृष्टिकोण से जोरदार प्रयत्न, बीजा औपचारिकताओं में ढील, सरलीकरण प्रक्रियाओं में सुधार और निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में परिवहन व आवास सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन। पर्यटन विभाग तथा एयर इण्डिया द्वारा भारत के लिए पर्यटन की अभिवृद्धि की संयुक्त योजना को बढ़ाकर यू० एस० ए० में भी परिचालित कर दिया जायेगा।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

2570. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी का एक कारण इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा देश के पर्यटक रुचि के स्थानों के लिए समय पर विदेशी पर्यटकों के लिए विमान यात्रा के टिकट आरक्षकों की पुष्टि न करना है;

(ख) क्या जम्बो सेवा के लागू होने पर विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि नए पर्यटकों का यातायात, समन्वय तथा समय पर इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा आरक्षण की पुष्टि के अभाव के कारण नहीं रुकेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 1970 में अथवा 1971 के पहले चार महीनों में विदेशी पर्यटकों के आगमन में पिछले वर्षों की इन्हीं अवधियों की तुलना में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) संगणक आरक्षण पद्धति की सहायता से, इण्डियन एयरलाइन्स आरक्षण प्रार्थनाओं के उत्तर 24 घंटे के अन्दर-अन्दर देने में समर्थ हैं। दूसरा संगणक संस्थापित होने पर दिसम्बर, 1971 तक उत्तर देने (रेस्पोंस) के समय को घटाकर 6 घन्टे कर दिया जायेगा, और लगभग 1974 तक 'वास्तविक समय' संगणक संस्थापित किये जाने पर यह लगभग शून्य हो जायेगा।

अध्यापन साधन (एड) विभाग द्वारा बम्बई की एक फर्म को दिये गये क्रयादेश

2571. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापन साधन विभाग द्वारा परिषद् के क्षेत्रीय कालिजों के लिये बजट वर्ष 1970–71 की अन्तिम त्रिमाही में खरीदे गये चल-चित्रों के लिये बम्बई की एक फर्म को दिये गए क्रयादेशों का कुल मूल्य कितना है;

(ख) क्या टेंडर आमंत्रित करने में टडर देने वालों को आयात करने तथा वितरण करने के लिये समुचित समय नहीं दिया गया था जिसके परिणाम-स्वरूप सभी क्रयादेश बम्बई की फर्म को दिये गये थे;

(ग) क्या बम्बई की फर्म से खरीदे गये चलचित्रों के कुछ प्रिंट खराब हो गये थे और फिर भी उनको अस्वीकार नहीं किया गया था;

(घ) बिलों का भुगतान करने से पूर्व प्रिंटों की तकनीकी किस्म की जांच के लिये क्या प्रबन्ध किये जाते हैं; और

(ङ) क्या इन चलचित्रों के बहुत से नाम वैसे ही हैं जैसे कि परिषद् के क्षेत्रीय कालिज में पहले ही उपलब्ध है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षण कालेजों में फिल्म लाइब्रेरियों के विकास के लिये अध्यापन साधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 1970-71 की अन्तिम तिमाही में 1,47,012/- रुपये मूल्य की 16 मि० मी० की शिक्षात्मक फिल्म खरीदी थीं। मै० नेशनल एजूकेशन एण्ड इनफोर्मेशन फिल्म लिमि० बम्बई को दिये गए क्रयादेशों का कुल मूल्य लगभग 1,36,575 रुपये था। 10,437 रु० के मूल्य के चलचित्र फिल्मस डिवीजन, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, बम्बई से भी खरीदे गए थे।

(ख) क्षेत्रीय शिक्षण कालेजों के परामर्श से उपयुक्त समझी गई 170 फिल्मों के चयन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्रवाई करने के पश्चात् सितम्बर, 1970 में 17 पार्टियों से दरें आमन्त्रित की गई थीं जिनमें से केवल पांच पार्टियों ने अपनी दरें भेजी थीं। इस विभाग ने 1,50 000 रु० की बजट व्यवस्था के अनुसार 170 की सूची में से, शुरु-शुरु में 54 फिल्मों का चयन किया था और नीचे लिखी पार्टियों को उनके सामने लिखी धनराशि के तुल्य फिल्में भेजने के आदेश दिए गए थे।

	चलचित्रों की संख्या	कुल कीमत
1. मै० नेशनल एजूकेशन एण्ड इन्फोर्मेशन फिल्मस लिमि० बम्बई।	30 (प्रत्येक की 4 प्रतिलिपियां)	रु० 67,260/-
2. फिल्मस डिवीजन बम्बई	7 (प्रत्येक की 4 प्रतिलिपियां)	रु० 10,437/-

3. मैं० अमा प्राइवेट लिमि० बम्बई	15 (प्रत्येक की 4 प्रतिलिपियां)	रु० 64,960/-
4. मैं० यंग इण्डिया फिल्मस, नई दिल्ली	2 (प्रत्येक की 4 प्रतिलिपियां)	रु० 6,040/-

इनकी सप्लाई के क्रियादेश सभी पार्टियों को एक ही साथ 8–2–1971 को दिए गए थे और उनसे 15–3–71 तक निश्चित रूप से सप्लाई करने के लिये निवेदन किया गया था। ऊपर लिखी पहली दो पार्टियों ने इन आदेशों को स्वीकार कर लिया था। मैं० यंग इण्डिया फिल्मस, नई दिल्ली ने फिल्मों की सप्लाई करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी क्योंकि उनके तैयार भण्डार में वे उस समय उपलब्ध नहीं थी। जहां तक मैं० अमा प्राइवेट लिमि० बम्बई का सम्बन्ध है, उनको दो विदेशी निर्माताओं अर्थात एनसाइक्लोपिडिया ब्रिटानिका फिल्मस (11 चलचित्र) तथा जी० ब० इंस्ट्रक्शनल फिल्मस (4 चलचित्र) द्वारा निर्मित फिल्मों की सप्लाई करने के आदेश दिए गए थे। पहले वाली फिल्मों के सम्बन्ध में उस फर्म ने, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फिल्मस के फिल्म सूचीपत्र में लिखित कीमतों से 15 प्रतिशत अधिक कीमतें बताई थीं किन्तु 'अध्यापन साधन विभाग ने इस फिल्मों को, सूचीपत्र में लिखित कीमतों पर ही भेजने के लिए उनसे कहा था और इन्हीं शर्तों पर उनको क्रियादेश दिए गए थे। किन्तु यह फर्म, इन फिल्मों को सूचीपत्र-लिखित कीमत पर भेजने को तैयार नहीं हुई थी जी० बी० इंस्ट्रक्शनल फिल्मस द्वारा निर्मित चार फिल्मों की कीमतों के विषय में कोई विवाद नहीं था किन्तु मैं० अमा प्राइवेट लिमि० बम्बई, इन फिल्मों को ब्रिटेन से आयात करके अध्यापन साधन विभाग को निर्धारित समय के भीतर देने में असमर्थ रहे। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि उस समय ब्रिटेन में डाक हड़ताल चल रही थी। इन परिस्थितियों में अध्यापन साधन विभाग से, परिषद की स्वीकृति से उपर्युक्त बची हुई धनराशि का उपयोग करने के लिए मैं नेशनल एजुकेशन एण्ड इन्फोर्मेशन फिल्मस लिमि० से विज्ञान विषयक वैकल्पिक फिल्मों को खरीदने का निश्चय किया फिर भी, इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले अभिलेखों की उस समय अलग से जांच कर ली जाएगी जब उनको वह तकनीकी परीक्षा की जाएगी जिसका उल्लेख नीचे (ग) तथा (घ) में किया गया है।

(ग) तथा (घ) : मैं० नेशनल एजुकेशन एण्ड इन्फोर्मेशन फिलमस लिमि० बम्बई द्वारा भेजी गई फिल्मों की सभी प्रतिलिपियों की तकनीकी कोटि की दृष्टि से, अध्यापन साधन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा अधियान्त जांच परख कर ली गई थी और उनके बारे में संतोषजनक रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही भुगतान की व्यवस्था की गई थी। नियम यह है कि भुगतान करने से पूर्व सभी फिल्मों को इसी रीति से जांच परख की जाती है। किन्तु इस मामले में, माननीय सदस्य द्वारा लिखित एक पत्र पहले प्राप्त हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के परामर्श से, यह मन्त्रालय, प्राप्त की गई समस्त फिल्मों की व्यापक तकनीकी परीक्षा करेगा।

(ङ) अध्यापन साधन विभाग ने चारों क्षेत्रीय शिक्षण कालेजों के प्रधानाध्यापकों से उन फिल्मों के शीर्षकों के बारे में परामर्श किया था जिनके लिए विभिन्न पार्टियों से कीमत दरें

आमंत्रित की गई थी। विभाग द्वारा जो फिल्में वास्तव में प्राप्त की गई थी उनमें से छ: अजमेर तथा मैसूर स्थित प्रत्येक कालेज के पास पहले से मौजूद थीं किन्तु इन कालेजों के प्रधानाध्यापकों ने उनको अतिरिक्त प्रतिलिपियों के रूप में अपने पास रखने की इच्छा प्रकट की थी जिससे कि वे अपने क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं की मांग को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकें।

Amalgamation of commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate

2572. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Education and social welfare** be pleased to state :

(a) Whether a scheme to set up an organisation by amalgamating the commission for scientific [and technical terminology and Central Hindi Directorate has been under consideration of his Ministry for a long time; and

(b) If so, the time by which a decision is likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) Yes Sir, a decision is expected to be-taken shortly.

Loans given to Mysore

2573. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri G. Y. Krishnan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The amount of loans advanced to the State Government of Mysore by the Cen ral Government during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 ;

(b) The total amount of interest outstanding at present against the State Government on the said loans; and

(c) The amount of loans asked for by the State Government for the financial year 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Central loans advanced to the Goverment of Mysore during the financial years 1968-69, 1969-70 and 1970-71 amounted to Rs. 60·69 crores, Rs. 62·16 crores and Rs. 66.16 crores respectively.

(b) There are no arrears of interest due on Central loans from the Mysore Government at present.

(c) The central assistance allocated for Mysore State Plan for 1971-72 includes loans amounting to Rs 24.22 crores. In addition the State Government would be receiving loans in lieu of small savings collections and for financing centrally sponsored schemes etc. which are, however, yet to be finalised. The State Government in their Vote on account budget presented in March 1971 have assumed Central loans totalling Rs. 61.01 crores.

बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने का प्रस्ताव

2574. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीमा अधिनियम, 1938 में महत्वपूर्ण संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संसद के समक्ष कब तक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिंगापुर में हुआ इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एशोशिऐशन का सम्मेलन

2575. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1971 में सिंगापुर में इन्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एशोशिएसन का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया तथा क्या भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो किन किन मुख्य प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा क्या निष्कर्ष किये गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा०सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां । सम्मेलन सिंगापुर में 11 मई, 1911 को प्रारम्भ हुआ था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आई० ए० टी० ए० एक एयरलाइनों का संघ है ।

(ग) सम्मेलन अभी चल रहा है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं ।

पंजाब में खुदाई कार्य

2576. **श्री पी० के देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पुरातत्व विभाग ने पंजाब में खुदाई का कार्य आरम्भ किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप वहां कुछ दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं

(ग) यदि हां, तो ये मूर्तियां किस काल की हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में पंजाब में खुदाई का कोई कार्य नहीं किया है। किन्तु पंजाब सरकार के पुरातत्व विभाग ने पिछले तीन सीजनों में संघोल में खुदाई का कार्य किया है।

(ख) और (ग) : 1968–69 फील्ड सीजन की रिपोर्ट इंडियन आर्किआलोजी 1968–69 ए० रिव्यू'' में पहले ही प्रकाशित कर दी गई है जबकि अन्तिम दो सीजनों की रिपोर्ट माँगी गई है।

Direct Air Service between Delhi and Kotah (Rajasthan)

2577. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state.

(a) Whether it is proposed to operate a direct air service between Delhi and Kotah (Rajasthan);

(b) Whether an aerodrome has already been constructed in Kotah; and

(c) If so, the reasons for not operating the said service specially when Kotah lies on the Delhi-Bombay route ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) No Sir. Indian Airlines have no such proposal.

(b) and (c) : The existing aerodrome at Kotah is not suitable for operation by aircraft larger than Dakotas and these are being phased out.

Expansion of Central School Kotah

2578. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state.

(a) The number of children of the Central Government employees studying in the Central School at Kotah (Rajasthan);

(b) Whether Government propose to expand this school; and

(c) If so, the time by which this would be done ?

The Deputy Minister of Education and Social Welfare and in the department of culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Out of 624 students in all, 163 students are children of Central Government employees.

(b) and (c) The school will be expanded according to needs. A school building at a cost of Rs. 4,45,000/–is nearing completion, and is expected to be used in the next academic year. This building can accommodate 480 more students.

इलाहाबाद लखनऊ और दिल्ली कलकत्ता के बीच दैनिक विमान सेवा

2579. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और इलाहाबाद तथा इलाहाबाद, कलकत्ता और लखनऊ के बीच विमान सेवा बन्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इलाहाबाद-लखनऊ और दिल्ली-कलकत्ता के बीच दैनिक विमान सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) इस सेवा को इण्डियन एयरलाइन्स में तालाबन्दी के कारण निलम्बित कर दिया गया था। इसे 24 मई, 1971 से पुन: चालू कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। यातायात एक दैनिक सेवा के परिचालन के औचित्य को सिद्ध नहीं करता।

नई अन्तर्देशीय विमान सेवायें

2580. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक चालू की गई नई अन्तर्देशीय विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में तेजी से नई विमान सेवाओं को चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 1961–62 से 1970–71 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित सेवाएं चालू की गईं :—

1961–62

(i) बम्बई/अहमदाबाद/बड़ौदा मार्ग पर एक दैनिक डकोटा सेवा।

(ii) बम्बई/गोआ/कोचीन मार्ग पर एक दैनिक डकोटा सेवा।

(iii) कलकत्ता/जमशेदपुर/रांची मार्ग पर एक दैनिक डकोटा विमान सेवा।

(iv) दिल्ली/फूलबाग/लखनऊ मार्ग पर एक दैनिक डकोटा विमान सेवा।

1962–63

(i) दिल्ली/लखनऊ/कानपुर/दिल्ली मार्ग पर एक दैनिक डकोटा सेवा।

(ii) हैदराबाद/विजयबाड़ा/विशाखापत्तनम मार्ग पर एक दैनिक डकोटा विमान सेवा ।

(iii) बम्बई/बेलगाम/कोचीन/त्रिवेंद्रम् मार्ग पर एक दैनिक डकोटा विमान सेवा ।

1963–64

(i) बम्बई/पूना/बेलगाम मार्ग पर एक दैनिक डकोटा सेवा ।

(ii) बनारस/काठमांडू मार्ग पर एक दैनिक डकोटा सेवा ।

1963–64 में कारवेल विमानों के आगमन से, निम्नलिखित सेवाएं कारवेल विमानों द्वारा परिचालित की गईं :

(i) बम्बई/कलकत्ता···दैनिक सेवा ।

(ii) बम्बई/दिल्ली···दैनिक सेवा ।

(iii) बम्बई/मद्रास···दैनिक सेवा ।

(iv) कलकत्ता/दिल्ली···दैनिक सेवा ।

(v) दिल्ली/मद्रास···दैनिक सेवा ।

1964–65

(i) कलकत्ता/भुवनेश्वर/विशाखापत्तनम् मार्ग पर सप्ताह में तीन डकोटा विमान सेवाएं

(ii) दिल्ली/बनारस/काठमांडू मार्ग पर सप्ताह में तीन डकोटा सेवाएं ।

1965–66

(i) बम्बई/बंगलौर दैनिक सेवा पर कारवेल का परिचालन ।

(ii) कलकत्ता/मद्रास दैनिक सेवा पर कारवेल का परिचालन ।

(iii) दिल्ली/हैदराबाद/मद्रास मार्ग पर दैनिक कारवेल सेवा ।

(iv) कलकत्ता/ गोहाटी/चबुआ मार्ग पर दैनिक वाइकाउंट सेवा ।

1966–67

(i) दिल्ली/हैदराबाद/बंगलौर मार्ग पर दैनिक कारवेल सेवा ।

(ii) दिल्ली/कलकत्ता मार्ग पर दैनिक कारवेल सेवा ।

1967–68

(i) त्रिवेन्द्रम/कोलम्बो मार्ग पर सप्ताह में दो बार एच० एस० 748 सेवा ।

(ii) त्रिची/कोलम्बो मार्ग पर सप्तार में दो बार बाइकाउंट सेवा ।

(iii) दिल्ली/श्रीनगर सेवा पर कारवेल का परिचालन ।

(iv) हैदराबाद/मद्रास/मदुरै/त्रिवेन्द्रम मार्ग पर दैनिक एच० एस० 748 सेवा ।

1968–69

(i) मद्रास/कोचीन/त्रिवेन्द्रम मार्ग पर एच० एस० 748 सेवा ।

(ii) कलकत्ता/बागडोगरा/पटना मार्ग पर सप्ताह में तीन बार एफ–27 सेवा ।

(iii) कलकत्ता/कूच-बिहार मार्ग पर दैनिक डकोटा सेवा ।

(iv) दिल्ली/आगरा/खजुराहो/बनारस मार्ग पर दैनिक बाइकाउंट सेवा ।

चौथी योजना अवधि

1969–70

(i) कलकत्ता/गया/पटना मार्ग पर सप्ताह में तीन बार एफ–27 सेवा ।

(ii) गौहाटी/बागडोगरा मार्ग पर प्रतिदिन दो बार बाइकाउंट सेवा ।

1970–71

(i) कलकत्ता/बागडोगरा/कूच-बिहार मार्ग पर सप्ताह में तीन बार डकोटा सेवा ।

(ख) ऊपर दी गई अवधि के दौरान विमान यातायात में काफी वृद्धि हुई है । इसलिए एयरलाइन द्वारा प्राप्त अतिरिक्त विमानों का प्रयोग प्रमुख एवं अधिक यातायात वाले क्षेत्रीय मार्गों पर क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया । तथापि, हाल ही में खरीदे गए सात बोइंग विमानों तथा 10 एच० एस० 748 विमानों से, जिनका कि क्रय आदेश दिया जा चुका है, इण्डियन एयरलाइन्स को यथा समय कुछ नई सेवाएं प्रारम्भ करने की आशा है ।

केरल राज्य को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

2581. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों से केरल राज्य को कम ऋण मिल रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और** (ख). केरल राज्य में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की रकम सितम्बर 1970 के मध्य में 60 करोड़ रुपये थी । सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने केरल राज्य में लगभग 78 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे । केरल राज्य में

इन बैंकों में जमा की गयी रकम 87 करोड़ रुपये के आस-पास थी। इस प्रकार केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों और उनमें जमा करायी गयी रकमों का अनुपात लगभग 90 प्रतिशत बैठता है जबकि अखिल भारतीय औसत 80·3 प्रतिशत है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं होगा कि केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋण भारत के शेष भाग में इन्हीं बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों की तुलना में कम हैं।

जापानी फर्मों द्वारा भारत में पूंजी-निवेश

2582. **श्री कृष्ण हाल्दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापानी फर्मों द्वारा भारत में अब तक क्षेत्रवार कुल कितना गैर-सरकारी पूंजी-निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)—मार्च 1968 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार, जापान के गैर-सरकारी स्रोतों द्वारा भारत में लगाई गई पूंजी की कुल राशि का क्षेत्रवार, ब्यौरा नीचे दिया गया है; इस समय 31 मार्च 1968 तक ही सूचना उपलब्ध है।

	करोड़ रुपयों में
पैट्रोलियम	2·1
विनिर्माण	45·3
सेवाएं	34·4
	81·8

देश में हाथियों के लिये आखेट-वर्जित स्थान

2583. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसूर में काकान्नाकोटे वन को काबिनी जलाशय में डुबोया जा रहा है जिससे पर्यटक मैसूर में एक बड़े आकर्षण अर्थात् हाथियों के आखेट से वंचित हो जायेंगे; और

(ख) क्या देश में हाथियों के लिए आखेट-वर्जित स्थल बनाने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ताकि हाथियों का समुचित रूप से संरक्षण किया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कक्कनकोटे वन के पानी में डूब जाने से प्रभावित हुए हाथी साथ के जंगलों में चले जायेंगे। देश भर में हाथियों का शिकार वर्जित है, सिवाय उन हाथियों के जिन्हें 'उपद्रवी' हाथी घोषित किया जाता है।

(ख) क्योंकि हाथी सारे देश में फैले हुए हैं, अतः हाथियों के लिए कोई एक विशेष शरण स्थान की व्यवस्था कर सकना सम्भव नहीं है। देश में बहुत से वन्य जीव शरण स्थान विद्यमान हैं, जहां हाथियों की सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर के गुलबर्गा जिले को दिया गया ऋण

2584. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1971 तक मैसूर राज्य में गुलबर्गा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किन विभिन्न पदों पर ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर टूटे सड़क के पुलों की संख्या

2585. **श्री पी० गंगा देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर बारकी और सम्बलपुर के बीच अचानक टूट जाने वाले सड़क के पुलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) एक महीने की अवधि में इस वर्ष 15 फरवरी, और 13 मार्च, के बीच उक्त पुलों के एक साथ टूटने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पुलों की मरम्मत कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा और क्या वह कार्य मानसून के आने से पहले पूरा कर लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति सूचि मे केरल के चेम्मन समुदाय को शामिल करना

2586. **श्रीमति बिभा घोष** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्ष 1962 तक अनुसूचित जाति की सूची में चैम्मन समुदाय को शामिल किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने 1 62 से आगे के लिए इस समुदाय को अनुसूचित जाति की अनुमोदित सूची से हटा दिया और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने का है, और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956 के अनुसार चेम्मन समुदाय केरल के उन भागों में अनुसूचित जाति है जो पहले मालाबार

जिले में शामिल थे। केरल के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों की सूची में अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

(ग) पिछली लोक सभा में अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का संशोधन करने के लिए जो विधेयक पेश किया गया था, उसमें समस्त केरल राज्य में चेम्मन को सेम्मन के साथ "चिक्किलियान" के पर्याप्य के रूप में अनुसूचित जाति लिखा गया है। इस विधेयक को, जो पिछली लोक सभा के भंग होने पर व्यपगत हो गया था, फिर में प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सका है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर राज्य को दिया गया ऋण

2587. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सालों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर राज्य को कितना ऋण दिया गया; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्यों को ऋण देने के लिये सरकार ने क्या मापदण्ड निश्चित किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य के ध्यान में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मैसूर राज्य में दिये गये अग्रिमों की बात है। सितम्बर 1970 के मध्य में, इस प्रकार के ऋणों की कुल रकम 107 करोड़ रुपये थी।

(ख) जिस प्रायोजना के लिए ऋण मांगा जाता है उसकी क्षमता और उत्पादकता ही वह मुख्य मापदण्ड है जिसके आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण मंजूर करते हैं।

दिल्ली और जोधपुर मार्ग पर नियमित उड़ानों का प्रस्ताव

2588. **राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जोधपुर मार्ग पर इण्डियन एयरलाइन्स की नियमित उड़ान चालू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या रक्षा अधिकारी जोधपुर हवाई अड्डे का इस कार्य के लिये उपयोग किये जाने के लिये सहमत हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये उड़ानें किस समय तक होने लगेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषि) : (क). इण्डियन एयरलाइन्स केसामने एक ऐसा प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स के 1971 के शीतकाल में यह सेवा चालू कर देने की आशा है।

विश्वविद्यालयों में भर्ती हुये विद्यार्थियों की संख्या

2589. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय शिक्षा का व्यय विद्यार्थियों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में ही है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (डा० डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 196:–70 के सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनततम आंकड़ों के अनुसार विद्यालयों/कालेजों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 24·3 लाख है।

(ख) निम्नलिखित सारणी में (1) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में विद्यार्थियों के नामांकन और (2) 1961–66 की अवधि के दौरान/विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के खर्चे में हुई प्रतिशत वृद्धि को दिखाया गया है जिसके खर्चे के आंकड़े उपलब्ध हैं।

वर्ष	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन में प्रतिशतता वृद्धि	विश्वविद्यालयों/ कालेजों में खर्चा	कुल व्ययों में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
	(लाखों में आंकड़े)		(करोड़ में रुपये)	
1960–61	8·86	–	76·94	–
1961–62	9·63	8·7	85·42	11·0
1962–63	10·62	10·3	96·85	13·4
1963–64	11·68	10·0	109·18	12·7
1964–65	12·94	10·8	127·37	16·7
1965–66	14·64	13·1	157·33	23·5

(ग) चालू कीमतों पर, खर्चे में वृद्धि नामांकन में वृद्धि के अनुपात में रही है।

अमरीकी विश्वविद्यालयों से शिक्षाविद्

2590. **श्री रेणुपद दास** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 में अनुसंधान करने के लिए अमरीकी विश्वविद्यालयों से कुल कितने शिक्षाविद् भारत आये थे;

(ख) क्या सरकार ऐसे शिक्षाविदों का रिकार्ड रखती है तथा वे किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग में (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजधानी में मुफासिल बस रूटों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना

2591. **श्री मान सिंह भौंरा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में आरम्भ किये गये 12 स्थानीय मुफासिल बस रूटों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम के कर्मचारियों ने इस मामले के सम्बन्ध में आन्दोलन करने की धमकी दी है, और

(घ) यदि हाँ, तो इस विषय पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ससदकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क). दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि योजना की क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि योजना के विरुद्ध प्राप्त सभी आपत्तियों की, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अध्याय 4–ए के सम्बन्धों के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा अभी अंतिम रूप से सुनवाई तथा निपटारा होना है । इस मामले में अगली सुनवाई 16–7–71 को होनी निश्चित हुई है ।

(ग). इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा समाचार पत्रों को दिया गया ऋण

2592. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1968–69 और 1969–70 के दौरान समाचार-पत्रों को कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ख) (एक) अमृत बाजार जुगान्तर ग्रुप; (2) आनंद बाजार, हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड ग्रुप; और तीन स्टैट्समैन ग्रुप को 1 अप्रैल 1971 तक ऋण तथा अग्रिम के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1968, 1969 तथा 1970 के दौरान समाचार-पत्रों को मंजूर किये गए अग्रिमों की कुल रकम के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इन बैंकों द्वारा समाचार-पत्रों को मंजूर किये गए अग्रिमों तथा बकाया रकमों का कुल योग सितम्बर, 1970 के अन्तिम शुक्रवार को 1.166·89 लाख रुपया था।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अलग-अलग समाचार पत्रों को जो ऋण दिये हैं उनकी धन-राशि के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी जा सकती है क्योंकि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अनुसार बैंकों पर यह प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि वे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, अपने आसामियों के लेन-देन के सम्बन्ध में कुछ भी न बताये।

भारतीय नौवहन निगम और गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों के जहाजों की संख्या

2593. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 से 1970–71 तक वर्षवार सरकार के अधीन भारतीय नौवहन निगम के कुल कितने जहाज (टनों में कुल भार ढोने की क्षमता सहित) खरीदे,

(ख) पहली अप्रैल, 1971 को भारतीय नौवहन निगम के कुल जहाजो (कुल भारक्षमता सहित) की संख्या कितनी है,

(ग) 1968–69 से 1970–71 तक वर्षवार गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों ने (टनों में कुल भार-क्षमता सहित) कितने जहाज खरीदे,

(घ) पहली अप्रैल, 1971 को गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियो के (टनों में कुल भार-क्षमता सहित) जहाजों की कुल कितनी संख्या है,

(ङ) 1970–71 में विदेशी नौवहन कम्पनियों का भारत के अन्तर्देशीय और विदेश व्यापार में क्या अंश है, और

(च) गत तीन वर्षों में वर्षवार भारत द्वारा विदेशी नौवहन कम्पनियों की (1) अन्तर्देशीय व्यापार और (ii) विदेश व्यापार के सम्बन्ध में कितनी धन राशि दी गई है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : अपेक्षित सूचना इस

प्रकार है :

वर्ष	अर्जित जहाजों की संख्या	कुल जी० आर० टी०
1968–69	11	1,15,574
1969–70	8	1,31,803
1970–71	6	1,64,558

(ख) 77 जहाज 8,63,365 जी आर टी के ।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्नप्रकार है :—

वर्ष	अर्जित जहाजों की संख्या	कुल जी० आर० टी०
1968–69	10	1,07,803
1969–70	6	1,01,595
1970–71	9	80,373

(घ) 1 अप्रैल 1971 को प्राइवेट नौवहन कम्पनी के बेड़े की कुल संख्या 15,40,967 जी आर टी के 164 जहाजों की थी ।

(ङ) वर्ष 1970–71 के लिये सूचना का संकलन किया जा रहा है । 1969–70 के दौरान विदेशी नौचलन के पनियो ने विश्व के समुद्रपार व्यापार का 78·68 प्रतिशत और केवल तेल पदार्थों, तटीय व्यापार का 76·2 प्रतिशत माल ढोया और सूखे माल का व्यापार पूर्णरूप से भारतीय नौवहन के लिए आरक्षित है ।

(च) जहां तक अन्तर्देशीय व्यापार का सम्बन्ध है सूखे माल व्यापार की सकल परिमात्रा की धरा उठाई भारतीय जहाजों द्वारा की जाती है तथा विदेशी नोवहन कम्पनियों को भाड़ा भुगतान नहीं होता । तट के साथ साथ तेल पदार्थों के यातायात के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 के दौरान देश के समुद्र पार व्यापार में उनके शेयर के सम्बन्ध में विदेशी नौवहन कम्पनियों के भाड़ा भुगतान अनुमानतय: क्रमश: 221·81 करोड़ रु०, 2,11,35 करोड़ रु० तथा 180·66 करोड़ रु० हुआ ।

भारत में प्रकाशित पुस्तक टाइटलों की संख्या

2594. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 और 1970 के बीच भारत में प्रकाशित पुस्तक टाइटलों की संख्या क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान पुस्तकों की कितनी प्रतियां प्रकाशित की गई;

(ग) उक्त अवधि में प्रकाशित पुस्तकों की कुल प्रतियों तथा टाइटलों की कुल संख्या में सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रकाशन संस्थानों का अंश कितना है;

(घ) 1968 और 1970 के दौरान रूस, अमेरीका और ब्रिटेन में प्रकाशित पुस्तक टाइ-टलों तथा पुस्तक की कुल प्रतियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या इस मामले में भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी पीछे है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पुस्तक परिदान अधिनियम 1954 के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 1968 और 1970 के मध्य भारत में पुन: संस्करणों सहित प्रकाशित शीर्षकों की संख्या निम्नलिखित है:—

1968	—	11,413
1969	—	13,740
1970	—	14,145

(ख) साधारणतया एक संस्करण औसतन 1000 से 3000 प्रतियों तक का होता है और यह इस पर निर्भर करता है कि पुस्तक किस प्रकार की है। फिर भी, प्रकाशित प्रतियों की कुल संख्या के बारे में कोई अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार द्वारा ऐसे आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं और इसलिए उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) 'यूनेस्को सांख्यिकीय अब्दकोष 1969'' में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1966 में सोवियत रूस, अमेरिका और इंगलैंड में प्रकाशित पुस्तक शीर्षकों की संख्या क्रमश: 75,723, 59,247 तथा 31,372 है। 1969 और 1970 में प्रकाशित शीर्षकों की संख्या की सूचना और इन देशों में 1968 और 1970 के बीच की पुस्तकों की प्रतियों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है।

(घ) यूनेस्को सांख्यकीय अब्दकोष 1969 के अनुसार, भारत एशिया में जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुस्तक निर्माण करने वाला देश है और संसार में, पुस्तक निर्माण करने वाले देशों में, उसका स्थान रूस, अमरीका, जापान, पश्चिम जर्मनी, स्पेन और फ्रांस के बाद आठवां है।

फिर भी, इस तुलना में चीनी जनवादी गणराज्य का पुस्तक निर्माण कार्यक्रम शामिल नहीं है क्योंकि उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Exemption of Delhi Transport Undertaking from sales and road Taxes

2595. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state.

(a) Whether the Delhi Transport Undertaking has suffered a heavy loss during the recent years;

(b) Whether any suggestion has been made to Government that in order to check this loss, D. T. U. should be exempted from Sales Tax and road tax and the outstanding amount should be changed into a consolidated loan ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes.

(b) The Commission of Inquiry into the Finance of the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee (Morarka Commission), in Volume II of its report on the Delhi Transport Undertaking, has recommended that this Undertaking should be exempted from payment of sales tax and road tax and that the balance of the existing loans and the overdue loan instalments against it should be converted into a consolidated loan, payable in 10 instalments, commencing from 1972-73.

Scheme to purchase Double Decker and single decker buses for streamlining D. T U. services

2596. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state.

(a) Whether Government have under consideration a scheme to purchase double decker and single decker buses with a view to streomlining the D. T. U. Services; and

(b) If so, the number of buses for which orders have been placed and the number there of likely to be received as also the time by which these buses are likely to be received ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : The Delhi Transport Undertaking has drawn up a programme for the purchase of double decker and single decker buses, in order to improve the bus services provided by it in the capital.

(b) Orders for the purchase of 305 new (100 double decker and 205 single decker) buses have already been placed by the Undertaking on the concerned automobile manufacturing and body-building firms. Out of this, 196 (50 double decker and 146 single de ker) buses have already been received by the Undertaking. The remaining 109 buses are also expected to be received within the next three months, in accordance with the stipulated delivery schedule.

मद्रास वाह्य पतन परियोजना का नामकरण

2597. **श्री टी० एस० लक्ष्मण** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 करोड़ रुपयों की लागत वाली मद्रास वाह्य पतन परियोजना के लिये नाम का निर्णय कर लिया गया है,

(ख) क्या परियोजना के नामकरण के सम्बन्ध में तामिलनाडु सरकार से परामर्श लिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या अब परामर्श किया जाएगा और परियोजना के नाम के बारे में निर्णय करते समय तामिलनाडु की जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) अभी नहीं, परन्तु कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) क्या वाह्य बन्दरगाह, मद्रास के बड़े पतन जो भारत सरकार के नियंत्रण में है के समग्र भाग का हिस्सा है । यह प्रश्न कि बड़े पतनों में नई गोदियों को कोई या क्या नाम दिये जायें एक ऐसा मामला है जो भारत सरकार के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ।

परम्परागत और गैर-परम्परागत क्षेत्रों को दिया गया ऋण

2598. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परम्परागत और गैर-परम्परागत क्षेत्रों के लिए पूंजी निवेश की क्या आवश्यकताएं हैं; और

(ख) वर्ष 1969–70 और 1970–71 में परम्परागत और गैर-परम्परागत क्षेत्रों को राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी, सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्यटकों के लिये प्रमुख राष्ट्रीय राजपथों पर मोटल स्थापित करने की योजना

2599. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कार से यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजपथों पर मोटल स्थापित करने सम्बन्धी एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन जगहों के नाम क्या हैं जहां मोटलों की स्थापना की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : भारत पर्यटन विकास निगम की चौथी योजनावधि के दौरान जम्मू, वाराणसी तथा सिलीगुड़ी में मोटल स्थापित करने की योजनायें हैं । जम्मू के मोटल पर कार्य चल रहा है ।

समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम

2600. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज कल्याण कार्यों के परिणाम शीघ्र प्राप्त करने के लिए एक तीन तरपन कार्यवाही वाला कार्यक्रम चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

थवानूर ग्रामीण संस्थान (केरल) को वित्तीय सहायता

2601. **श्री एम० के कृष्णन्** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पालघाट जिले के थवानूर स्थित ग्रामीण संस्थान की वित्तीय सहायता की राशि में कमी कर दी है, "यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ख) क्या सरकार का विचार संस्थान के लिये वित्तीय सहायता की न्याय संगत राशि निर्धारित करने की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) संस्थान के वार्षिक आवर्ती अनुदान में कोई कभी नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) थावानूर ग्रामीण संस्थान सहित विभिन्न ग्रामीण संस्थानों को आवर्ती खर्चे के लिए वार्षिक अनुदान, अनुमोदित पदों, (संस्थान) रजिस्टर पर दाखिल किये गये छात्रों की संख्या, तथा प्रदत्त पाठ्यक्रमों के आधार पर केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखते हुए, निश्चित की जाती है । ग्रामीण संस्थाओं की सहायता योजना के अधीन सामूहिक अनुदान निर्धारित करना संभव नहीं है ।

सोने और चांदी का चोरी छिपे लाया जाना

2602. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में प्रतिवर्ष चोरी छिपे अनुमानतः कितना तथा कितने मूल्य का सोना लाया जाता है और कितनी तथा कितने मूल्य की चांदी देश से बाहर जाती है;

(ख) वर्ष 1970–71 में कितनी बार सोना आदि पकड़ा गया और देश में कितने मूल्य का सोना चोरी छिपे लाया गया तथा कितने मूल्य की चांदी देश से बाहर चोरी छिपे गयी; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अवैध कार्यों को रोकने के किसी पक्के तरीके पर विचार किया है यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) भारत में प्रतिवर्ष चोरी छिपे ग्रायात की जाने वाले सोने तथा भारत से बाहर चोरी छिपे निर्यात की जाने वाली चांदी की मात्रा तथा उसके मूल्य का विश्वसनीय ग्रनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है ।

(ख) सीमाशुल्क ग्रधिकारियों द्वारा 1970–71 में किये गये ग्रभिग्रहणों की संख्या 1019 थी । इस ग्रवधि में पकड़ी गई चांदी तथा सोने की मात्रा ग्रौर मूल्य निम्नानुसार था ।

वस्तु	पकड़ी गई मात्रा (कि० ग्राम)	मूल्य (लाख रुपयों में) ग्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा दर पर	भारतीय बाजार दर पर
सोना	4,668	394	794
चाँदी	37,376	—	199

(ग) देश के ग्राकार ग्रौर उसकी लम्बी स्थल सीमाग्रों तथा समुद्रतट को ध्यान में रखते हुए देश में माल के तस्कर-ग्रायात तथा तस्कर-निर्यात को रोकने के लिए कोई पूर्णतः दोषरहित कार्यविधि तैयार करने में बहुत सी ग्रसाध्य समस्याएं उपस्थित होती हैं । लेकिन तस्कर व्यापार को रोकने के लिए विभिन्न प्रशासनिक, कानूनी तथा ग्रार्थिक उपाय किए गए हैं सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :

सूचना एकत्र करना ग्रौर उस पर ग्रनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर ग्रायात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जहाजों तथा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तालाशी लेना तथा समुद्र तट व स्थल सीमाग्रों के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गस्त की व्यवस्था । सीमाशुल्क के समाहर्ता तथा ग्रपर समाहर्ता जैसे वरिष्ठ ग्रधिकारियों को ग्रनन्य रूप से तस्कर ग्रायात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है । कुछ वस्तुग्रों के ग्रवैध ग्रायात निर्यात को रोकने तथा उन वस्तुग्रों को रोके रखने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में सीमाशुल्क ग्रधिनियम, 1962 में संशोधन करके ग्रतिरिक्त व्यवस्था कर दी गई है । इकट्ठी की गई सूचना को दृष्टि में रखते हुए स्थिति की प्रायः समीक्षा भी की जाती है ताकि ग्रावश्यक कार्यवाही की जा सके ।

जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट ग्राफ इण्डिया द्वारा बैंकों में जमा राशि का ग्रन्यत्र लगाया जाना

2603. **श्री सी० चित्ती बाबू** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ग्रौर भारतीय यूनिट ट्रस्ट बैंकों में ग्रपनी जमा राशि को ग्रन्तर बैंक ग्रविलम्ब राशि मार्किट में लगाते रहे हैं;

(ख) क्या बैंकों द्वारा रखे जाने वाले नकदी अनुपात पर इसका असर पड़ेगा;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया द्वारा अविलम्ब राशि की मंडी में प्रवेश करने और अधिक मुनाफा अर्जन का बैंकों द्वारा पूँजी संचालन पर बुरा असर नहीं पड़ता; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या उपचारी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), जून 1970 से पहिले रिजर्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग संख्याओं तथा सहकारी बैंकों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों को मांगने पर मिलने वाली (कालानी) तथा थोड़ी अवधि की जमा रकमों पर ब्याज देने की अनुमति नहीं देता था। 3 जून 1970 से रिजर्व बैंक ने, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट को, उनके द्वारा बैंकों में जमा करायी गयी मांगने पर मिलने वाली (कालम्नी) तथा थोड़ी अवधि की जमा रकमों पर, अन्तरबैंकीय, मांगने पर मिलने वाली राशि (कालम्नी) मार्केट में प्रचलित दर पर ब्याज प्राप्त करने की अनुमति दे दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : चुंकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अन्तर-बैंकीय मांगने पर मिलने वाली राशि (कालम्नी) मार्केट में, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को अन्तर-बैंकीय मांगने पर मिलने वाली तथा थोड़ी अवधि की रकम प्राप्त कर सकते हैं इसलिये बैंकों के पास जमा रकम की मात्रा में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी, बैंकों को, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को अन्तर बैंकीय मांगने पर मिलने वाली राशि मार्केट दरों पर ब्याज देना पड़ता है जो प्रायः बचतों और अल्पावधिक बचतों पर देय दरों से अधिक होती है। इस प्रकार, यह मामला, वित्तीय निकायों के दो स्कंधों अर्थात् एक ओर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और दूसरी ओर दो दीर्घावधिक वित्तीय संस्थाओं के बीच आय और खर्च के समायोजन का है।

एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा संसद सदस्यों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समान की जांच पड़ताल किया जाना

2604. **श्री सी० चिती बाबू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयरलाइन्स के अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संसद सदस्यों के समान की जांच पड़ताल करने के क्या कारण हैं; और

(ख) तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा एयरलाइन्स के अधिकारियों को कतिपय निदेश न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) **और (ख)** : 30 जनवरी, 1971 को इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान को बलात् लाहौर ले जाये जाने की घटना के फलस्वरूप कई एहतियाती उपाय लागू किये गये हैं जिनमें यात्रियों और हाथ में ले जाये जाने वाले सामान की तलाशी भी शामिल है। ऐसा किसी भी विमान कम्पनी द्वारा यात्रा प्रारम्भ करने वाले यात्रियों (अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के) के मामले में किया जाता है और अधिकांश रूप से जांच-पड़ताल का यह कार्य पुलिस द्वारा किया जाता है।

तमिलनाडु के ताम्बरम और चिंगलपट जिलों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया और नगर भत्ता

2605. **श्री सी० चित्ती बाबू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के ताम्बरम और चिंगलपट जिलों में रह रहे अपने कर्मचारियों को मकान किराया और नगर भत्ता देने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार उपर्युक्त स्थानों पर नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता और नगर भत्ता देने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क). सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और मिलते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) जी, नहीं। ये भत्ते केवल उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं जो वर्गीकृत नगरों/शहरों में तैनात हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार ताम्बरम और चिंगलपट नगर उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत शहर/नगर नहीं हैं। नगरों/शहरों के तथा ताम्बरम और चिंगलपट के भी अगले वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिये अब 1971 की जनगणना के परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े अभी आने हैं।

Loan Outstanding Against Rajasthan

2606. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The total amount of Central Government loans outstanding against Rajasthan Government at present;

(b) The amount of loans received by the State Government from Central Government during the last three years; and

(c) Whether the loans received were actually spent on items for which they were sanctioned ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Rs. 567·55 crores as on 31st March, 1971,

(b) The Government of Rajashthan received Central loans aggregating Rs. 84·34 crores during 1968-69, Rs. 151·34 crores during 1969-70 and Rs. 111·70 crores during 1970-71.

(c) Quite a substantial portion of the loans were either in reimbursement of expenditure (like loans towards drought relief expenditure) or for general purposes (like loans in lieu of Small Savings collections in the State,special loan assistance and Ways and Means advances). In other cases, the loans were generally sanctioned on a provisional basis with reference to approved outlays and programmes and will be subject to adjustment on the basis of audited figures of expenditure.

Payment of Income-tex and excise duty by factories in Ratlam, Mandasur and Bhopal

2607. **D. R. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Finance be pleased to state

(a) The amount of excise duty paid by the factories engaged in producing straw products starch, sugar, cotton yarn and textiles in Ratlam, Bhopal and Mandsaur Districts of Madhya Pradesh during the last three years;

(b) The amount of income-tax received by Government from the Managing Directors or the companies running these factories during the last three years and the arrears of income-tax and excise duty which were outstanding against them as on 30th December, 1970; and

(c) Whether the accounts of these industries were audited by some senior officer of the Central Government during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The amount of excise duty paid by the factories engaged in producing straw products starch, sugar, cotton yarn and textiles in Ratlam, Bhopal and Mandsaur Districts of Madhya Pradesh during the years 1968—69, 1969—70 and 1970—71 is as under :—

Commodity	1968—69 Rs.	1969—70 Rs	1970—71 Rs.
Straw products starch	nil	nil	nil
Sugar	41,35,472	74,45,444	66,59,480
Cotton Yarn	5,48,604	7,36,627	9,63,404
Textiles	13,72,535	12,09,427	11,56,313

(b) The amount of excise duty outstanding against the above factories at the end of December,1970 was Rs. 33,637 Information regarding the realisation of income-tax from the Managing Directors or the companies running these factories during the period 1968—69 to 1970—71 and the amount of income-tax outstanding against them at the end of December, 1970 is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) The accounts relating to the production and clearance of excisable goods as also payment of Central Excise duty by these units have been, in the normal course subjected to audit by the officers of the Central Excise Department, as also by the audit parties of the accountant general in some cases.

Sale of Poppy Husk

2608. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether an opium grower cannot keep 'poppy husk' with him after June every year ;

(b) Whether he gets only Rs. 4/–to Rs. 5/- per quintal for his produce;

(c) Whether a permit is required to be obtained by him from the district collector to sell it in the market;

(d) Whether it becomes very difficult for the farmers residing in far off villages to obtain such a permit as the distance between their villages and the office of the District Collector is sometimes 100 miles or so; and

(e) If so, whether Government propose to make any changes in the relevant rule ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) An opium grower can keep 'poppy husk' with him from 1st April to 31st July every year.

(b) According to information available, a farmer gets about Rs. 6/- to Rs. 10/- per quintal for poppy husk.

(c) No permit is required to be obtained by the farmer to sell poppy husk in the market from 1st April to 31st July every year. After that date permit is necessary from the appropriate State authority, for sale of poppy husk.

(d) and (e) No complaints have been received by the Government from the farmers in this regard as generally, they completes the sale of poppy husk before 31st July every year.

Grants to Social Welfare Institutions in States

2609. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state the names of Social Welfare Institutions in Madhya Pradesh to whom grants were given by the Central Social Welfare Board during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : The information is given in the two statements enclosed. **[Placed in the Library See No. L. T-470/71]**

मैसर्स भारत कमर्शियल कम्पनी के नाम आयकर की बकाया राशि

2610. **श्री के० लकप्पा :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स भारत कमर्शियल कम्पनी के नाम आय-कर की 34 लाख रुपये की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब से बकाया है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स भारत कमर्शियल कम्पनी की तरफ कर निर्धारण-वर्ष 1962–63 के लिए 34 लाख रुपये की आय-कर की मांग बकाया है।

(ख) यह रकम 7 जनवरी 1970 से बकाया पड़ी है।

(ग) इस रकम (तथा अन्य निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित कुछ अन्य रकमों) की वसूली आय-कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा, उनके द्वारा सम्बद्ध अपीलों के निपटारे किये जाने तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन न्यायाधिकरण ने निदेश दिया है कि 45·33 लाख रु० निर्धारिती कम्पनी के सालिसिटर मैसर्स खेतान एण्ड कम्पनी के नाम में, स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा कराये जाने चाहिए, सालिसिटर द्वारा आय-कर विभाग को कथित रकम के लिये गारंटी दी जानी चाहिए। सालिसिटर ने तदनुसार आय-कर अधिकारी को आवश्यक गारंटी दे दी है।

अशोक मार्केटिंग कम्पनी को ओर आय-कर की बकाया राशि

2611. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स अशोक मार्केटिंग कम्पनी की ओर आय-कर के रूप में 38 लाख रुपयों की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब से बकाया है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मसर्स अशोक मार्केटिंग कम्पनी पर 55·46 लाख रु० की रकम बकाया है।

(ख) इस रकम में निम्नलिखित मदें शामिल हैं, जो उनके सामने दी गई तारीखों से बकाया है :—

रकम (रुपये)	तारीख जब से बकाया है
15,96000	29–8–1967
4,89,000	1–4–1962
27,07,000	1–3–1963
51,000	29–2–1968
7,03,000	1–6–1970

(ग) उपर्युक्त 15·96 लाख रुपये की मांग की पहली मद कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है। अगली तीन मदों को, जिनका जोड़ 32·47 लाख रु० होता है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थगित कर दिया है। 7·03 लाख रु० की मांग की अंतिम मद को अन्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई अपीलों के निर्णय हो जाने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग की अन्तिम चार मदों के लिए वसूली प्रमाण पत्र की कार्यवाही औपचारिक रूप में शुरू कर दी गई है, लेकिन जिन विचाराधीन मामलों के लिए स्थगित आदेश दिये गये हैं, उनका निपटान होने के बाद ही कारगर उपाय किये जा सकते हैं।

अध्ययन हेतु विदेशों को गये विद्यार्थियों की संख्या

2612. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968, 1969 और 1970 में वर्ष वार विदेशों को अध्ययन करने के लिए गए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस अवधि में उसमें से कितने विद्यार्थी अपने व्यय पर, सरकारी व्यय पर तथा अन्य देशों के व्यय पर अलग-अलग गये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1986, 1969 और 1970 के दौरान विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों/प्रशिक्षार्थियों की संख्या बताने वाला विवरण।

वर्ष	निजी तौर पर	सरकार की ओर से	विदेशों की ओर से	अन्य स्त्रोतों से।**	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6
1968	2,053	211	2,533	468	5,265
1969	2,310	127	1,886	448	4,771
1970	2,952	48	1,320	314	4,634

Setting up of a Branch of Nationalised Banks in Tarraya Bazar. Saran District.

2613. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

** व्यवसायिक फर्मों/कम्पनियों इत्यादि द्वारा प्रतिनियुक्त प्रशिक्षार्थी आदि।

(a) Whether Government have taken any decision to set up a branch of one of the nationalised banks in Tarraya Bazar, Saran District in the near future; and

(b) If so, the time by which a branch will be opened ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) . There is no proposal at present to open any office of the nationalised banks at Tarraya Bazar (Saran District, Bihar State). However, Central Bank of India, the lead bank for the district, has heen asked to examine the feasibility of opening an office at the centre.

Inconvenience in Getting Loans from Nationalised Banks in Champaran District of Bihar

2614. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether the people of district Champaran, (Bihar) have to face a lot of inconvenience in obtaining loans from the nationalised bank located in that area inspite of the fact that the amount deposited by them in these banks is much more than the amount of loan advanced to them for carrying on their business: and

(b) If so, the action proposed to be taken by Government to remedy the situation ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) . The quantum of loans granted to individual borrowers has no direct relation to the quantum of deposite collected in a particular area. Loans are granted for all productive purposes if they are considered viable. Despite the liberalised credit policy adopted by the nationalised banks in respect of small borrowers, complaints do come up alleging that credit requirements of small borro-wers are not receiving adequate attention. Apart from impressing upon the banks to consider the genuine credit requirements of small borrowers with expedition, when specific complaints are received the concerned banks are requested to look into the matter and take remedial measures.

Shares of Farmers in the total Benefits made Available by Nationalised Banks in Champaran District Bihar.

2615. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Finance be pleased to state

(a) The proportionate share of the medium and small farmers in the total benefits made available to the farmers by the nationalised banks in District Champaran, Bihar; and

(b) The steps proposed to be taken by Government to make such schemes effective at the village Panchayat and Divisional level in case of the medium and small farmers are not benefited from them ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) . The nationalised banks do not maintain separate figures of advances to medium and small farmers. The Government have, however, impressed upon the nationalised banks the need for giving priority to hitherto neglected sectors including agriculture, especially small farmers.

Deteriorating Condition of Cultural Life in Villages

2616. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Culture be pleased to state :

(a) Whether Government have tried to improve the deteriorating conditions of cultural life in the villages;

(b) If so, the results of the steps taken by Government in Bihar in this context; and

(c) The programme chalked out under the Fourth Five Year Plan with a view ot promoting cultural activities in the villages ?

The Minister of Education and Welfare and Department of Culture (Shri **Siddharatha Shankar Ray**) : (a) The Government do not think that there is any deterioration in the conditions of cultural life in the villages. No specific scheme for improving the conditions of cultural life in the villages has been drawn up.

(b) The question does not arise.

(c) No specific programme for promoting cultural activities exclusively for the villages has been chalked out under the Fourth Five Year Plan.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बहराइच, उत्तर प्रदेश में दिये गये ऋण

2618. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद बहराइच जिले (उत्तर प्रदेश) में चल रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल कितनी राशि के ऋण दिये हैं ।

(ख) काश्तकारों, व्यापारियों, निम्न-आय वर्गों के लोगों जैसे रिक्शा चलाने वालों, मोटर कार ड्राइवरों और छोटे पैमाने पर कार्य और व्यापार करने वाले व्यक्तियों को कितनी कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं, और

(ग) क्या बहराइच स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसी इंजीनियर अथवा डाक्टर को भी कोई ऋण दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है; सम्भव सीमा तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

काला धन बाहर लाने हेतु मुद्रा का विमुद्रीकरण

2619. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व नियुक्त की गयी प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि 'काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था'' समाप्त करने हेतु सबसे अच्छे उपाय के रूप में भारतीय मुद्रा का पूर्ण रूप से विमुद्रीकरण किया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) . प्रत्यक्ष कर जाँच समिति की अन्तरिम रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

होस्टलों का निर्माण करने हेतु त्रिपुरा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान

2620. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए आवास उपलब्ध करने के लिए होस्टलों का निर्माण करने की दृष्टि से आदिवासी कल्याण निधि में से त्रिपुरा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कोई राशि दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने कितने संस्थाओं ने राशि प्राप्त की और अब तक उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि प्राप्त की है; और

(ग) इस समय प्रत्येक होस्टल में रह रहे आदिवासी छात्रों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा की परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु उपाय

2621. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों की अत्यधिक कमी के कारण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई,

(ख) क्या त्रिपुरा के उप-राज्यपाल ने कठिनाईयों को दूर करने का आश्वासन दिया है, और

(ग) विस्थापितों के भारी संख्या में आगमन के कारण पहिले से ही अधिक काम में आ रही त्रिपुरा की परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) . त्रिपुरा प्रशासन से एक वेता संदेश प्राप्त हुआ है जिसमें "उन्होंने पूर्वी बंगाल से आये विस्थापितों के लिए सहायता कार्य के लिए त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम को 100 ट्रक टायर उपलब्ध कराने की सहायता के लिए कहा है । उस निगम को तुरन्त सप्लाई भेजने के लिए

मैसर्स डनलप (इण्डिया) लि० के एक प्रतिनिधि से तत्काल बात की गई। त्रिपुरा सड़क परिवहन निगम की टायरों की वास्तविक पूर्ति की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

उपरोक्त के अलावा, त्रिपुरा प्रशासन से त्रिपुरा में ट्रक टायरों की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ख) **और (ग).** अपेक्षित सूचना, त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

त्रिपुरा में राज्य परिवहन बोर्ड

2622. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में राज्य परिवहन बोर्ड का गठन किया गया है। यदि हां, तो किस तारीख को और,

(ख) इस बोर्ड के नियंत्रण में कितनी बसें और ट्रक चल रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). त्रिपुरा में किसी राज्य परिवहन बोर्ड का गठन नहीं किया गया है परन्तु सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अन्तर्गत 31 मार्च 1970 को त्रिपुरा सड़क परिहवन निगम की स्थापना की गई जिसका काम क्षेत्र में सड़क परिहवन सेवाओं की व्यवस्था करना था। इस निगम ने 34 ट्रक पहले ही खरीद लिये हैं और जून 1971 के अन्त से पहले और 26 ट्रक खरीदने का प्रस्ताव है। इस निगम ने अभी कोई बस नहीं खरीदी है।

त्रिपुरा में स्कूल का दर्जा बढ़ाने हेतु अनुदान देना

2623. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के जलधारा स्कूल का दर्जा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक करने के लिए अनुदान माँगा है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी नहीं। त्रिपुरा में जलधारा नाम का कोई स्कूल नहीं है। हां, त्रिपुरा में साल गरह नामक एक सीनियर बेसिक स्कूल अवश्य है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस स्कूल का दर्जा बढ़ाकर इसे हाई स्कूल करने का प्रश्न त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है।

हरिजनों के लिए मकानों के निर्माण हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को अनुदान

2624. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970–71 के दौरान हरिजनों और गिरीजनों के लिए मकानों के निर्माण हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार को किसी राशि का नियतन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री० के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी अनुबन्ध में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-471/71**]

तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋण

2625. **श्री भुवाराहन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को अब तक कितनी राशि के ऋण और अग्रिम धन दिये गये हैं; और

(ख) क्या लघु उद्योगों को ऋण और अग्रिम धन देने के लिए प्रत्येक बैंक के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तमिलनाडु में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा लघु उद्योगों को दिसम्बर 1970 के अन्त तक दिये गये ऋणों के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

खातों की संख्या	9709
बकाया रकम	22·36 करोड़ रुपये

इसमें औद्योगिक बस्तियों को दिये गये ऋण भी शामिल हैं :

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग रकमों का निर्धारण नहीं करते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद से ऋण देने की उदार प्रक्रिया के अनुसार बैंक, लघु उद्योग क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहले से अधिक मात्रा में पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उच्च अध्ययन हेतु विदेशों को भेजे गये छात्र

2626. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च अध्ययन के लिये विदेश भेजे गये छात्रों की संख्या का वर्ष वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के चयन की कसौटी क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) . विवरण संलग्न है ।

(ग) विदेश में अध्ययन के हेतु शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित दो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं । इनमें से पहली योजना का सम्बन्ध विदेशी सरकारों/ऐजेन्सियों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियों से है । इसके लिए योग्यता ही चयन की एक मात्र कसौटी है । दूसरी योजना, जिसकी वित्तव्यवस्था पूर्णतया भारत सरकार द्वारा की जाती है, केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिवासियों और अनुसूचित आदिवासियों के विद्यार्थियों के लिए है । इस योजना के अधीन प्रतिवर्ष नौ छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं । यद्यपि प्रतिवर्ष 9 अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है, तथापि विदेशों में उनके चुने हुए विषयों में उन्हें स्थान दिलाना सदैव सम्भव नहीं होता, और इसी कारण तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या में कमी हुई है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उपरोक्त प्रथम योजना के लिए योग्यता के आधार पर चुना गया था ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित संख्या में छात्र उच्च अध्ययन के हेतु विदेश भेजे गये थे ।

विदेश भेजे गये छात्रों को और उनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों की संख्या

वर्ष	कुल सख्या	उनमें समाविष्ट अ० जा०	और अ० आ०
1968–69	326	6	2
1969–70	323	5	6
1970–71	300	4	1

विदेश भेजे गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासी छात्रों की राज्य वार और वर्ष वार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य/स० क्षेत्र	वर्ष 1968–69		1969–70		1970–71	
	अ० जा०	अ० आ०	अ० जा०	अ० जा०	अ० जा०	अ० आ०
तमिलनाडु	1	—	3	—	—	—
मैसूर	2	—	—	—	1	—
राजस्थान	1	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	1	1	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	1	—	1	—	—

उत्तर प्रदेश	1	—	—	—	—	—
असम	—	—	—	3	—	—
नागालैंड	—	—	—	1	—	—
पंजाब	—	—	2	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	1	—	—
आँध्र प्रदेश	—	—	—	—	1	1
त्रिपुरा	—	—	—	—	1	—
अज्ञात	—	—	—	1	1	—
योग	6	2	5	6	4	1

सामान्य छात्रवृत्ति योजना के अधीन भेजे गये छात्रों की राज्यवार सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

अनुदान आयोग के अनुदान

2627. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केरल विश्वविद्यालय को कितनी राशि के अनुदान दिये गये; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश के अन्य विश्वविद्यालयों की वर्ष वार और राज्यवार दिये गये अनुदानों के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) . विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं को जिनमें केरल विश्वविद्यालय भी शामिल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों का विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 472/71**]

जीवन बीमा निगम की आवास ऋण योजना

2628. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जीवन बीमा निगम की आवास ऋण योजना को दस हजार से अधिक की आबादी वाले शहरों में भी लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . जी, नहीं। मकान बनवाने के लिए ऋण देने की जीवन बीमा निगम की 'सम्पत्ति बन्धक' और 'अपने मकान के मालिक बनो' योजनाएं जनसंख्या पर ध्यान दिये बिना, उन सभी केन्द्रों में लागू की गयी हैं

जहां पर निगम के शाखा कार्यालय अथवा उप-कार्यालय हैं। ऐसे कुछ केन्द्रों की जनसंख्या तो 10000 से भी कम है। ये योजनाएं कुछ ऐसे अन्य चुने हुए केन्द्रों में भी लागू हैं जहां जीवन बीमा निगम का कोई कार्यालय नहीं है। जिन केन्दों में ये योजनाएं लागू हैं उनकी कुल संख्या 423 है।

Section Officers, Hindi Translators and Hindi assistants in the Deparment of Economic affairs.

2629 **Shri C. P. Shailani :** Will the Minister of Finance be pleased to State :

(a) The number of Section officers, Hindi Translators and Hindi Assistants in the Hindi Section of the Department of Economic Affairs in his Ministry;

(b) The method of recruitment and promotion to the said posts;

(c) The number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees among them; and

(d) If reply to part (c) above be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of finance Revenue & Expenditure (Shri K. R. Ganesh) : (a) The staff position in the Hindi Section is as under :

(i) Section Officer	2
(ii) Hindi Translators	10
(iii) Hindi Assistants	7

(b). (i) **Section officers :** Promotion of Translators with 5 years service in the grade within the Department, failing which by transfer on deputation, failing which by direct recruitment.

(ii) **Hindi translators :** By transfer of persons employed in the Ministry of Finance and holding for the time being the posts of Hindi Asssistants (Grade Rs. 210-530) with minimum three years of service in the grade, failing which by direct recruitment.

(iii) **Hindi Assistants :** There are no recruitment rules for these posts since the Government has decided to abolish them and create posts of translators in lieu. The present incumbents were selected from among the Hindi-knowig U. D. Cs and L. D. Cs, on an all Secretariat basis.

(c) None.

(d) In the section officer's grade the reservation orders do not apply since they have been filled by promotion. As regards Translators, the Hindi Assis'ansts who have been promoted as Translators, were recruited initially through the U. P S. C. and nominated by the Ministry of Home Affairs. No Hindi Assistant belonging to Scheduled Caste and Scheduled tribe was nominated by the Ministry to the department of Economic Affairs. As regards Hindi Assistants, ad hoc appointments have been made from amongst Hindi-knowing. U. D. Cs and L. D. Cs on an all secretariat basis. These are purely ad hoc because according to the present instructions of the Ministry of home Affairs, the posts of Hindi

Assistants are to be abolished and in lieu posts of hindi Translators are to be created. Action in this behalf is already in hand and as soon as the recruitment rules are framed the posts will be filled on regular basis and the orders for reservation for Scheduled Caste Scheduled Tribes will be observed.

एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा की मान्यता

2630. **श्री किन्दर लाल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भारत सरकार के वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा की मान्यता इस वर्ष से समाप्त कर दी है; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कतिपय प्रतिबन्ध लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय डिप्लोमा प्राप्त लोगों के लिए स्नातकोत्तर के अध्ययन हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की एक योजना सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी है यदि हां तो क्या सरकार का विचार इसे शीघ्र क्रियान्वित करने का है; और

(घ) राष्ट्रीय डिप्लोमा (वाणिज्य) प्राप्त छात्रों द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आगे अध्ययन करने के लिए सरकार के पास क्या हल है ?

शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) कार्य प्रशासन में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय ने वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा को किसी भी समय मान्यता नहीं दी थी। इसलिए, मान्यता को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) विश्वविद्यालय ने एम० काम० के पाठ्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमा को, शैक्षिक तौर पर, अपनी बी० काम० की डिग्री के समकक्ष नहीं माना है। फिर भी, विश्वविद्यालय ने एक अस्थायी अध्यादेश (1968) के अधीन वाणिज्य में राष्ट्रीय डिप्लोमाधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय की बी० काम डिग्री परीक्षा में बैठने के लिए अथवा बी० काम० पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने से सम्बन्धित परीक्षा में बैठने के लिए, दोनों मामलों में दो शैक्षिक अवधियों के अनुदेश पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद, विशेष व्यवस्था की है।

(ग) विश्वविद्यालय से कोई विशिष्ट योजना प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्ताव अभी भी, विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

(घ) बहुत से भारतीय विश्वविद्यालयों ने वाणिज्य में उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश

के मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डिप्लोमा को अपने बी० काम० पाठ्यक्रम के समकक्षा मान्यता दी है। राष्ट्रीय डिप्लोमाधारी एम० काम० डिग्री के सम्बन्ध में अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध कार्यक्रम हेतु धन राशि का नियतन

2631. **श्री के० सी० पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में मद्यनिषेध कार्य-क्रम के लिए कितनी धन राशि नियत की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 8 के अनुसार मद्य निषेध कार्यक्रम तथा उसकी कार्यान्विति राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और इसलिए योजना व्यवस्था के अधीन इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कोई धन-ाशि आवंटित नहीं की गई है।

राजस्थान में पर्यटन आकर्षण स्थलों का विकास

2632. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने राजस्थान में कोटा और उसके आसपास के पर्यटन आकर्षक स्थलों का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही की है और इस बारे में भावी योजनाएं क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : साधनों के सीमित होने तथा प्राथमिकताओं के कठोर क्रम निर्धारण के कारण, कोटा में तथा उसके आस-पास पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में कोई स्कीमें नहीं बनाई गयी है।

प्रादेशिक राजधानियों को दिल्ली के साथ जोड़ने हेतु हवाई उड़ाने

2633. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय त्रिवेन्द्रम, बंगलौर और भुवनेश्वर जैसे महत्व-पूर्ण प्रादेशिक राजधानिय़ों का दिल्ली के साथ ठीक सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) जो यात्री समय की बचत करना चाहते हैं उनकी कठिनाई दूर करने हेतु क्या सरकार की कोई योजनाएं हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). (1) दिल्ली और भुवनेश्वर तथा (2) दिल्ली-बंगलौर के मध्य, दोनों ओर, उसी दिन की संयोजक सेवाएं उपलब्ध हैं। त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के लिए उसी दिन की संयोजक सेवा उपलब्ध है

परन्तु विपरीत दिशा में ऐसा नहीं है। इण्डियन एयरलाइन्स की 1971 की सर्दियों से ऐसी व्यवस्था कर देने की योजना है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बम्बई से कोचीन और कोचीन से बम्बई के लिए बुकिंग

2634. **श्री बयालार रवि** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 से इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बम्बई से कोचीन तथा कोचीन से बम्बई के लिए कुल कितने स्थानों की बुकिंग की गई; और

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रियों की इस मांग को कहां तक पूरा किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख). जनवरी 1970 से मई 1971 की अवधि के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स ने कोचीन से बम्बई के लिये 26,880 तथा बम्बई से कोचीन के लिये 25,767 यात्रियों का वहन किया, फिर भी वहन क्षमता आवश्यकताओं से कम पड़ गई।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गंगा नदी में, अलकनन्दा में, तीस्ता नदी में तथा असम में कुछ नदियों में कथित भारी बाढ़

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I call the attention of the hon. Minister of Irrigation and power to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon. Situation arising out of the reported heavy floods in the ganges in Bihar, Alaknanda in U. P. Teesta in Cooch Bihar and Jalparguri Districts of west Bengal and some rivers in Assam.?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : The South West monsoon advanced into Assam on 29 May, North Bengal on 31 May, Bihar on 3 June, Eastern Uttar Pradesh on 6 June and Western Uttar Pradesh on 8 June. The monsoon rainfall upto 16 June, was in excess in North Bengal, Bihar and Uttar Pradesh and was deficient in Assam. During the period heavy rainfalls recorded were 13 cm on 9 June and 10 June at Passighat, 10 cm on 9 June at Dibrugarh and 14 cm on 15 June at Jorhat in Assam, 18 cm on 11 and 12 June at Bagdogra, 19 cm on 12 and 13 June at Jalpaiguri and 22 cm on 15 June at Cooch Behar in North Bengal, 8 cm and 6 cm respectively on 12 and 14 June at Joshimath and 27 cm on 14 June at Dharchula in Uttar Pradesh.

During the current monsoon floods have been reported on the Brahmaputra and some of its tributaries in Assam; Teesta in North Bengal; the Ganga and some rivers

in North Bihar and in Chamoli and Pithoragarh districts in Uttar Pradesh. The details of the flood situation received so far are as follows :

In Assam, the Brahmaputra and its tributaries Subansiri and Pagladiya were in floods. The Brahmaputra was above the warning stage on 13 June at Dibrugarh and at Neamati from 12 June onwards. The level at Dibrugarh had fallen below warning stage on 14 June. The level at Neamati began to fall on 16 June but was still above warning stage on 17 June. At other places, the levels were below the warning stages. As a result of erosion there was a breach in the left embankment on the Subansiri.

In North Bengal, floods of modern intensity occurred on the Teesta on 4 June and spillong took place in the unprotected areas in Jalpaiguri and Cooch Behar district. The Teesta was again in floods on 8 June. In the early hours of 14 June there was heavy floods in the Teesta. The floods Subsided by noon time on the same day.

In Bihar, the Ganga was only in low floods. The Kamla Balan, Bagmati and the Kosi were in medium floods. The Bagmati was rising on 17 June but was still below the warning stage. No damage has so far been reported.

In Uttar Pradesh, there were heavy rains in the Alaknanda basin in Chamoli district on 10 June. Due to landslides and house collapse, 5 people are reported to have lost their lives. A bridge at Ringigad was washed away. The Badrinath road was breached at a number of places beyond Nandaprayag. A temporary bridge at Birahi was washed away. In Pithoragarh district, there were heavy rains on 10 and 11 June. Galmiti bridge near Dharchula was washed away and traffic was disrupted. One person lost his life. There was loss to Government and private property at Dharchula.

The assessment of damage is being done by the State Governments:

Shri Ramavtar Shastri : Even after 23 years of independence we have been vitnessing floods in one or the part of the country. In this season the rains have set the little earlier. All the rivers in Bihar have swallen beyond danger mark. Maize crop have been destroyed almost totally. Almost all the districts of Bihar have been affected by floods. Property worth crores of rupees have been lost.

Three girls have been swept away in Alaknanda this years. Some other persons have also died in the floods. Traffic to and from Badrinath have been stopped. Loss of crores of rupees have been assessed. Four village have been completely destroyed.

There is danger to Cooch-Bihar and Jalpaiguri from the flood water of Teesta. Water has already entered in Jalpaiguri city. 146 villages have been affected due to floods in Brahmputra. No one Knows as to what extent the situation will deteriorate as two months of rainy season still remains. We have not been able to check the floods even after 23 years of indepandance. I want to know the schemes inroduced by Government to Control the floods during the last three years and success achieved thereby and also the expenditure incurred on them ?

May I know whether the Government had made any assessment of the floods this year in advance and if so, the steps taken by Government to check them ?

The Ex-Irrigation Minister of the United Frunt Government in West Bengal Shri Vishwanath Mukerjee submitted a Master Plan first in 1967 and again in 1969. I want

to know whether the Central Government have implemented that Master Plan and if not the difficulties faced by Government in implementing the said Master Plan? May I also know whether Government intend to implement the said Master Plan or not to save the people of West Bengal and Bihar ?

I would also like to know whether Government propose to gives Flood Advance to its employees who are affected by the floods in these states ?

Shri B. N. Kureel : There is no doubt that we suffer huge loss of life and property every year due to floods. Keeping in view Government framed a national policy in 1954 in this regard. It is to be implemented in three phases. We have been working on these basis. A flood Control Board has been set up. A technical committee has been constituted in Assam which gives his counsel in this regard Some schemes have been undertaken to construct embankments to strengthen the existing embankments and also to pump out the water.

The following projects have been undertaken in various parts and amount allocated for them is also shown against each :

In Assam protection of Kobitnukh Area from

Erosion of river Brahmputra—336 lakh rupees.

Dubri Protection works —155 lakh rupees.

Mizar protection works —100 lakh rupees.

In Bihar : Raising and strengthening of Kamla Balan embankment 103 lakh. rupees.

Protection work of Kosi embankment 320 lakh rupees.

In Bengal : Eastern Magrahat drainage scheme—296·50 lakh rupees.

Swaranrekha embankments scheme 132·64 lakh rupees and improvement of lower Damodar (Phase—1) 655 lakh rupees.

In North Bengal following scheme have been undertaken.

Sialdagang Basin Drainage scheme 115 lakh rupees Nowri Basin Drainage scheme 149 lakh rupees and Resuscitation of river kaliagai 425 lakh rupees.

The work on the following projects in Uttar Pradesh have also started. The amount allocated against each of them hadenow down Protection works 296 lakh rupees strengthening of Railway embankment near Chiltori railway station—119 lakh rupees.

It was not anticipated that the floods will come so soon. Nothing can be said about Alaknanda. It has started giving trouble since last years. Before that it was not going any trouble.

Shri Tuna Qraon (Jalpaiguri) : The hon. Minister has not said anything about the flood central measure in North Bengal. No report of the Flood Control Board has

been published. I want to know the steps being taken by Government to publish the report and also to emplement it ?

Shri B. N. Kureel : We have already taken in hand the extension of waterway of Jalpaiguri Road and Railway Bridge and secondly Providing a proper out fall to Karla river to prevent flooding in Julpaiguri town.

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : यदि आप माननीय मन्त्री के वक्तव्य को, देखे तो मालूम होगा कि यह घटनाएं बताने वाले विवरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या संसदस्यगण और बाहर के लोग यह जानने के हकदार नहीं हैं कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है। परन्तु माननीय मंत्री ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है।

इस बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है कि बाढ़ से जान एवं माल की कितनी क्षति हुई है। लगभग सभी समाचारपत्रों में यह छपा है कि उत्तर बंगाल में लगभग 30,000 लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा है। लगभग 800 एकड़ धान की भूमि तथा 160 मकान बाढ़ में बह गए हैं।

यह घोषणा की गई है कि उत्तर बंगाल में बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड स्थापित किया जायेगा और एक छोटा सा कार्यालय स्थापित किया भी गया है। क्या यह बोर्ड बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य कर रहा है और क्या माननीय मंत्री को पता है कि उत्तर बंगाल की नदियों को नियंत्रण में लाने के लिए 1969 में शिमला में सिंचाई मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें एक योजना बनाई गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित नदियों के लिए उनके आगे दी गई राशि निर्धारित की गई थी।

बृहत योजना	तीस्ता नदी	114 करोड़ रुपये
,, ,,	जलधारा नदी	9·41 ,, ,,
,, ,,	शेयडाक नदी	30·85 ,, ,,
,, ,,	तोरणा नदी	28·30 ,, ,,
,, ,,	महानन्दा नदी	1·82 ,, ,,

क्या 184·38 करोड़ रुपये की समूची राशि उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के लिए मंजूर कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि तकनीकी समिति ने रेल तथा सड़क पुलों के विस्तार के अतिरिक्त अन्य क्या सुझाव दिए गए हैं। क्या मंदलघाट और जलपाईगुड़ीटाइम से बेलराली और झाड़ सिगेश्वर तक बांध बनाने की योजना मंजूर की गई थी और फिर अचानक रिवीगंज में इस पर कार्य रोक दिया गया। इसके फलस्वरूप लोगों के मन में गम्भीर शंका उत्पन्न हो गई है। यदि इस योजना को झाड़ सिंगेश्वर और बेलराली तक नहीं बढ़ाया गया तो हल्दीबाड़ी देवागंज, हेमकुमारी आदि का समस्त क्षेत्र मानसून में बह जायेगा। मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि मूल योजना को क्रियान्वित किया जाये।

अन्तः में यह जानना चाहता हूं कि जलपाईगुड़ी में जिन 30,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं उनको क्या सहायता दी गई है ।

क्या सरकार का विचार बाढ़ बीमा योजना शुरू करके लोगों को कुछ राहत देने का है ?

श्री बैजनाथ कुरील : मैंने पहले ही बताया है कि सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण योजना बनाई है और इसकी तीन अवस्थायें हैं । दीर्घावधि अवस्था पर 30—40 वर्ष लगेंगे । राज्य सरकार लोगों की हुई क्षति के बारे में अनुमान लगा रही है । यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार में सहायता मांगेगी तो केन्द्रीय सरकार उस पर विचार करेगी । हम बाढ़ पर नियन्त्रण पाने के लिये सभी सम्भव प्रयास करेंगे ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि 184·28 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है अथवा नहीं ।

श्री बैजनाथ कुरील : योजना तैयार की गई है । परन्तु जैसा मैंने कहा यह एक दीर्घावधि नीति इस राशि को खर्च करने में बहुत समय लगेगा ।

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : The floods have played havoc in many parts of the country. There is a huge loss of life and property. Keeping in view all this I think it is not enough to say that some steps are being taken. I want to know whether the Government is working or thinking on any such system through which we may be able to make forcast about the floods and thereby some two hundred of people from being worked away ? I also want to know the steps taken in ensurance with the announcement made by the hon. Minister in the Conference held here last year ? Many hon. Members have expressed their views for constituting a Central Board. It has also been suggested that central Government may take away the powers of states in this regard and if necessary constitution may be amended accordingly. The hon. Minister Shri K. L. Rao has stated in his statement that Government has prepared a comprehensive plan to provide "substantial" protection from floods, cyclones, sea erosions and water logging in the coming years. The hon. Minister has also suggested the creation of a revolving found for financing these massive flood central works. I want to know the steps taken by Government in pursuance of these Utterances.

The union Government have also admitted that five states in India are the worst affected by floods. I want to know, what Government is going to do in these states keeping in view the present situation prevailing in these States. I also want to know the nature of assistance already provided, being provided or will be provided to these States.

Shri B. N. Kuril : In Jalpaiguri and Patna we have flood forecasting Centres, I am not in a position to tell in details the action taken on the Commitment given in the consultative committee. We have an estimate of the loss suffered by the people in the flood affected states. But when the state Government will seek the Central assistance we will look into it.

Shri Laxminarain Pandey : I have enquired about amending the constitution.

Shri B. N. Kureel : It is a question relating to Centre State relations. I can not say anything off-hand in this regard.

Shri N. S. Bisht (Almora) : The hom Minister has not Stated anything as to what is being done in the hill areas of Uttar Pradesh in this regard. It has appeard in "Times of India" that 600 pilgrims have been stranded at Chamoli. The U. P. Government have issued orders to the effect that no one should visit Kedarnath or Badrinath. Land slides in this area are boquest. The Government should have taken steps to remove the difficulties of the people of this area. I also want to know the assistance being given by the Government to the people who have been forced to leave their houses and family. May I know whether any schemes for protection from the floods have been prepared for this area also. This is the most backward area.

Shri B. N. Kureel : There is no doubt that the hill area of Uttar Pradesh are quite backward areas. There was no problem earlier with Alaknanda or Bhagiratti. There are two tritutories of Ganga. Since last year we have come across with the problem and some schemes will be prepared to remove the difficulties. I assure the Home we will pay due attention to this area.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम

संसदीय कार्य, नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 16 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (1)/71–टीपीटी० में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 448/71]**

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन, डाक-घर बचत पत्र (दूसरा संशोधन) नियम और अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालल में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1969–70 के कार्य सम्बन्धी वार्षिक प्रतित्रेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 450/71]**

(2) मैसूर राजध के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971

की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर स्टाम्प अधिनियम, 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या एस० ओ० 874 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1971 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 449/71]**

(3) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक-घर बचत पत्र (दूसरा संशोधन) नियम 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 907 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 451/71]**

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति—

(एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1997 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2168 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2272 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) एस० ओ० 2276 (हिन्दी संस्करण), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जून, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4001 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 452/71]**

(1) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) जी० एस० आर० 611, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 706, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

ती(न) जी० एस० ग्रार० 775, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० ग्रार० 801, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्यक ज्ञापन ।

(पांच) जी० एस० ग्रार० 810 से जी० एस० ग्रार० 875 तक, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० ग्रार० 894, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जून 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 453/71**]

(2) सीमा शुल्क ग्रधिनियम, 1962 की धारा 159 के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) जी० एस० ग्रार० 689, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० ग्रार० 803, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० ग्रार० 876, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० ग्रार० 877, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) जी एस० ग्रार० 878, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० ग्रार० 879, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० ग्रार० 880, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्राठ) जी० एस० ग्रार० 881, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी० एस० ग्रार० 882, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुग्रा था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) जी० एस० ग्रार० 883, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) जी० एस० ग्रार० 884, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशिन हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) जी० एस० ग्रार० 885, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) जी० एस० ग्रार० 886, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) जी० एस० ग्रार० 887, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 29 मई. 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) जी० एस० ग्रार० 888, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) जी० एस० ग्रार० 889, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 मई, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 454/71**]

(7) सीमा शुल्क ग्रधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ग्रौर लवण ग्रधिनियम, 1944 की धारा 38 के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) बीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 676 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) इक्कीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 677 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) बाइसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 678 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) तेइसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० 679 में प्रकाशित हुए थे ।

(पाँच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) चौबीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 680 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) पच्चीसवाँ संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 681 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) छब्बीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 682 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) उन्नीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 मई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 683 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 455/71]**

हिन्दी के प्रयोग के बारे में वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से हिन्दी के त्वरित प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिये इसके उत्तरोत्तर प्रयोग सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में वर्ष 1969–70 के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 456/71]**

भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान के बारे में प्रमाणित लेखे,
आर्थिक प्रतिवेदन तथा विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) औद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1968–69 के लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त लेखे के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी का संस्करण) **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 457/71]**

(2) उपर्युक्त लेखे को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1969–70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० 458/71**]।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी सँस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 459/71**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 8 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक सभा की लोक लेखा समिति से सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों का नाम-निर्देशन किया जाये और राज्य सभा ने अपने निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी भेजे हैं जो उक्त समिति के लिये निर्वाचित हुए हैं—

(1) श्री एस० बी० बोबर्डे

(2) श्री बी० के० कौल

(3) श्री निरंजन वर्मा

(4) श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

(5) श्री तिल्लई विल्ललन

(6) श्री श्याम लाल यादव

(7) श्री शीलभद्र याजी

(दो) कि राज्य सभा 8 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत हुई कि 30 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति से सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से पांच सदस्यों का नाम निर्देशन किया जाये और राज्य सभा में अपने निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी भेजे हैं जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित हुए हैं—

(1) श्री सईद अहमद

(2) श्री नारायण कल्याण कृष्णन्

(3) चौधरी ए० मोहम्मद

(4) श्री डाह्याभाई व० पटेल

(5) श्री कोटा पुन्नेया

(तीन) कि राज्य सभा ने 16 जून, 1971 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) विधेयक, 1971 पास किया है।

(चार) कि लोक सभा द्वारा 14 जून, 1971 को पास किये गये बंगाल वित्त (बिक्रय कर) (दिल्ली नियुक्ति तथा कार्यवाही विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि लोक सभा द्वारा 14 जून, 1971 को पास किये गये स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 1971 से राज्य सभा 17 जून 1971 को हुई अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

DELHI SIKH GURDWARA (MANAGEMENT) BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) विधेयक, 1971 सभा-पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं सोमवार 21 जून, 1971 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकार कार्य की घोषणा करता हूं :—

(1) 13 मई, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के लिये सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

(2) पंजाब बजट 1971–72 पर सामान्य चर्चा।

(3) वर्ष 1971–72 के लिये पंजाब बजट सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(4) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन के लिये सांविधिक संकल्प पर चर्चा और सिख गुरुद्वारा (प्रबन्ध) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार तथा पास करना।

(5) मैसूर राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार तथा पास करना।

(6) पश्चिम बंगाल सुरक्षा (त्रिपुरा पुनरधिनियम) अध्यादेश, 1971 के निरनुमोदन के लिये सांविधिक संकल्प पर चर्चा।

(7) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1971 की संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति के लिये प्रस्ताव पर विचार।

(8) गृह मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान। सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

संचार मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त की यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING VISIT OF U. N. HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त राजकुमार सदद्दीन आगा खां की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 462/71**]

समितियों के लिये निर्वाचन

MOTIONS FOR ELECTIONS

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अधीन परिषद

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 (2) (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के अधीन स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा (31) (2) (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के अधीन स्थापित परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted]

भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3, 1 और 3. 1. 1. के साथ पठित संस्थान की सम्पत्ति तथा निधि प्रशासन और प्रबन्ध सम्बन्धी स्कीम के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले कार्य काल के लिए, संस्थान की परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारतीय विधान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम, 3, 1 और 3. 1. 1. के साथ पठित संस्थान की सम्पत्ति तथा निधि प्रशासन सम्बन्धी स्कीम के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाले कार्य काल के लिए, संस्थान की परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted]

कृषि पुनर्वित निगम (संशोधन) विधेयक

AGRICULTURAL REFINACE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि कृषि पुनर्वित निगम

अधिनियम, 1 63 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

[**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
The motion was adopted]

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक जारी

STATUTORY RESOLUTION RE : MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY ORDINANCE AND MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY BILL CONTD.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I am thankful to the hon. Members who have supported the statutory Resolution moved by me. It has been argued that they want to remove poverty and in view of this Maintenance of Internal Security Bill should be adopted. They also pleaded that they want to fight right reaction and left extremism. The question is whether in the present situation it is necessary to adopt this Maintenance of Internal security Bill ? This question should be examined on the basis of facts and figures recorded in the report of Ministry of Home Affairs in this regard. It will be observed that the said legislation was unnecessary and uncalled far. Most of the persons arrested under the said Act have been classified as bad characters. It will be seen that very few people have been detained due to spying, disrupting the services and sabotaging the supply system. It was only in West Bengal that 1483 persons were arrested due to their violent activities. But how can violent activities be stopped under the Maintenance of Internal security Act ? Prevention of Violent Activities Act is already in force in West Bengal Shri K. C. Pant had admitted that we cannot face Naxalite violence with this Act alone. It has been said that political personalities are being killed and violence is on increase in West Bengal. We also want that political murders should be stopped. People should renounce viole ce. Democracy and violance cannot go side by side. But I fail to understand as to how maintenance of internal security Act would help in this matter ? Murders are committed in secret manner. No one makes any announcement about such incidences. In case Government know the culprits than they can be arrested even under ordinary law. Maintenance of Internal security Bill is not required for that purpose. Even if it is considered necessary for certain state, it should be introduced at state level some honrible Members of ruling party also feel that this Bill is uncalled far. Shri Amrit Nahata has

expressed this feeling and opposed this Bill. He has proved that the executive authority can misuse these powers. If religious discrimination is possible the political desimination is all the more possible. If any person indulged in any antinational activity action must be taken against him. But he must be given free trial. It is the principal of law that 100 offenders of law may go self free but not a single innocent person should be punished. But there is no provision of such a trial under this law. Moreover no time limit has been set for the enforcement of this law. Shri K. C. Pant had given an indication yesterday to the effect that Government might announce national emergency in view of the present crisis. In such eventuality individual freedom will have to be curtailed. The freedom of the country is over and above the freedom of an individual. There is no doubt about it. But I may point out that there is no crisis as such and I am sure that the executive authority will misuse these powers. They will use it against their political opponents and the people who differ with them.

In Case emergency is declared than this bill is not necessory at all. In fact in such a situation Government should withdraw it as it is likely to Create division in the Country where as we need unity. I hope shri Pant will not press for this Bill keeping in view this Criticism.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I opose this Bill. The Prime Minister had comenced a meeting of the opposition parties to discuss the problem of Bangla Desh and we had emphasised that this situation demands complete unity in country and it would be better if such a legislation is not pressed which is opposed by the opposition parties. Shri Pant has not been able to convince us and lesson our concern. He has stated that provision will not be misused but we can say on the basis of our part experience that it will be misused. He has said that this provision is necessary to meet the challange of Nexalites In fact the present circumstances are responsible for creating Nexalite tendencies. Government should not bring an end to the unity of the country. They should reconsider this measure and it would be better if they withdraw this Bill. In that event I would like to give an assurance that we shall meet the external or internal danger, if any, unitedly without giving any weight to our political differences.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा 7 मई, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : लोक-सभा में हुए मत विभाजन का निर्णय इस प्रकार है :

पक्ष में 69 विपक्ष में 150

Ayes. 69 Noes 150

संकल्प अस्वीकृत हुआ

The Resolution was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 1, 2, 3, तथा 60 पर मत विभाजन होगा ।

संशोधन संख्या I मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया ।

पक्ष में 75; विपक्ष में 158

Ayes 75; Noes 158

संशोधन अस्वीकृत हुआ

The amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 3, संशोधन संख्या 2 के बीच ही आ जाता है । अतः मैं संशोधन संख्या 3 सभा में प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 60 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 60 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के प्रयोजनार्थ कुछ मामलों में निरोध का तथा इससे सम्बन्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे । खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 Was added to the Bill

खण्ड — 3

श्री कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : मैं अपने संशोधन संख्या 7, 8, 10, 11, तथा 12 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 18, 19, 20, 22 तथा 23 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : मैं संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नाथूराम अदिरवार (टीकमगढ़) : मैं संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नवल किशोर शर्मा (ढ़ौसा) : मैं संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : इस विधेयक का समग्र रूप में मूलत: विरोध करते हुए मैं इसके कुछ खण्डों में संशोधन चाहता हूं ।

किसी अन्य विदेशी शक्तियों से भारत के सम्बन्ध से सम्बन्धित उपधारा (1) के खण्ड (क) में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि इस विधेयक का उद्देश्य आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना है तो इस खण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक का खण्ड 3 निवारक निरोध अध्यादेश, 1950 का पुनरावर्तन मात्र है । सत्ताधारी दल को इतना अधिक समर्थन प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

यह कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का उपाय नहीं है । इस अधिनियमन का राज्य की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है । सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने की व्यवस्था से रेलवे अथवा डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की किसी भी हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है और उसके नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है ।

सरकार को अपने कर्मचारियों में रोष के कारण और भूमिसुधार कानूनों को प्रभावी रूप में क्रियान्वित न किए जाने के कारण किसानों में असन्तोष के कारण इनसे व्याप्त असन्तोष और उनकी उचित मांगों से कठिनाई और अधिक गड़बड़ की शँका है। अत: सरकार इस अधिनियम से अपने कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों के संघर्ष को दबाना चाहती है ताकि देश में आन्तरिक सुरक्षा कायम रखना चाहती है ।

नक्सलवादी समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर इसलिए बताया जाता है कि मजदूरों और किसानों के उचित संघर्ष को दबाया जा सके और देश कुछ इने गिने जमीन्दार और सरमायेदार देश की 55 करोड़ जनता का शोषण करें ।

इस विधेयक और मूल निवारक निरोध अधिनियम में कुछ अन्तर नहीं है। सरकार इस अधिनियम से बाहर और भीतर प्रतिक्रियावादी शक्तियों, सरमायेदार शोषकों की शक्ति

बढ़ाना चाहती है। परन्तु सरकार अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पायेगी क्योंकि मजदूर और किसान आज अपना बचाव करना जनते हैं।

यदि सरकार आन्तरिक सुरक्षा शान्ति बनाये रखने में सफलता चाहती है तो उसे अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। आज की यही आवश्यकता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We oppose the provisions in Clause 3 (1) of the Bill The words "the relations of India with foriegn Powers" Should be deleted from this Clause. This provision has no precise meaning. Moreover this is very wide provision. Government intend to deprive the poor people of their right to Critisise any foreign Country. This is not proper nd justified. No body wants to strain our relations with any foreign Country. Government should not deprive people of their right. When Pakistan is bent upon straining its relations with our Country. it is not proper to ban our people from Criticizing it rather Publi openion should be aroused in this regard.

So far as the 'maintenance of Public Order' is Concerned, it is not necessary. For this purpose Ordinary laws are sufficient which can be used, because this provision has been freely misused. Therefore, this should be deleted from the Bill.

The Provisions of maintenance of supplies essential to the Community has been included in this Bill. This is intended only to suppress the resenment, just demands and strug le of the workers, peasants and Government employees. But the interpretation of the Bill is that it intends to take legal action against black-marketters, For this we have already maintenance of Essential services Act and the Essential Commodites Act In view of these acts there is no necessity of this provision.

The Bill empoewers the District Magistrate, Additional District Magistrates, and the Police Commissioners for passing detention orders. If Government is really anxious to to ensure that there is no misuse of law this power should only rest with the Chief Secretary and the Home Secretary and not given to District Magistrate. There should be no objection in accepting this ammendment.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : खण्ड 3 से 'सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखना' शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत व्यापक हैं और किसी भी व्यक्ति को, इसके अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक कि यदि इस उपबन्ध को ज्यों का त्यों रखा गया तो किसी भी सन्देह पर किसी व्यक्ति को भी नजरबन्द किया जा सकता है। फिर "समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति तथा सेवाओं का बनाये रखना" शब्दों को हटा देना चाहिए। यदि इन शब्दों को रखा गया तो इसका अर्थ होगा कि सरकार की इच्छा होगी कि किसी भी आवश्यक सेवा के मजदूर कार्मिक संघ आन्दोलन में भाग न ले सकें।

जिला मैजिस्ट्रेटों और ओवर जिला मैजिस्ट्रेटों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि वे रबड़ की मोहरों के समान होकर उन सभी कागजातों पर, जो पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनके सामने रखे जाएं, हस्ताक्षर कर दें। देखने में आया है कि इन अधिकारों को राजनीतिक विपक्षियों, को तंक करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है और समाज विरोधी तत्वों को नहीं पकड़ा जाता।

किसी भी व्यक्ति को किन्हीं भी परिस्थितियों में 5 दिन से अधिक जेल में नहीं रखा जाना चाहिए और पांच दिन के उपरान्त वर्तमान कानून के अन्तर्गत उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और उसे अपने बचाव का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह अब तक पास हुए कानूनों में अपेक्षाकृत अधिक कठोर है। यहां तक कि भारत सुरक्षा अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार ने भी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। भारत सुरक्षा नियम, 1962 की धारा 30 में नागरिकों की स्वतन्त्रता और आन्दोलन पर कम से कम प्रतिबन्धों की व्यवस्था है। परन्तु इस विधेयक से कायकारी अधिकारियों को न्यायिक, प्रशासनिक अर्थात सब तरह की शक्तियां मिल जायेंगी और वे अपनी मनमानी करने लगेंगे। निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गये 87 व्यक्तियों में एक भी मुनाफाखोर, जमाखोर, तस्कर व्यापार करने वाला और जासूसी करने वाला नहीं है। यह तो वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के विरूद्ध राजनीतिक बदले की भावना का स्पष्ट मामला है, क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत आज तक जितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये वे सब राजनीतिक व्यक्ति हैं जो किसी न किसी विपक्षी दल से सम्बन्धित हैं।

परन्तु इस विधेयक से लोगों की गरीबी दूर करने के बजाय स्वतन्त्र भारत के नागरिकों की स्वतन्त्रता समाप्त की जायेगी।

मंत्री महोदय द्वारा बार बार दिए गये आश्वासन, की इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा, को दृष्टि में रखते हुए मेरा यह अनुरोध है कि सांविधिक रूप से विधेयक में इस आश्वासन की व्यवस्था की जाए जिससे इसका संरक्षण हो सके।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : इस विधेयक में पुलिस आयुक्तों को अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। अपराध प्रक्रिया संहिता में सम्भावित परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए और अधिक स्थानों पर पुलिस आयुक्ता की नियुक्ति की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकार संशोधन संख्या 65 स्वीकार करती है श्री दीनेन भट्टाचार्य का संशोधन संख्या 23 भी स्वीकार किया जाताहै कि राज्य सरकार को अपने आदेश की सूचना 7 दिन के भीतर देनी चाहिए।

यह भी कहा गया है कि इस विधेयक का प्रयोग श्रमिकों और किसानों के विरुद्ध किया जायेगा। सरकार द्वारा यह भी कहा जाता है कि अब दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादियों से निपटने का समय आ गया है। परन्तु इससे तो 'सही प्रतिक्रिया' को और शक्ति मिलेगी। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां पर कि निवारक विरोध अधिनियम का किसी कार्मिक संघ के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया हो।

श्री अटल बिहारी बाजपयी : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के नेताओं को नजरबन्द किया गया था ।

श्री कल्याणसुन्दरम : हम उन्हें नजरबन्दी आदेश की प्रतियां देंगे । मंत्री महोदय उनकी जांच कर सकते हैं कि वे क्या हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुनना चाहते, तो यह एक अलग मामला है । इसका प्रयोग ऐसे एक भी मामले में नहीं किया गया है ।

"भारत का विदेशी शक्तियों के साथ समबन्धों" शब्दों का उल्लेख किया गया है । कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि इन शब्दों को हटा दिया जाए । इस सम्बन्ध में मैं उन्हें आश्वासन दिलाता हूं कि इस उपबन्घ का बहुत कम अवसरों पर प्रयोग किया जायेगा । हम इसका विदेशी सरकारों की आलोचना को दबाने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं परन्तु केवल एक अवसर पर इसका प्रयोग करना पड़ा था फिर भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इसका उपयोग तभी किया जायेगा जब इसकी अत्यन्त आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा नहीं ।

'आन्तरिक सुरक्षा' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के सम्बन्ध में कई संशोधन आए हैं । जहां तक सार्वजनिक व्यवस्था का सम्बन्ध है संविधान के अनुसार लोक व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है, हम तो उनकी सहायता करते हैं । जब केन्द्र में निवारक नजरबन्दी अधिनियम 31 दिसम्बर, 1969 को समाप्त हुआ था तो, जैसा कि कल स्पष्ट किया, लगभग सब राज्यों को कानून और व्यवस्था की स्थिति का सामना करना पड़ा और एक राज्यसरकार के अतिरिक्त बाकी सब राज्य इस बात पर सहमत थे कि यहां ऐसे अधिनियम की आवश्यकता है । केवल केरल राज्य ही ऐसा है जिसने यह कहा था कि यह इसका प्रयोग केवल आवश्यक सेवाएं बनाये रखने आदि के लिए ही करेगा । सब राज्यों में तो हमारे दल की सरकारें नहीं थीं । जिन राज्यों में विपक्षी दल की सरकारें थीं वहीं पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ी थी क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदार नहीं निभाई । इस स्थिति की आवश्यकता के लिए वे ही अधिक जिम्मेदार हैं, और उन्हें ही इस कानून की अधिक आवश्यकता है ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैंने केरल के मुख्य मंत्री के एक वक्तव्य का उल्लेख किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में इसकी आवश्यकता -नहीं है ।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : मैंने कहा है कि तत्कालीन केरल सरकार ने कहा था कि वे 'आवश्यक सेवाएं बनाये रखने की व्यवस्था ही लागू करेंगे' ।

यह प्रश्न किया गया है कि पुलिस आयुक्तों को इन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति क्यों दी गई है । वास्तव में वे जिला मजिस्ट्रेटों से अधिक वरिष्ठ अधिकारी हैं और यदि जब जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिये गये हैं तो पुलिस कमिशनरों को क्यों ना दिये जायें । उनको कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना होता है ।

ऐसे दो संशोधन प्रस्तुत किए गये हैं जिनमें 12 दिन की अवधि को घटाकर 5 दिन करने और 22 दिन की अवधि घटाकर 14 दिन करने की मांग की गई है। मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र अपने सुझावों की चटिलताओं को नहीं समझ पाये हैं। पुरानी योजना में 5 दिन की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि नजर बन्द व्यक्ति को उसकी नजरबन्दी के कारण बताये जा सकें और 12 दिन की अवधि राज्य सरकार को अपना निर्णय करने के लिये दी गई है कि क्या वे इसका अनुमोदन करते हैं। यह योजना तो साधारण परिस्थितियों के अन्दर भी है। परन्तु असाधारण परिस्थितियों में इस अवधि को बढ़ा दिया जायेगा। यदि इस अवधि को घटाकर 5 दिन किया जाये तो नजरबन्द व्यक्ति को अपना मामला पेश करने का अवसर मिलेगा और ना राज्य सरकार ही उसकी जाँच ही कर पायेगी। अतः सरकार नहीं चाहती है कि नजर बन्दी को अपना मामला पेश करने के अवसर से वंचित रखा जाये अथवा सरकार द्वारा उस मामले की जांच ना की जाये।

मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि चोरबाजारी करने वाले जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु की गई इस व्यवस्था को इस विधेयक से हठा दिया जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : परन्तु सरकार लोक व्यवस्था बनाये रखने के अन्तर्गत तो सब कुछ ला सकती है।

श्री कृष्णचन्द्र पंत : यदि आप विधेयक के सिद्धान्त का विरोध करते हैं तो बात ही अलग है।

श्री कल्याणसुन्दरम् : हम यह जानना चाहते हैं कि समुदाय के लिये अत्यावश्यक सप्लाई और सेवा बनाये रखने से उनका क्या अभिप्राय है। क्या वह यह बात स्पष्ट कर सकते हैं। कि इसका प्रयोग केवल काला बाजार करने वाले लोगों के विरुद्ध किया जायेगा और अन्य लोगों के विरुद्ध नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इससे चोर बाजारी और जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सहायता मिलेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : आवश्यक सेवा और सप्लाई बनाये रखने सम्बन्धी वर्तमान अधिनियम में क्या त्रुटि है। क्या उन अधिनियम को किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किया गया है ? मैं समझता हूं कि यह केवल हड़तालों आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये बनाया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री पांडे का संशोधन भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि सामान्य कानून के अन्तर्गत सजा देने में सामान्यतया समय लगता है और निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग जब किया जाता है तभी हिंसात्मक कार्यवाही को शीघ्र रोकने की आवश्यकता होती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 और 22 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 7,8,11,12,18,19,20, and 22 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ 2, पंक्ति 38 में

'यथाशीघ्र' (as soon as may be) के स्थान पर 'सात दिन के भीतर' (Within seven days) प्रतिस्थापित किया जाये । (23)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 55,61,64 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।
Amendment No. 55,61, and 64. were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पंक्ति 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(सी) पुलिस आयुक्त, जहां कहीं भी उनकी नियुक्ति की गई है" (c) Commissoner of police wherever they have been appointed.)" (65)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : सर्व श्री दीनेन भट्टाचार्य, अटल बिहारी बाजपेयी और एम० सुन्दरम द्वारा प्रस्तावित संशोधन वही संशोधन हैं जो पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं अतः उन पर सभा में मतदान नहीं होगा ।

प्रश्न यह है "कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3, as amended, was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 4 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 5 पर चर्चा करते हैं । इसमें कुछ संशोधन हैं ।

श्री मुरूगनन्तम (तिरूनेलवली) : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरूचिरापल्ली) : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हुं ।

* **श्री मुरूगनन्तम** : हम विधेयक का पूर्ण विरोध करते हैं और हम इसे काला कानून समझते हैं। मुझे भी इस कानून के अन्तर्गत दो बार गिरफ्तार किया गया। सरकार को जब इतने अधिक अधिकार प्राप्त हैं तो सरकार को नये कानून के अन्तर्गत और अधिकार देने के क्या लाभ हैं। सरकार को इन मनमाने अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं। देश के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक सम्बन्धी गतिविधियों की स्वतन्त्रता के मूल भूत अधिकार हैं। यह उचित नहीं है कि राजनीतिक बन्दियों को बिना मुकदमा चलाये जेल में रखा जाये। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। इसीलिए मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है मुझे आशा है सरकार उसे स्वीकार कर लेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैंने अपने संशोधन में "अनुशासन और अनुशासन का उल्लंघन करने पर सजा देने की शर्त बनाये रखना भी शामिल है", को समाप्त करने का उल्लेख किया था। अब श्री बदरुद्दुजा को गिरफ्तार किया गया है। वे अपने वकील श्री शंशांक शेखर सान्याल से मिलाना चाहते थे। लेकिन श्री सान्याल को, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, जेल अधिकारियों ने बताया कि "गृह विभाग के सचिव ने उन्हें श्री बद्रुद्दुजा से मेल करने की अनुमति नहीं दी है। क्या यह अनुशासन है ? केवल सन्देह में गिरफ्तार किये गए व्यक्ति से भेंट न करने के आदेश किस नियम के अन्तर्गत दिये गए ? अधिकारी इन नियमों को अपनी मर्जी के अनुसार प्रयोग करना चाहते हैं। अतः मैं यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री कल्याण सुन्दरम् : मैंने खण्ड 5 के बारे में संशोधन किया है। मैं खण्ड 5 के उपबन्धों का भी विरोध करता हूं। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में भेदभाव उत्पन्न होगा। मेरे राज्य में 'सी' श्रेणी में रखे गये कैदियों को कॉफी आदि उपलब्ध नहीं होती। उन्हें सामान्य कैदियों के समान समझा जाता है।

क्या सरकार उनको राजनीतिक कैदी नहीं समझ सकती ? जेल में अनुशासन बनाये रखने के लिए सब राज्यों में जेल पुस्तिका है। (व्यवधान)

[**श्री रा० ढो० भंडारे पीठासीन हुये।**
Shis R. D. Bhandare in the Chair]

जेल में अनुशासन बनाये रखने के लिये पुस्तिका है अब आप इसका विशेष रूप से यहां क्यों उल्लेख करना चाहते हैं। इससे स्थिति और खराब होगी। जेल के अन्दर गोली तथा लाठी चलाई जा रही है। जेल वार्डन और सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा नजर बन्द व्यक्तियों को पीटा गया है।

* **तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर**
Summarised Translated Version based on English Translation of Speech delivered in Tamil

उक्त खण्ड इस विधेयक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक नजरबन्द व्यक्ति को अपने परिवार और स्वयं पर निर्भर व्यक्तियों के लिए उचित भत्ता दिया जाना चाहिये। जब आप बिना कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसे उक्त सजा अवश्य मिलनी चाहिये। यदि सरकार उक्त अधिनियम को लागू करने मात्र से ही यह सोचती है कि देश में आन्तरिक सुरक्षा बनाई जा सकेगी तो उसे और जेलों का निर्माण करना होगा और जेलों में और अधिक हथियार रखने होंगे। आप इस विधेयक का समर्थन न करें और यदि आपको विधेयक का समर्थन करने के लिये मजबूर किया जाए तो आप इस खण्ड को विधेयक में शामिल न करें और इसलिए मेरा संशोधन स्वीकार कर लें।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यह ठीक नहीं है कि कुल अधिनियम का राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा।

श्री कल्याणसुन्दरम् : आपने कहा है कि इसका प्रयोग नकसलवादियों के विरुद्ध किया जायेगा। क्या वे राजनीतिक कार्यकर्त्ता नहीं हैं ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यदि वे हिंसात्मक कार्यवाही करेंगे तो उनके विरुद्ध अधिनियम का प्रयोग किया जायेगा। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इस विधेयक पर नियमित चर्चा की जा सकती है। लोकतन्त्र की समृद्धि के लिये शान्तिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिये। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। हमें स्वतन्त्रता प्राप्ति पर गर्व है।

जहां तक संशोधन संख्या 13 का सवाल है निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत भी नजरबन्दी के स्थान के बारे में निर्णय करना प्रत्येक मामले पर छोड़ दिया गया था। यह व्यवस्था उचित है और यह व्यवस्था संतोषजनक रूप से काम कर रही है।

जहां तक संशोधन संख्या 24 का प्रश्न है यदि आप इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो खंड 5 का कोई महत्व नहीं रहता। श्री सान्याल वकील की हैसियत में जेल गये थे। इस बारे में जांच की जायेगी। राजनीतिक बन्दी नामक कोई विशेष श्रेणी जेल में नहीं है।

जहाँ तक संशोधन संख्या 25 का सम्बन्ध है मुझे यह विदित नहीं कि उक्त संशोधन को प्रस्तुत किया गया है अन्यथा नहीं।

यदि कोई सरकार इस प्रकार का भत्ता देना स्वीकार करती है तो वह अनुगृह-पूर्वक अदायगी होगी। मैंने इस बारे में और तथ्य मांगे हैं और मैं इस समय इस बारे में और अधिक नहीं कह सकता।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 13 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 13 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and Negatived

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 24 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 24 सभा में मतदात के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and Negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added in the Bill

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 14 को जिसमें नया खंड 5 क जोड़ा गया है, सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 14 के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and Negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 6 विधेयक में जोड़ दियो गया

Clause 6 was added to the Bill

खंड 7 (फरार हुए व्यक्ति के बारे में अधिकार)

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कल्याण सुन्दरम : इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि एक व्यक्ति को गिरफ्तार करना हो और वह भूमिगत चला जाता है तो उसकी सम्पति कुर्क करली जायेगी और उसके परिवार को परेशान किया जायेगा। यह सब ब्रिटिश परम्परा है। हम सब याहिया खां के सैनिकों द्वारा बंगला देश में किए जा रहे नरसंहार के बारे में शोर मचा रहे हैं। हमारे देश में क्या होगा यदि यहां यही रवैया रहा तो?

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : अपराधी यदि भूमिगत हो जाता है तो सरकार उसको खोजने की बजाये उसकी सम्पति को, जो केवल उसकी न होकर उसके परिवार की है, जब्त कर उसके परिवार को भूखा मारना चाहती है। सरकार अपराधी को न पकड़ने के कारण परिवार की सम्पति को जब्त नहीं कर सकती। इसलिये मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : उन्हें सम्भवतया तथ्यों को बढ़ा चढ़ा कर बताने की आदत है। ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेगा और एक व्यक्ति उसको गिरफ्तार करने को जायेगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा व्यक्ति जान बूझकर गिरफ्तार होने से बचता है और वह कानून को अपना काम नहीं करने देता।

श्री कल्याण सुन्दरम : क्योंकि कानून दोषपूर्ण है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यदि संसद् कोई कानून बना देता है तो हमें उसे स्वीकार करना होता हैं। यह लोकतन्त्र का अनुशासन है। जब आप उस कानून को स्वीकार कर लेते हैं तब आप स्वयं लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले कहलाते हैं।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 15 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में	45
विपक्ष में	145

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived

सभापति महोदय : अब मैं खंड 7 को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है 'कि खंड 7 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर**

Summarised Translated Version based on English translation of speech delivered in Tamil

खंड 8

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

विधेयक द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वह किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह पर गिरफ्तार कर सकेगी और गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को न्यायालय का सहारा लेने का अधिकार नहीं होगा । मेरा संशोधन यह है कि यदि किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जाता है उसे 5 दिन जेल में रखा जा सकता है और उसके बाद उसके ऊपर वर्तमान कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार, जो की पूर्ण बहुमत है, ऐसा करने से क्यों डरती है । उसे अपनी रक्षा का अवसर न देने का क्या कारण है । यदि मुकदमा चलाने के बाद कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो सरकार उसे जेल में डाल सकती है ।

मैं विधेयक का विरोध करता हूं और इस बात पर जोर देता हूं कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 5 दिन बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

श्री कल्याण सुन्दरम : खंड 8 तो बहुत ही खतरनाक है, विशेष रूप से उपधारा 2 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि

'उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिकारी को उन तथ्यों को न बताने का अधिकार होगा जिसकी जानकारी होना उसके विचार से जनहित में न होगा ।

अधिकारी की परिभाषा क्या है ? तीसरे और चौथे दर्जे के अधिकारी जो जानकारी एकत्र करते हैं क्या वे अधिकारी की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं । जानकारी शाखा के विशेष कांस्टेबल द्वारा एकत्र की जाती है इन्स्पेक्टर द्वारा भी न ।

यदि मैं चीन का एजेंट हूं तो आप मुझे जनता के सामने बदनाम करें । आप कहें कि इनके चीन के एजेंट होने के अमुक साक्ष्य मिले हैं । राजनीतिक विरोधियों से ऐसे ईमानदारी से व्यवहार किया जाता है । मैं किसी राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को संरक्षण देना नहीं चाहता । पुलिस अधिकारी अनेक फर्जी आरोप लगाते हैं । ईमानदार साम्यवादियों पर अनेक फर्जी आरोप लगाये जाते हैं । वह पुलिस के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता । यह अधिनियम पुलिस द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा । सलाहकार समिति दिखावा मात्र होगी । उसका मार्गदर्शन पुलिस करेगी । पुलिस ही सरकार का पथ प्रदर्शन करेगी । आप उन लोगों के भाग्य के बारे में जानते हैं जिनका पुलिस पथ प्रदर्शन करती है । इस प्रकार आप लोकतन्त्र की रक्षा न कर उसे समाप्त कर रहे हैं ।

श्री कृष्णचन्द पन्त : खंड 8 के उपखंड (2) में निहित उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 22 (6) में निहित उपबन्ध पर आधारित है । इस उपबन्ध को प्रयोग न किये जाने के बावजूद

भी यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है कि अधिकारियों को ऐसे तथ्यों को न बताने का अधिकार है जो जनहित में नहीं हैं। कुछ मामलों में जनहित में तथ्यों को नहीं बताया जा सकता। इन मामलों में तथ्यों का उल्लेख करने से सुरक्षा को और खतरा हो सकता है। माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि इसके कारण स्पष्ट नहीं है। मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णय दिये हैं। प्रथम यह कि नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को बताये गये कारण पर्याप्त होने चाहिए जिससे वे इस बारे में प्रभावकारी अभ्यावेदन दे सकें और न्यायालय भी इस बात की जांच करेगा कि अमुक कारण पर्याप्त हैं अथवा नहीं। दूसरे बताये गये कारण अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। तीसरे, वे असंगत नहीं होने चाहिये। और न्यायालय इन कारणों की जांच कर सकती है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : आप मुझे जेल में बन्द कर देंगे और फिर यह जानने के लिए कि मुझे किन कारणों से जेल भेजा गया है, मुझे स्वयं को ही अदालत में जाना पड़ेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें तथाकथित अपराधी को उस समय तक जेल में रहना पड़ता है जब तक कि उस पर चल रहे मुकद्में का निर्णय नहीं हो जाता। कुछ मामले में साधारण विधि के अन्तर्गत भी ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है। इस अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्विति से बचने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि ऐसे कार्य ही न किए जायें जो इस अधिनियम की गिरफ्त में आते हैं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 मतदान के लिए रखा गया।

Amendment No. 28 was put

सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 66 ; विपक्ष में 158

Ayes 66 ; Noes 158

संशोधन अस्वीकृत हुआ

Amendment was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 8 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

एक माननीय सदस्य : पंजाब बजट का क्या हुआ, जो तीन बजे प्रस्तुत किया जाना था ?

अध्यक्ष महोदय : पहले इस विधेयक को समाप्त कर लिया जाये। तदुपरान्त उसे ले लिया जाएगा।

खंड 9 (सलाहकार बोर्डों का गठन)
Clause 9—(Constitution of advisory boards)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करता हूं। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जब किसी नजरबन्द व्यक्ति को पांच दिन के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए तो उसे वकील आदि करने के लिए वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी जाये।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं।

In this connection I would like to suggest that a sitting judge of the High Court should be there in the Advisory Board, as a number of MPs, have already opposed it. So I want that the words "Or have been, or are qualified to be appointed as" should be omitted.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं।

I also support the idea that a sitting judge should be in the Advisory Board. So this amendment should be accepted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसा उपबन्ध करने का उद्देश्य यह है कि राज्यों के न्यायालयों में काम कर रहे न्यायाधीश कई कारणों से इस कार्य के लिए समय न निकाल सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 29 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 मतदान के लिए रखा गया।
The Amendment No. 40 was put

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided

पक्ष में 60 ; विपक्ष में 150
Ayes 60 ; Noes 150

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment was negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Amendment No. 57 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Clause 9 was added to the Bill

पंजाब बजट

Punjab Budget

अध्यक्ष महोदय : अब पंजाब का बजट प्रस्तुत किया जाएगा ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1971—72 के लिए पंजाब राज्य के अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना विधेयक 1971

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY ACT, 1971

खण्ड 10

Clause 10

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 10 को लेंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, संशोधन संख्या 30 के बारे में मेरा यह निवेदन है कि 30 दिन की अवधि को घटाकर केवल पांच दिन कर दिया जाये क्योंकि बिना कारण बताये किसी भी व्यक्ति को 30 दिन तक नजरबन्द रखना उचित नहीं है । संशोधन संख्या 31 में मेरा यह सुझाव है कि नजरबन्द व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के सामने पेश होने की बजाय उसे न्यायालय के सामने पेश होने का अवसर दिया जाये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई है कि निवारक नजरबन्दी के मामलों पर न्यायालय के स्थान पर सलाहकार बोर्ड विचार करे ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 30 और 31 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The Amendment Nos 30 and 31 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, "कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11

Clause 11

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं । मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रक्रिया की अवधि 10 सप्ताह से घटाकर 6 सप्ताह कर दी जाये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपने संशोधन संख्या 32, 33, 34 और 35 प्रस्तुत करता हूं । मेरे सभी संशोधन परस्पर सम्बद्ध हैं । मेरा सुझाव है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकद्दमा चलाये नजरबन्द न किया जाये और उस पर मुकद्दमा न्यायालय में चलाया जाये न कि सलाहकार बोर्ड के सामने उसे पेश किया जाये । ऐसा होने पर न्यायालय आदेश देगा न कि सलाहकार बोर्ड की भांति रिपोर्ट देगा । अतः मेरा सुझाव है कि 'सलाहकार बोर्ड' के स्थान पर 'न्यायालय' और 'रिपोर्ट' के स्थान पर 'आर्डर' रखा जाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I beg to move my amendment Nos. 58 and 59. In one of my amendments I asked for the provision of assistance of a lawyer for the deteny, when he is produced before the Advisory Board. In another amendment I suggested that the proceedings of the Advisory Committee should be made public. Nothing should be kept secret in this regard.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि सलाहकार बोर्ड को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता । जहां तक समयावधि को कम करने की बात है, इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 10 सप्ताह का समय अधिक नहीं है । जहां तक वकील आदि की सहायता की बात है, कोई भी नजरबन्द व्यक्ति वकील आदि की सहायता अभ्यावेदन आदि तैयार कराने में ले सकता है । किन्तु वकील सलाहकार बोर्ड के सामने पेश नहीं हो सकेगा । साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह सलाहकार बोर्ड है, न्यायालय नहीं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16, 32, 33, 34, 35, 58 और 59 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment nos. 16, 32,33,34,35, 58 and 59 were put and negatived.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया नियम 26 के अनुसार प्रत्येक शुक्रवार की बैठक के अन्तिम ढाई घंटे और सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत होते हैं। किन्तु अब साढ़े तीन बज रहे हैं और यह विधेयक अभी तक चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह निर्णय पहले ही कर चुका हूं कि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य उस समय लिया जायेगा जबकि इस विधेयक पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। गैर सरकारी कार्य को पूरे ढाई घंटे मिलेंगे।

प्रश्न यह है : **"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"**

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 128 ; विपक्ष में 49

Ayes–128 Noes-49

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 was added to the Bill

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हम आपसे एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि इस विधेयक को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद लिया जाये ऐसा करने से सदन की परम्पराओं का उल्लंघन होता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसके लिए नियत समय के समाप्त होने पर सदस्यों की ओर से यह मांग की गई थी कि इसके लिए कुछ अधिक समय दिया जाये। इसके लिए समय बढ़ा दिया गया था। दूसरी बात यह है कि यह विधेयक आज ही राज्य सभा को भेजा जाना है अन्यथा उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय प्राप्त नहीं होगा। इस दृष्टि से भी इस विधेयक का आज पास होना अनिवार्य है। अतः मेरा अनुरोध है कि विपक्ष के नेता इसे पारित कराने में सहयोग दें।

खंड 12

Clause 12

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 93 की उपकंडिका 2 के अनुसार जिस विधेयक में संशोधन किया जाना हो, उसे संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव अगले दिन आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक तो कल ही पास हो जाना चाहिए था । अतः इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमन् मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राज्य सभा 24 तारीख को स्थगित होने जा रही है । इसलिए यह विधेयक आज ही पारित होना है और उसे भेजा जाना है । किन्तु क्या राज्य सभा की स्थिति की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोक-सभा में निर्णय लिये जायेंगे जिसके परिणाम-स्वरूप हमें विधेयक के तीसरे वाचन में समय कम मिलेगा । हमें तीसरे वाचन में भी विधेयक पर बोलने का अधिकार है । विधेयक का समय सोमवार तक बढ़ा दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया गया समय तो कल ही समाप्त हो गया था । इसके अतिरिक्त इसके लिये 4 घंटे और भी दिये जा चुके हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, there should be a reasonable debate on it. You should give reasonable time for reasonable debate on this Bill.

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मेरा माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि यह विधेयक हमें आज ही पारित कर देना चाहिए ताकि राज्य सभा भी, इसे ठीक समय पर पारित कर सके । कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति भी दी थी जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की बात है, उसे हम आज देर तक बैठकर पूरा करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें पहले गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेना चाहिए और उसके बाद इस विधेयक को पुनः ले सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : दुख की बात यही है कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को कभी नहीं माना जाता । वहां जिस बात पर दल सहमत हो जाते हैं उसी को यहां आकर वे नहीं मानते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य मंत्रणा समिति में भी हमने यह अनुरोध किया था : कि उसके लिए 16 घंटे नियत किये जायें ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Let us take Private Members Business first. Thereafter we will take up this Bill.

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह उचित होगा कि किसी पक्ष की बात न मानी जाये । मुझे कोई बीच का मार्ग अपनाना होगा । **[अन्तरबाधाएं]**

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम उन्हें ऐसे ही अपना नेता नहीं बना सकते हैं । अध्यक्ष महोदय इसकी व्याख्या इस प्रकार कर रहे हैं मानों यह वचन हमारी ओर से दिया गया है । हमें पीठासीन अधिकारी को बता देना चाहिए कि वे सत्ताधारी दल के मंत्रियों के पक्ष में इस प्रकार व्याख्या न किया करें ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभा में जो कुछ कहा है मैं केवल उसी की व्याख्या करूंगा ।

श्री के० मनोरहन् (मद्रास उत्तर) : हमने व्यवस्था का प्रश्न तथा प्रक्रिया आदि के प्रश्नों को उठाकर पहले ही 25 मिनट से अधिक समय को नष्ट कर दिया है, इस अवधि में हम गैर सरकारी सदस्यों के विवेचन को पारित कर सकते थे । मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को प्राथमिकता दें ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : श्री मनोहरन ने जो सुझाव दिया है वह नियमों के अन्तर्गत अव्यावहारिक है । नियमों में कहा गया है कि गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही के लिए ढाई घंटे नियम हैं जब कि नियम 15 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय यह निर्णय कर सकते हैं कि यह सभा कितने बजे तक बैठ सकती है । आप चाहे कुछ भी निर्णय लें परन्तु अन्तिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही के लिए नियत हैं । नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि निर्धारित समय के पूरा होने से पूर्व इस कार्य के लिए समय का उपयोग किया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार्यसूची में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य 3·30 म० प० से 6·00 म० प० तक होगा । यह कार्य सूची में दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है कि अन्तिम ढाई घन्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत किये जाने चाहिए, श्री ज्योतिर्मय बसु का कहना है कि यह चर्चा साढ़े तीन बजे से आरम्भ होनी चाहिए परन्तु इस विधेयक पर चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब यह विवाद समाप्त होना चाहिए ।

श्री के० सी० पन्त : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से सहमत हूं कि इस पर विवाद समाप्त करके इसे पारित कर देना चाहिए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : In this connection we wanted that the Bill should have been passed by 3-30 P. M. But I have not said that there should not be any discussion on the clause of the Bill. The reason of the delay is that the opposition

अध्यक्ष महोदय : यह सभा इस कार्यवाही को आज ही पूरा करेगी ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि सत्ताधारी दल के सदस्यों और विरोधियों के मध्य इस विवाद को इस प्रकार सुलझाया जाना चाहिए जिससे किसी को यह शिकायत न रहे कि उसके साथ न्याय नहीं किया गया है । संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो यह बताती हैं कि विरोधी दल के सदस्य इस विशेष विधेयक को पारित कराना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में संशोधन लाये गये हैं जिनसे इसका समय बढ़ सकता है । मैं सरकार की इस कठिनाई को जानता हूं कि वह चाहती है कि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा इस महीने की 24 तारीख से पूर्व पारित हो जाना चाहिए क्योंकि नहीं तो अध्यादेश की अवधि समाप्त हो जायेगी । परन्तु

मेरा यह कहना है कि जब सरकार बहुमत में है तो उन्हें इस मामले में उदार होना चाहिए। मंत्री महोदय किसी भी सदस्य का सुझाव स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विचार मेरे में आज इस सभा में जो प्रतिक्रिया हुई है वह मंत्री महोदय के कठोर रवैये का ही परिणाम राज्य है। अतएव उनसे मेरा अनुरोध है कि वे इस सभा को अपेक्षित रियायतें देकर विधेयक को सभासे पारित करा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस सभा के स्थगित होने से पूर्व आज ही विधेयक को पारित करेंगे। हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही चार बजे आरम्भ करेंगे और साढ़े 6 बजे इस विधेयक पर दुबारा विचार विमर्श किया जायेगा।

श्री के० सी० पन्त : यदि आप प्रक्रिया का अनुसरण करे तो इस प्रकार आप इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं कि अन्तिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए नियत किये जायें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि विरोधी सदस्यों को भी कुछ कहने का अवसर मिले। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार-विमर्श करने के बाद हम इस विधेयक को लेंगे, यह विधेयक आज ही पारित किया जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS
BILLS AND RESOLUTION-REPORT

(दूसरा प्रतिवेदन)

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशासी जिले) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 16 जून, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 16 जून 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय ऋण आयोग के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : FEDERAL DEBT COMMISSION

अध्यक्ष महोदय : श्री मरासोली मारन द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे विचार होगा। श्री शिवप्पा इस समय यहां नहीं हैं। अतएव मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैंने श्री मरासोली मारन द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्तुत पर सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुना है । यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि इसका सम्बन्ध केन्द्र और राज्यों के मध्य सम्बन्धों से है । लोकतन्त्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए केन्द्र और राज्यों के सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का होना अति आवश्यक है । इस बारे में मेरा यह कहना है कि आयोग की स्थापना से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री मारन द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं संविधान में लिखित उन विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में कहना चाहूंगा जो केन्द्र के राज्यों को संसाधनों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित हैं । संविधान के अनुच्छेद 268 के अनुसार केन्द्र कतिपय शुल्क लगाता है और राज्यों का कार्य उसे वसूल करना तथा उसे अपने पास रखना होता है । अनुच्छेद 269 के अनुसार करों की शुद्ध आय पूर्ण तरह से राज्यों को दी जाती है । अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत आय कर की शुद्ध आय राज्यों को दी जाती है जो कि पांचवे वित्त आयोग के पंचार के अनुसार 75 प्रतिशत है, अनुच्छेद 272 के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध आय का 20 प्रतिशत राज्यों को दिया जाता है । अनुच्छेद 275 में केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायतानुदान देने की व्यवस्था है अनुच्छेद 282 में जन कार्यों के लिए राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था है । अनुच्छेद 293 (2) मे केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋण देने की व्यवस्था है । संविधान में की गई व्यवस्थाएं राज्य सरकारों की उचित मांगों को पूरा करने में असफल नहीं रही हैं । पांचवे वित्त आयोग ने इस बात की प्रशंसा की है कि राज्यों द्वारा विभिन्न मांगों को पूरा करने में संविधान में पर्याप्त लचीलापन है ।

श्री मारन ने वित्त आयोग की प्रशंसा की है । राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत समय-समय पर नियुक्त किये जाने वाले वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के मध्य केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आय कर के वितरण आदि के बारे में सिफारिश करता है । हमने आय के हस्तान्तरण के बारे में वित्त आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

इस सम्बन्ध में वित्त आयोगों ने यह सिफारिश की थी कि करों के अविभाज्य पूल में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाये जिससे इसमें राज्यों का भाग मिल सके, पांचवे वित्त आयोग ने कहा है कि करों के विभाज्य पूल में अग्रिम कर वसूली को भी सम्मिलित किया जाये और 1966-67 तक वसूल की गई बकाया राशियों के कारण राज्यों को इस वर्ष से तीन किस्तों में लगभग 270 करोड़ रुपये मिलेगें, इसके अतिरिक्त आगामी वर्ष से विशेष उत्पादन शुल्क की शुद्ध वसूली में राज्यों को उसका 20 प्रतिशत अंश मिलेगा । आयोग के पंचाटो के अन्तर्गत केन्द्र से राज्यों को होने वाली आय को हस्तान्तरण से चौथी योजना में 4,266 करोड़ रुपये मिलेंगे जो कि पहली योजना में 386 करोड़ रुपये थे । तमिलनाडु को इसमें शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबसे अधिक लाभ उसी को हुआ है ।

श्री मारन की एक कड़ी आलोचना यह है कि पाँचवें वित्त आयोग ने तमिलनाडु सरकार के वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर पड़े वित्तीय भार को ध्यान में नहीं रखा है, इसके बारे में मेरा यह कहना है कि पांचवें वित्त आयोग ने अन्य राज्य में गठित वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा था। तमिलनाडु में वेतन आयोग पांचवे वित्त आयोग के बाद ही गठित हुआ था।

श्री मारन ने योजना आयोग के प्रति अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 282 का उदार रूप से प्रयोग किया गया है। मेरा यह कहना है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय यह नहीं सोचा था कि विकास योजनाओं पर इतनी बड़ी राशि व्यय की जायेगी। अतएव यह आवश्यक हो गया था कि विस्तृत आर्थिक विकास आदि को देखते हुए अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उदारता से प्रयोग किया जाये मैं नहीं समझता कि यह उनकी शिकायत का आधार भी हो सकता है।

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से राज्यों को विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा में वित्तीय सहायता दी जा रही है। केन्द्र ने राज्यों को सहायता देने में अपने स्वविवेक के अधिकार का उपयोग नहीं किया है। सब लोग जानते हैं कि राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का आवंटन राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद उच्च आय कर प्राप्त निकाय है जिसमें विभिन्न राज्यों के सभी मुख्य मन्त्री सदस्य हैं। केन्द्रीय सरकार इसी के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है।

माननीय सदस्य को यह शिकायत भी है कि तमिलनाडु की चौथी योजना के लिए राशि 250 करोड़ रुपये से कम करके 202 करोड़ रुपये कर दी गई है। परन्तु इसके बारे में जो मापदंड निर्धारित किया गया है वह राष्ट्रीय विकास परिषद ने ही किया है। इसमें तमिलनाडु के लिए नहीं अपितु अन्य राज्यों के लिये भी योजना राशि में कमी की गई है। श्री मारन ने राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग आवंटित करने का उल्लेख किया है। धन राशि के वितरण का यह फार्मूला राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन भारी कठिनाई उत्पन्न कर देगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकारों को संसाधनों की कमी के कारण अपनी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है। सभा जानती है कि केन्द्र सरकार के पास सीमित मात्रा में संसाधन है और उसे समस्त देश की योजना और विकास का ध्यान रखना पड़ता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए केन्द्रीकृत योजना आज के विकास कार्य सदर्भ में अति आवश्यक है। कतिपय कारणों से राज्य सरकारें संसाधन जुटाने के मामले में केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ नहीं चल सकी है। कई राज्यों ने भू-राजस्व, व्यवसाय कर आदि करों के राजनीतिक तथा अन्य कारणों से समाप्त कर दिया है। उन्हें यह समझना चाहिए कि केन्द्र के अपने संसाधन निमित मात्रा में हैं। केन्द्र बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहा है जबकि राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं, वर्ष 1969–70 में अतिरिक्त

कराधान 122 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था परन्तु उन्होंने वास्तव में 52·37 करोड़ रुपये ही जुटाये, 1970–71 में राज्यों द्वारा जुटाये गए अतिरिक्त कराधान निर्धारित लक्ष्य 79·55 करोड़ रुपये की तुलना में 38·05 करोड़ रुपये थे। चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 74·50 करोड़ रुपयों की तुलना में अब तक केवल 10·56 करोड़ रुपये जुटाये गये हैं।

श्री मारन ने यह भी बताया है कि कतिपय राज्यों में चौथी योजना के दौरान संसाधनों में होने वाले अनिवार्य अन्तर को पूरा करने के लिए 800 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है परन्तु तमिलनाडु को इस विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ नहीं मिला है मेरे विचार में उनके तथ्य सही नहीं हैं तमिलनाडु को इस विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत केवल 7 करोड़ रुपये ही मिले हैं।

इसके अतिरिक्त गैर-योजना ऋण सहायता के रूप में विशिष्ट कार्यों के लिए दिये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चालु बचत राशि का दो-तिहाई भाग ऋणों के रूप में राज्यों को दिया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं आने की स्थिति में भी राज्यों को केन्द्रीय अध्ययन दलों, जिनका गठन हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सहायता दी जाती है।

मैं अब राज्यों द्वारा केन्द्र को ऋणों के भुगतान के बारे में कहूंगा। केन्द्र और राज्यों के विकास कार्य में हुई अभूतपूर्व वृद्धि के कारण यह स्वाभाविक है कि राज्यों के योजना तथा गैर योजना व्यय में वृद्धि हो, राज्यों पर बढ़ा हुआ ऋण इस बात का द्योतक है कि केन्द्र द्वारा उसे भारी मात्रा में सहायता मिल रही है। ऋणों की अदायगी की शर्तें कठोर नहीं हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं पर दिया गया ऋण का 15 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। लघु बचत राशि से दिये जाने वाले ऋणों की शर्तें 1969–70 से उदार बना दी गयी हैं अब ये 25 वर्षों में 20 वार्षिक समान किस्तों में ही दी जायेंगी। राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर कठोर नहीं है।

माननीय सदस्य ने एक अन्य उठायी बात ऋण भार स्थिति के बारे में उठायी है। उनका कहना है कि इसकी जांच एक समिति द्वारा कराई जाए। इस बारे में विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह निश्चय किया गया कि योजनाओं को उत्पादक और गैर उत्पादक श्रेणियों में बाँटा न जाये क्योंकि ऐसा करने से राज्यों की योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की स्वतन्त्रता पर आघात पहुंचता है, इसके परिणामस्वरूप अब ब्लाक ऋणों को देने की व्यवस्था की गई है, राज्यों द्वारा केन्द्र को भुगतान किये गये ऋण और ब्याज राज्यों द्वारा कुल व्यय की गई राशि का केवल 15 प्रतिशत है और इस मामले में तमिलनाडु का भाग केवल 11·6 प्रतिशत है। माननीय सदस्य ने कहा है कि केन्द्र द्वारा तमिलनाडु को दिया जाने वाला ऋण राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से कम है परन्तु वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। इस वर्ष तमिलनाडु के पास अनुदान और ऋणों के रूप में 143·53 करोड़ रुपये है जिसमें से उसने 53·28 करोड़ रुपये भुगतान तथा ब्याज के रूप में देना है। यदि इसमें से नए करों की राशि निकाल दी जाए तो फिर भी 69·34 करोड़ रुपये बचते हैं जो कि भुगतान की जाने वाली राशि से बहुत अधिक है।

श्री मरासोली मारन (मद्रास दक्षिण): मैं मन्त्री महोदय का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट किये हैं, कई सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा है कि उनके राज्य पिछड़े हुए हैं।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, यहां के कतिपय राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं, इसके लिए आदर्श नीति यह हो सकती है कि केन्द्र सरकार पिछड़े हुए राज्यों को सहायता दे परन्तु साथ ही साथ वह अन्य राज्यों की प्रगति में रुकावट न डाले।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि धनराशि का हस्तान्तरण चार प्रकार से हो सकता है, पहला, विभाजन करों में अपना भाग लेना है। दूसरा बिना आयोग अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत साहित्यिक अनुदान की व्यवस्था करता है। तीसरा, योजना आयोग अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत विवेकाधीन अनुदानों की व्यवस्था करता है। चौथे, योजनाओं के अन्तर्गत पूंजी व्यय के लिए ऋण दिए जाते हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या इन सबके ऊपर कोई केन्द्रीय प्राधिकरण है, इसका उत्तर निश्चित रूप से कोई नहीं होगा। गैर योजना व्यय अथवा योजना व्यय के लिए वित्त आयोग और योजना आयोग जैसी संस्थाएं हैं। सभी राज्यों का प्रयत्न यही रहता है कि किसी न किसी प्रकार वित्त आयोग अथवा योजना आयोग से अधिकतम लाभ उठाया जाये। हम राज्यों के लिए अधिक अधिकारों की मांग इसलिए कर रहे हैं जिससे वे अपनी जनता को चुनावों के दौरान दिये गये वचनों को पूरा कर सकें। राज्यों द्वारा इसे उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से करने के लिए ऐसा आवश्यक है।

योजना आयोग ने अब तक क्या कार्य किए हैं। योजना के 20 वर्ष के उपरान्त भी राज्य पिछड़े हुए हैं। हमारा योजना आयोग निष्पक्ष और स्वतन्त्र नहीं है। श्री मोरारजी देसाई ने ठीक ही कहा है कि इस मामले में कोई नियमित प्रथा नहीं है और कभी-कभी यहां निष्पक्षता नहीं बरती जाती है। यही कारण है कि सभी राज्य योजना आयोग पर अंगुली उठाते हैं।

"स्टैसमैन" नामक दैनिक समाचार पत्र के अनुसार महाराष्ट्र को 49·10 करोड़ मिलेंगे। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश का नम्बर आता है जिसको सबसे अधिक योजना सहायता अर्थात 105·02 करोड़ मिल रहे हैं।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि साधारण व्यक्ति का यह सोचना कि महाराष्ट्र को ऋण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि श्री चव्हाण वित्त मन्त्री हैं, उत्तर-प्रदेश को वित्तीय सहायता इसलिये दी जाती है कि प्रधानमन्त्री स्वयं उस राज्य से सम्बन्ध रखती हैं, कल को यदि तमिलनाडु को योजना-आयोग द्वारा किसी प्रकार की सहायता दी जाती है तो मेरे मित्र यह कहेंगे कि क्योंकि श्री सुब्रह्मण्यम का सम्बन्ध तमिलनाडु राज्य से है, अतः इसीलिए योजना आयोग से तमिलनाडु को अधिक सहायता मिल रही है। यह सब कुछ मैंने इसलिए कहा है कि किसी

राज्य विशेष को कितना ऋण या वित्तीय सहायता प्रदान करनी है, इसके लिये हमारे पास कोई वैज्ञानिक कसौटी या स्वस्थ प्रणाली नहीं है । जब सम्पूर्ण राष्ट्र यह मानता है कि ऋण देने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है, वह वैज्ञानिक नहीं है, तो फिर इस पद्धति में परिवर्तन क्यों नहीं किया जाता ?

उस दिन द्रमुक के कुछ सदस्य योजना आयोग से मिले और उन्होंने कहा है कि 'जनसंख्या के आधार पर, योजना की सहायता हेतु 60 प्रतिशत सहायता दी जा रही है । हमने उनसे कहा कि जो राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं, उन्हें कुछ अधिक सहायता दी जानी चाहिये । उस समय उपस्थित राज्यमन्त्री महोदय ने कहा था कि मन्त्रीमण्डल में इस पर विचार किया जा रहा है । आज हमें उनसे इसके उत्तर की अपेक्षा थी, परन्तु उन्होंने अपने वक्तव्य में इसका कोई उल्लेख नहीं किया ।

एक समय ऐसा था जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद बिना विधान-सभाओं से परामर्श किये महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया करती थी । मुख्यमन्त्रियों के एक निर्णय के अनुसार केन्द्र को कराधान की कुछ और शक्तियां दे दी गयीं । परन्तु यह उस समय की बात है जबकि सभी राज्यों में एकमात्र कांग्रेस का ही राज्य था । परन्तु अब वह स्थिति नहीं रही है । अब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बहुत लम्बे अन्तराल के बाद होती है, क्योंकि यह बैठक प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्रियों की सुविधा के अनुसार ही बुलाई जाती है । राज्य सरकारों के सचिवालयों में जिन जिन योजनाओं का प्रारूप तैयार करने में कई कई वर्षों का समय लगता है, समय के अभाव के कारण, परिषद उन पर बहुत शीघ्र निर्णय लेती है । परिणाम यह होता है कि राज्य सरकारें इसके विरुद्ध शिकायतें करती रहती हैं ।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज तीन योजनाओं के पश्चात् भी, हमें प्रत्येक राज्य से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि उसे उपयुक्त धन नहीं मिल रहा । एक वर्ष यदि दुग्धशाला, मुर्गी पालन और सूअर पालन के लिए क्रमशः 100, 50 और 25 प्रतिशत की सहायता निर्धारित की जाती है, तो अगले ही वर्ष उसे बदल दिया जाता है । ऐसा क्यों किया जाता है, स्वयं डा० गाडगिल भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाये ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिये । यह सभी कार्य किसी विधान के अनुसार किये जाने चाहियें और इसमें राजनीतिज्ञों का हाथ नहीं होना चाहिये ।

मन्त्री महोदय ने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी है कि उनका मन्त्रालय सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं करेगा । यदि तमिलनाडु ने वित्त आयोग की नियुक्ति से पहले ही वेतन आयोग की नियुक्ति की होती तो उसे 2·5 करोड़ रुपये मिल जाते, परन्तु क्योंकि तमिलनाडु इस प्रकार के आयोग की स्थापना करने में असफल रहा, इसलिए उसे कुछ भी नहीं दिया गया । परन्तु हम आयोग की नियुक्ति क्यों नहीं करना चाहते थे ? इसका एकमात्र कारण यही है कि हम अपना बजट सन्तुलित रखना चाहते थे । हम रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट नहीं करवाना चाहते थे । परन्तु सरकार ने इसके लि हमारी सराहना करने की अपेक्षा, हमारी अपेक्षित सहायता ही रोक दी । संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तगर्त तमिलनाडु

द्वारा किये गये अनुदान के अनुरोध पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं समझता हूं कि सरकार की इस प्रकार की नीति विद्वतापूर्ण नहीं है। श्री वीरेन्द्र पाटिल जब मुख्यमन्त्री थे, तो उन्होंने एक बार कहा था कि केन्द्र बिना राज्य सरकारों से परामर्श किये या बिना उन्हें सूचित किये, अपने सरकारी कर्मचारियों के भत्ते आदि बढ़ाने का एकतरफा निर्णय कर लेती है। वह इस बात की कोई परवाह नहीं करती कि राज्य सरकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उनकी वित्तीय स्थिति क्या है ? अतः मेरा विचार है कि कर्मचारियों के बारे में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। हमें एक स्थायी वित्त आयोग की स्थापना करनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते, यह समस्या निरन्तर बनी रहेगी।

अब ऋण के प्रश्न को ही लीजिए। मार्च, 1971 के अन्त तक राज्य सरकारों का बकाया ऋण 8139 करोड़ रुपये था। कुछ राज्यों ने जमा धन राशि से भी अधिक धन निकलवाया है। मैं समझता हूं कि यदि वित्त आयोग तथा विभिन्न केन्द्रीय संगठन इनकी समस्याओं पर विचार न करें, तो इनके पास सिवाय रिजर्व बैंक का सहारा लेने के और कोई रास्ता नहीं रहता। आये दिन समाचार-पत्रों में यह समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को नोटिस जारी किये गये हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वह अपनी जमा धन राशि से अधिक निकाली हुई धन राशि वापिस बैंक में जमा करवा दें। मैं समझता हूं कि राज्यों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उनके आत्म सम्मान के विरुद्ध है।

मेरा यह दावा है कि राज्य सरकारों को जमा धन राशि से अधिक धन राशि निकलवाने का अधिकार मिलना चाहिये। ऐसा इसलिए होना चाहिये कि यदि किसी गैर-सरकारी व्यापारिक संस्था का किसी बैंक में खाता हो, तो धन के लेन-देन के नियमानुसार वह संस्था धन निकलवा सकती है। किन्तु राज्य सरकारें अपने सभी बैंक सम्बन्धी कार्य और लेन-देन के सौदे रिजर्व बैंक के माध्यम से करती हैं, अतः उन्हें ओवरड्राफ्ट का अधिकार क्यों न हो ? आर्थिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट पता लगता है कि 31 मार्च 1965 तक वर्ष 1964-65 में रिजर्व बैंक ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों को कुल 136 करोड़ रुपये का ऋण दिया। इसमें से अकेले केन्द्र को 123 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया और सभी राज्य सरकारों का ओवरड्राफ्ट केवल 13 करोड़ रुपये था। अतः इससे यह स्पष्ट है कि केन्द्र स्वयं तो रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकता है परन्तु राज्य सरकारों को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता। यह नीति ठीक नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि ओवरड्राफ्ट की कोई सीमा ही न हो, मैं तो केवल यही कहता हूं कि राज्य सरकारों को भी केन्द्र की तरह ओवरड्राफ्ट का कुछ अधिकार हो। निस्संदेह ओवरड्राफ्ट की सीमा रखी जानी चाहिये, अन्यथा किसी प्रकार की वित्तीय व्यवस्था बनाये रखना कठिन हो जायेगा।

मेरा यह सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को ओवरड्राफ्ट की राशि को दीर्घकालीन ऋण में बदल देना चाहिये अन्यथा इस समस्या को सुलझाना कठिन हो जाएगा। केन्द्र यदि इस प्रकार राज्य-सरकारों के साथ व्यवहार करता रहा, तो यह एक समस्या अनेक अन्य नई समस्याओं को जन्म देगी।

केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1971-72 के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि

केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले ऋण में वृद्धि की जा रही है । 1970-71 में योजना के अतिरिक्त 654·60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई जबकि उसी वर्ष राज्यों से केन्द्र ने 595·53 करोड़ रुपये अग्रिम धन राशि की वसूली के रूप में प्राप्त किये । अतः दूसरे शब्दों में राज्यों को कुल 59·69 करोड़ रुपरे दिये गये ।

अभी मन्त्री महोदय ने तमिलनाडु के सम्बन्ध में कहा है कि जितनी धनराशि की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, उसे उससे अधिक धन उन्हें मिल रहा है सम्भवतः इसके लिये आपने किसी नियम का पुनः निर्धारण किया हो । आये दिन इन नियमों में परिवर्तन करने की अपेक्षा इसके लिए कुछ सिद्धांत बनाये जाने चाहिये । गत वर्ष भी 150 करोड़ रुपये की धन राशि के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की गई थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र को राज्यों के लिए कुछ इस प्रकार के तरीके निकालने चाहियें जिससे कि प्राप्तियों और वितरण के अन्तर को पूरा किया जा सके । राज्य संघ के महत्वपूर्ण एकक हैं और उन्हें किसी भी प्रकार जनता की आँखों में गिराने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये ।

अब ब्याज की समस्या को ही लिजिये । ब्याज की दरों में कोई समानता नहीं है । केन्द्र को विदेशों से जो ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, वह जब वही धन राशि राज्यों को देता है तो उनसे ब्याज लेता है और ब्याज की दर भी शहर के साहूकार की तरह नहीं, अपितु गांव के साहूकार की तरह ही अधिकतम होती है । अतः ब्याज की दर के सम्बन्ध में सरकार को कोई स्पष्ट नीति अपनानी चाहिये । यह बात द्वितीय वित्त आयोग ने भी स्वीकार की है कि केन्द्र को राज्यों से अधिक ब्याज लेने का कोई अधिकार नहीं है ।

ऋण की समस्या अब तक गम्भीर रूप धारण कर चुकी है । अब समय आगया है जबकि ऋण की अवधि पुनः निर्धारित की जानी चाहिये । यदि अब इस अवधि को बढ़ा भी दिया जाता है तो उससे केन्द्र को कोई हानि होने वाली नहीं है । सीतलवाद समिति ने भी इस बात को अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि यदि नये ऋण और ऋणों की अदायगी के बीच व्यापक अन्तर से यह पता चलता है कि यदि ऋण की सभी अदायगियों की अवधि बढ़ा दी जाती है तो भी राज्यों को जो अनुदान की सहायता दी जाती है, उससे बचने वाले पूंजीगत संसाधन फिर भी अधिक होंगे । अतः यह स्पष्ट है कि केन्द्र को संसाधन प्राप्त हैं, परन्तु वह यथार्थ आंखें मूंदे हुये है । मैसूर राज्य को विशेष आवास निधि में से 100 करोड़ रुपये की धन राशि दी गई है, परन्तु किस आधार पर ? मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस बात को किसी दिन स्पष्ट करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा केन्द्रीय करों, ऋणों, अनुदानों तथा योजनागत सहायता के बंटवारे के वर्तमान तरीके से उत्पन्न विभिन्न राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों पर विशेष रूप से तमिलनाडु की समस्याओं के सन्दर्भ में जिसके न्यायसंगत दावों की उपेक्षा की गई है चिन्ता व्यक्त करती है और विशेष रूप से संकल्प करती है कि राज्यों की ऋण-ग्रस्तता की समीक्षा करने तथा ऋण-भार को हल्का करने हेतु मार्गोपाय सुझाने के लिए एक केन्द्रीय ऋण आयोग स्थापित किया जाये ।"

[प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ]
[The Motion was Negatived]

बंगला देश को मान्यता दिये जाने के बारे में संकल्प

Resolution Re : Recognition to Bangla Desh.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "यह सभा संकल्प करती है कि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र और समाजवाद के पवित्र सिद्धान्तों के प्रति हमारे राष्ट्र की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे बंगला देश के लोगों के अमानुषिक नरसंहार को पूर्णत: रोकने के लिए तथा उजाड़े गए लाखों शरणार्थियों की विकट समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए तथा अन्तत: इस उप-महाद्वीप में शान्ति, प्रगति तथा समृद्धि का एक नया युग लाने के लिए भारत सरकार को बंगला देश की लोक गणराज्य सरकार को तुरन्त मान्यता देनी चाहिए और उनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को शीघ्र सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक सहायता देनी चाहिए।"

मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे इस सदन के समक्ष इतना महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश संसद में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव ब्रिटिश लेबर दल के नेता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अमरीका की सीनेट में भी स्वर्गीय राष्ट्रपति केनेडी के छोटे भाई द्वारा भी बंगला देश को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

हमें स्मरण रहे कि बंगला देश की क्रांति केवल एक इतिहास की घटना मात्र ही नहीं है, अपितु यह तो पाकिस्तान निर्माण में आंतरिक विरोधों से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का तर्क संगत अन्त है। 1933 में जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी रहमतुल्ला, ने पाकिस्तान की स्थापना का विचार व्यक्त किया था तो जुफरूल्लाखां ने, जो उस समय एक ब्रिटिश अधिकारी भी थे, इसे केवल राजनीतिक कल्पना मात्र कहकर तत्काल अस्वीकृत कर दिया था। परन्तु 14 अगस्त 1947 की रात को यही कल्पना यथार्थ में परिणत हो गई और उसी रात से ही आन्तरिक अन्तर्विरोधों की शुरूआत भी हो गई।

मैंने कलकत्ता के सप्ताहिक 'युगवाणी' में बीस लेख लिखे हैं उन लेखों का आशय है कि स्वतंत्र पूर्वी बंगाल ही बंगाल के अल्प संख्यकों की समस्या का समाधान है और इससे ही भारत-पाकिस्तान की समस्याएं हल हो सकती हैं।

1965 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात मैंने "स्वतन्त्र पूर्वी बंगाल" पुस्तक लिखी थी जो वहां के युवकों में खूब बिकी और पाकिस्तान सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया। बंगला देश में क्रान्ति अनिवार्य थी। समस्या की जड़ बंगला देश की स्वतन्त्रता ही नहीं है। बंगला देश में जो कुछ घटना घटी है वह ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी घटना है और वह खैबर से कोहिमा तक समस्त उप-महाद्वीप का सामाजिक एवं राजनीतिक ढांचा बदलने की क्षमता रखती है।

यदि बंगला देश की स्वतन्त्रता स्थापित हो जाती है तो इस उप-महाद्वीप के लोगों और सरकारों के परस्पर सम्बन्धों पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। क्या बंगला देश द्वारा प्रज्जवलित

राष्ट्रीय क्रान्ति की ज्योति की तीव्रता से सरकार को विदित है ।

कुछ समय पूर्व प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में कहा था बंगला देश की क्रान्ति से उत्पन्न परिस्थिति का भारत के लोग दृढ़ता से सामना करेंगे । भारत के लोग बंगला देश के लिये सहर्ष हर तरह का बलिदान देगे यदि यह सरकार इस मालले से उत्साह, निष्ठा बरते तथा सीधी कार्य-वाही करने को उद्यत हो । प्रथमत: तो बंगला देश को मान्यता दे उसके पश्चात् वहां की राष्ट्रीय क्रान्ति को पूरा करें ।

ढाई मास व्यतीत हो गये हैं । भारत के लोग समझते हैं कि सरकार बचाव तथा चाल-बाजी की नीति अपना रही है ।

सरकार की ओर से प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने अनेक बार कहा है कि बंगला देश को मान्यता देंने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । अभिप्राय यह कि सरकार बंगला देश की प्रभुसत्ता से इन्कार नहीं करती । कहा गया था कि उचित समय पर मान्यता दी जाएगी । उचित समय कब आएगा इस बारे में चुप्पी साधी हुई है ।

कई राज्य सरकारों ने सर्व सम्मत: प्रस्तावों द्वारा केन्द्रीय सरकार से बंगला देश की मान्यता देने को कहा है मुस्लिम लीग के अतिरिक्त सभी संसदीय विरोधी दल एकमत है कि मान्यता देने के लिये यह समय उपयुक्त है । प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं ने भी कई बार मान्यता देने के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त की हैं ।

मान्यता देने में और समय देने का अर्थ यह है पाकिस्तान को और समय देना जो कि उसे अपनी सैनिक तैयारियों में सहायता देगा ।

शरणार्थियों को नई दिल्ली से नियंत्रित नहीं किया जा सकता । कई सामाजिक, राजनी-तिक एवं आर्थिक समस्याएं पहले ही पैदा हो गई हैं । शरणार्थियों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया है । अधिक समय लेने पर पाकिस्तान को और षडयन्त्र पैदा करने के लिये अवसर दिया जायेगा ।

सरकार ने एक ही कार्यवाही की है । उन्होंने श्री स्वर्ण सिंह तथा अन्य मंत्रियों को विदेशों में जनमत जागृत करने के लिये भेजा है । यदि यही कार्यवाही मान्यता देने के पश्चात् की जाती तो बंगला देश को मान्यता देने के बारे में जनमत तैयार करने में सहायता मिल जाती । हमारी सरकार भली प्रकार जानती है कि विश्व की कोई शक्ति नहीं चाहती कि पाकिस्तान का आस्तित्व समाप्त हो जाये ।

मान्यता दिये बिना विदेशों को मान्यता देने के लिये नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार इन यात्राओं का लक्ष्य मांगने तक ही सीमित रहा ।

यह सर्व विदित है कि श्री स्वर्ण सिंह बंगला देश को मान्यता देने तथा उस बारे में कोई सीधी कार्यवाही करने के पक्ष में नहीं हैं । वह केवल पाकिस्तान के ढांचे में राजनीतिक समझौते

की बात कर सकते थे जो कि मुक्ति सेना एवं अवामी लीग को कतई मान्य नहीं है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि वे बंगला देश की मृत्यु स्वीकार नही करेंगी। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजनीतिक घोषणाओं एवं वार्त्ताओं में भी स्वर्ण सिंह ने बंगला देश की मृत्यु का आधार तैयार कर लिया है।

मुक्ति वाहिनी का मत है पाकिस्तानी सेना की वापसी से और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी संविधान सभा स्थापित करके ही समस्या का हल हो सकता है। इस समस्या का और कोई समाधान हो ही नहीं सकता। आप को स्मरण रखना चाहिए कि मुक्ति सैनिक अवामी लीग अथवा किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है अपितु पूर्वी बंगाल रेजमेंट के बचे हुए सैनिक हैं। पाकिस्तान हमारे लिये मर चुका है। बंगला देश की स्वतन्त्रता पूर्ण सत्य है।

आज हम देखते हैं कि प्रारम्भिक उत्साह के पश्चात् अब सरकार अनिहय की नीति अपना रही है। सरकार केवल उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग कर रही है जिससे कि इस देश के नागरिकों की तथा बंगला देश के लोगों की भावनाएं उंची रहें।

यह स्थिति दयनीय है। इसका कारण यही है कि सरकार को कहीं अन्यत्र से हरी झंडी नहीं दिखाई गई है।

कई और खतरनाक बातें हैं**

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि 1950 में ढाका से बचकर आने वाला मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं। मैं सीधा यहां आया और पंडित जी से मिला** परन्तु मैं समझता हूं कि उन्हें ये शंका है कि यह अफवाहें और राजनीतिक छदमावरण हैं।

सभापति महोदय : आप कुछ जानकारी दे रहे हैं आपको इसका उपयोग करने के लिए कुछ सोचना चाहिए।

श्री समर गुह : सरकार को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। हो सकता है कि यह राजनीतिक तत्वों की अकर्मण्यता के कारण छद्मावरण का हो

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री समर गुह ने अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर कहा है जिसका मैं आदर करता हूं। परन्तु यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए,**

श्री समर गुह : समाचार की प्रतीक्षा किए बिना ही श्री लियाकत अली को किराची से तुरन्त दिल्ली भेजा गया था।

सभापति महोदय : हम सब इस बात से सहमत हैं कि बंगला देश के उद्देश्य को पूरा किया जाए और यह भी चाहते हैं कि राष्ट्र को कोई हानि न हो। परन्तु आपके विचारों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल देने का आदेश देता हूं और मैं समझता हूं इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री समर गुह : यदि सदन यह ठीक समझता है तो मैं इससे सहमत हू। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक नेता बताएं कि वे कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्या सामाजिक परिस्थितियाँ होंगी जिन्हें वे ठीक समझेंगे ?

मुझे तो यह शंका है कि सरकार इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि इसके मन में यह बात धर धर गई है कि यदि बंगला देश को मान्यता दे दी गई तो इससे पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संघष छिड़ जायेगा। परन्तु मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई उदाहरण हमारे सामने हैं जब कि पड़ोसी देश ने अन्य राष्ट्रवादी रूप में अद्भुत होने वाले देश को मान्यता दी है। परन्तु उनमें संघर्ष नहीं छिड़ा। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष छिड़ा भी तो बंगला देश की स्थिति से निपटने के लिए इससे अधिक अच्छा समय नहीं आयेगा क्योंकि वहां पाकिस्तान का सैनिक सन्तुलन समाप्त हो गया है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट भी पैदा हो गया है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की कोई सम्भावना नहीं है, और यदि ऐसी स्थिति आई भी तो पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगी।

एक अन्य आशंका भी सामने है। हमारे देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि मानो पाकिस्तान में आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण वहां राजनीतिक ढांचे अपने आप ही गिर जायेगा। परन्तु ऐसा अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य देश पाकिस्तान को वर्तमान रूप में बनाए रखना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में आर्थिक कारणों से पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे का भवन गिरेगा नहीं।

हमारी सरकार को एक और सन्देह है कि यदि बंगला देश को मान्यता दी गई तो पाकिस्तान के साथ संघर्ष में चीन भी बीच में कूद सकता है। हमारी सरकार ने संसार के सब देशों में अपने दूत भेजे हैं, परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि बंगला देश के प्रश्न पर हमारी सरकार चीन के साथ बातचीत करने का प्रयास क्यों नहीं करती। क्योंकि चीन 25 वर्ष से

** अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

यही प्रचार करता आ रहा है कि वह संसार में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों के प्रसार करने में संसार की सहायता कर रहा है। हमारी सरकार को चीन के इस कथन का लाभ उठाते हुये बंगला देश में हो रहे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ करनी चाहिए। परन्तु हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि चीन इस सम्बन्ध में बिल्कुल मौन है। चीन राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अनुभवी और सावधान देश है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष होने में वह पाकिस्तान को कुछ सहायता भले ही दे दे परन्तु वह अपना राष्ट्रीय हित को क्षति नहीं पहुंचायेगा और संघर्ष में सीधा नहीं कूदेगा। हमें चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए।

बंगला देश को तुरन्त मान्यता दी जानी चाहिए। बंगला देश की सहायता करने का एक यही तरीका है। बंगला देश को मान्यता देने से वहां के राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थिति में विशेष परिवर्तन आ जायेगा इससे वहां के लोगों में विश्वास उत्पन्न हो जायेगा और उन्हें एक प्रकार की शक्ति मिलेगी। इससे उन्हें अपने आपको संगठित करने, स्वतन्त्रता आन्दोलन का दृढ़ता पूर्व सचालन करने, और पाकिस्तानी सेना का सर्वनाश करने में और अधिक शक्ति मिलेगी।

इस क्रान्तिकारी अवसर से न केवल बंगला देश के लोगो का भाग्य और बंगला देश की स्वतन्त्रता का मामला जुड़ा हुआ है अपितु हमारे उपमहाद्वीप की परम्परा भी जैसे ही बंगला देश स्वतन्त्र होगा पश्चिम पाकिस्तान में आमूल परिवर्तन आ जायेगा भारत में भी एक नई विचार धारा विकसित हो जायेगी। अतः इस क्रान्तिकारी अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अतः सरकार को चाहिए कि लाखों व्यक्तियों की जान लेने वाले विभाजनोपरान्त संकटों और क्लेशों का सदा के लिए निवारण करने के लिए कटिबद्ध हो जाय। यदि सरकार ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाकर कोई कार्य- वाही नहीं की तो सरकार की बंगला देश सम्बन्धी इस ढुलमुल नीति के कारण देश का अहित ही होगा।

सभापति महोदय : संकल्प पर अपने संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : बंगला देश को मान्यता देने सम्बन्धी संकल्प पर मेरा संशोधन है कि बंगला देश को 30 जून, 1971 से पहले मान्यता दी जानी चाहिए। क्योंकि संकल्प में व्यवस्था की गई है कि 'शीघ्र ही मान्यता दी जानी चाहिए,' इससे अवधि निर्धारित नहीं होती। अतः एक निश्चित तिथि निर्धारित की जाए जिससे 1 जुलाई तक बंगला देश वालों को सम्पूर्ण सहायता दी जा सके।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : I beg to move my amendment to the resolution.

सभापति महोदय : ये संशोधन अब सदन के सम्मुख हैं।

***श्री कृष्ण हाल्दर** (औसग्राम) : भारतवासियों और सरकार के लिए यह बड़े खेद का विषय है कि बंगला देश को मान्यता देने के पक्ष में एक गैर-सरकारी संकल्प इस सदन में प्रस्तुत

* मूल बंगला के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

करना पड़ा है । यह तो समस्त विश्व को पता है कि वर्तमान स्वतन्त्रता संघर्ष के आरम्भ होने से पूर्व बंगला देश में क्या घटना घटी है । बंगला देश की जनसंख्या पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 60 प्रतिशत है और यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐकक है । विश्व को यह भी पता है कि बंगला देशवासियों को यह गम्भीर आन्दोलन मातृभाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए करना पड़ा है । पाकिस्तान के शासकों ने बँगला देशवासियों को उनके संवैधानिक तथा लोकतन्त्रात्मक अधिकारों से वन्चित रखा है और उनका आर्थिक शोषण किया है । पश्चिम पाकिस्तान के नृशंस शासकों ने उनके इस आन्दोलन को सैनिकबल और अत्याचारों से दबाने का प्रयास किया है ।

यह विश्व को पता है कि इतने अधिक संघर्ष और बलिदान के पश्चात बंगला देश के वासियों ने पाकिस्तान के सैनिक शासकों में अपने से अधिकार प्राप्त किए हैं । बंगला देश के लोगों लोकतन्त्र के पक्ष में अपना निर्णय किया है । उन्होंने चुनावों के माध्यम से अपना जो यह निर्णय ने दिया है वह विश्व के इतिहास में अद्वितीय हैं पाकिस्तान में हुए इन चुनावों में बंग बन्धु, मुजीबुररहमान की अध्यक्षता में अवामी लीग को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ । मुजीबुर रहमान एवं बंगला देशवासियों ने छ: सूत्री कार्यक्रम के आधार पर लोकतन्त्रात्मक अधिकारों के लिए चुनाव लड़ा था । उन्होंने पाकिस्तान से अलगाव की मांग नहीं की है । वे तो बहुत लम्बी अवधि से होते आ रहे आर्थिक शोषण को समाप्त करना चाहते हैं । पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बंगला देश वासियों को अपनी ही सम्पत्ति अथवा वहां उत्पन्न धन धान्य से वन्चित रखा है । पश्चिम पाकिस्तान के शासकों ने पूर्वी बंगाल को अपना उपनिवेश बना रखा है और लोगों को आर्थिक शोषण का शिकार बना रखा है ।

बंगला देश के लोगों की लोकतन्त्रात्मक अधिकारों की मांग को शासकों ने अत्याचारों से दबाया है । मुजिबुर रहमान और याहया खां के बीच हो रही राजनीतिक वार्ता का लाभ उठा कर पश्चिम पाकिस्तान के शासक हजारों की संख्या में पश्चिम पाकिस्तान से सैनिकों को वहाँ ले आए । जब सेना आधुनिक हथियारों की कुमुक मिलने से पूरी तरह लैस हो गई तो पश्चिम पाकिस्तान के ये अत्याचारी सैनिक बंगला देश की निहत्थी जनता पर टूट पड़ी । अत: बंगला देश वासियों की महत्वाकांक्षाओं का बरबर शक्ति से गला घोंटा गया । पांच लाख से भी अधिक लोग शहीद हो चुके हैं । इस प्रकार की सैनिक बर्बरता और भयंकर अत्याचार, का उदाहरण वियतनाम को छोड़ कर विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिलता ।

सत्तारूढ़ दल अपने निहित हितों के लिए संसदीय लोकतन्त्र का हनन करता है । यही घटना बंगला देश में घटी है ।

संसद में बंगला देश के पक्ष में संकल्प इसलिए पास हुआ था क्योंकि सब विरोधी दल एक होकर इसके लिये सरकार पर दबाव डाल रहे थे । भारत सरकार को समस्त विरोधी दलों की इच्छाओं के आगे झुकना पड़ा । संसद में जब संकल्प पास हुआ था तो विपक्ष के सब सदस्यों ने मांग की थी कि बंगला देश को पूर्ण समर्थन दिया जाए । परन्तु उस समय बंगला देश के

स्वतन्त्रता आन्दोलन को केवल आंशिक समर्थन दिया गया। हमें आशा थी कि भारत सरकार बंगला देश की सरकार को पूर्ण समर्थन देने हेतु कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। परन्तु अब 25 मार्च के बाद लगभग ढ़ाई महीने बीत गये हैं और हमारी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। केवल अन्य देशों से अपील की है कि शरणार्थी समस्या का कुछ हल निकाला जाए। यदि भारत सरकार वास्तव में शरणार्थियों की समस्या हल करना चाहती है तो बंगला देश की सरकार को तुरन्त मान्यता दे देनी चाहिये, क्योंकि इससे शरणार्थियों को पूरे विश्वास के साथ अपने घरों में वापस जाने की प्रेरणा मिलेगी। ये वहां वापस जाकर स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेंगे। अतः बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। कि बंगला देश की अन्तरिम सरकार को मान्यता दी जाए। हमारा उनसे गहरा और निकट का सम्बन्ध है। बंगला देश में लाखों व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया है और अपना स्वतन्त्रता संग्राम वे आज भी जारी रखे हुए हैं।

पश्चिम बंगाल के लोग भी इसी प्रकार अपने लोकतन्त्री अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। केन्द्रीय सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलना चाहती है। सारे राज्य में धारा 144 लगा रखी है। लोगों को निवारक निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किया जा रहा है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वहां अत्याचार कर रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों को इन कठिनाइयों से मुक्त करना चाहिये।

अफ्रीकी एशियाई देशों से मेरी अपील है कि वे भी बंगला देश को मान्यता दें। विश्व की प्रगतिशील शक्तियों से भी मेरी अपील है कि जिस तरह स्पेन में फासिष्ट सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना बनाई गई थी उसी प्रकार एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिगेड का संगठन करके बंगला देश के स्वतन्त्रता सैनिकों की सहायता की जानी चाहिए।

लाखों शरणार्थी शिविरों में रहते हैं और वे अब हैजे की माहमारी के शिकार हो गये हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतन्त्र होने का दावा करता है परन्तु, इस दावे का औचित्य सिद्ध करने के लिए बंगला देश की सरकार को तुरन्त मान्यता दे देनी चाहिये क्योंकि बंगल देश सरकार लोकतन्त्र की स्थापना के लिये संघर्ष कर रही है। परन्तु खेद की बात है कि अमरीकी साम्राज्यवादी सरकार के दबाव में आकर भारत बंगला देश की सरकार को मान्यत ा देने में हिचकिचा रही है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि बंगला देश की अस्थायी सरकार को तुरन्त मान्यता दी जानी चाहिये। ऐसा करने से यही माना जायेगा कि सरकार ने लोगों की माँगें पूरी की हैं। अतः बंगला देश की सरकार को मान्यता देने से भारत सरकार अपनी स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने वाले बंगला देश के लोगों से अवश्य न्याय करेगी।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I Commend my amendment to the House and entered my sympathies to the people of Bangla Desh who are fighting for their independence most courageously against the Military dictatorship. The people of Bangla Desh have made great sacrifices for their Indepence. Now the situation demands that they win their battle of Independence. But unless the Mukti Fauj of Bangla Desh recives arms and Ammunitions in aid from outside world, it is difficult for them to fight against West

Pakistan. Army equipped with latest and weapons. They are not getting this help from outside world. The people demand that our Government should immediately give recognition to Bangla Desh. But before recognition is given to Bangla Desh we have to Consider its implications in the international field. We should see that by taking such a step we do not get involved in war Let whole of the World should see the pitiable condition of Bangla Desh. I, therefore, shall request the Government to be very Cautious and careful in taking any decision in this matter. We should not take any step in haste. The steps, which our Government have taken so far are praisworthy and they have been taken after cool delibration. The ultimate responsibility in this matter will come on the Central Government. It should not take any decision under pressure.

We have full sympathy with the cause of the people of Bangla Desh. Our Government have sent missions to various countries of the world for consultation on this problem. Even then we should not take any hasty step.

The heavy influence of refugees from Bangla Desh has become a critical problem for us. This problem has put a great strain on our economy. But inspite of our critical economic condition we shall give all the possible help to the refugees, to the least of our Capacity, though it is very difficult for providing them food, Clothing and accomodation because we are already passing through such difficulties.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The resolution, moved by Shri Samar Guha, gives an opportunity to the Government to clarify its policy on Bangla Desh in the light of latest circumstances. We should make the world think over this matter through this serious discussion expressing our National feelings on the latest situation prevailing in Bangla Desh that the patience of India has reached its climax and that if world opinion failed to put Islamabad on the right path it will be rather impossible for Government of India to reject the demand of its 55 Crores of people.

The article of Mr. Anthony Meskan has published in the Indian Express giving a horrifying account of genocide in Bangla Desh has created critical condition in India.

Mr. Anthony Meskanhense is one of those few journalists who were taken to Dacca by Government of Pakistan to oppose them of the situation there. I want to quote here what he has written on his return from Dacca. He has written "either I would write the full story of what I had seen or I would have to stop writing. I would never again be able to write with any integrity." According to him Pakistan has their schemes in mind for East Bengal i. e. the Bengalis have proved themselve unreliable and must be ruled by West Pakistanis. Secondly the Bengalis will have to be re-educated along proper lives. Thirdly, when the Hindus are eliminated by death and flight, their property will be used as golden carrot to win over the under privileged Muslim middle Class: He has further stated that there were no Bengalis in the cities, Comilla town, like Dacca, was heavily shattered. There were only few peasants which the journalists saw on road to Lakshami who can be counted on fingers.

It is quite clear that Pakistan is preparing a definite policy of ammititation. The Parliament has passed a resolution unaimously that we will support and extand all help to East Bengalis. Even the various State Assemblies have demanded that we should accord recognition to Bangla Desh. But from the speeches of the Prime Minister it is not clear as to which direction we are moving. It will be difficult for the Bangla Desh to live with Pakistan as its integral part after supplying so much atrocties. I want to know the succ-

ess achieved by hon Miuisters who went abroad. What is the reaction in the various capitals of the world ? Are they prepared to give some help in cash for the refugees or they are showin only lip sympathy ? May I know whether other nations of the world will support us in getting the practical solution of East Bangal which mens that the East Bangal should be ruled by their elected representatives ;and that refugees should go back to their homes and their life and property will be saved ?

I congratulate 120 hon. Members of the Labour Party of the British Parliament who have said that the issue of East Bangal should be raised in the security Council. I would say that instead of British Government our Government should raise this matter in the Security Council.

No body can deny this fact that courage is going on the East Bangal. The Indian Government should raise this issue in the security council. In this way we will be able to assess the attitude of the various country. It will therfore, be easy for us to derermine our policy in this regard. Our policies can only be to create such conditions in East Bengal under which the evacuees can return to their homes. For this we should be even prepared for a war with Pakistan. War will not be costlier than what we are spending on the avocuees. We should give an ultimatum to Pakistan that he should create such conditions whereby vacuees can return to their houses otherwise we will take strong steps and that strong step can be war with that country.

The flow of evacuees affected the life in Calcutta adversely. Law and order situations has deteriorated. I have came to know that West Bengal Government is considering of declaring emergency in State. Had we determined our policy towards East Bengal on the 25 th. of March when the atrocities of Pakistan army started the situation world have been quite different to-day.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

The Government should act with courage and I am sure if the Government does so a history can be written on new lines.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने का विधेयक जारी

Statutory Resolution Re : Maintenance of Internal Security Ordinance and Maintenance of Internal Security Bill-Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के विधेयक पर चर्चा होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बंगला देश सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कल पुन: चर्चा होगी।

खंड 12
Clause 12

परामर्शदात्री बोर्ड के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रैंक स्थनी ने एक संशोधन दिया था। परन्तु वह इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। अत: प्रश्न यह है "कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13
Clause 13

नजरबन्दी की अधिकतम अवधि

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री कल्याण सुन्दरम अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : जी हां, मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

मैंने अपने संशोधन में यह कहा है कि नजरबन्दी की अवधि 12 महीने के बजाय 6 महीने होनी चाहिए। हैड कासन्टेबल द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को भी बिना मुकदमा चलाये हवालात में रखा जा सकता है। मेरा निवेदन है कि वह कम से कम अवधि को सीमित रखने के प्रश्न पर विचार करें। अत: मैंने अपने संशोधन में नजरबन्दी की अवधि को 12 महीने से घटा कर 6 महीने रखने की बात कही है। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Even the six months period is too much. But I am doubtful thal even this will be acceded to by shri Pant. The man released after detention can be reanested and detained immediately after his release. I will therefore request the hon. Minister to accept this amendment.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I also support this amendment. The hon Minister should not have any objection in accepting this amendment.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हारबर) : इसका प्रयोग सदा राजनैतिक विरोधियों के लिये किया जाता है। खंड 14 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को उसकी रिहाई के बाद पुन: नजरबन्द किया जा सकता है। अत: सरकार को इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : 12 महीने की अवधि प्रथम बार नहीं रखी गई है। निवारक विरोध अधिनियम 1950 में भी 12 महीने की अवधि रखी गई थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक नजरबन्द किये जाने वाले व्यक्ति को 12 महीने के लिए ही नजरबन्द किया जायेगा। अत्यधिक अवधि 12 महीने रखी गई है। प्रत्येक मामले को उसके गुण-दोष के आधार पर ही निपटाया जायेगा। मेरे विचार से ऐसे मामले अधिक नहीं होंगे कि किसी व्यक्ति को रिहाई के तुरन्त बाद पुन: नजरबन्द कर दिया जाये। परन्तु सारी बात सरकार पर ही निर्भर नहीं करती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 17 सभा में मत-विभाजन के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।
The Lok Sabha Divided

पक्ष में 42 ; विपक्ष में 124
Ayes–24 Noes–124

संशोधन अस्वीकृत हुआ
The amendment wss Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है। "कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 13 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided

पक्ष में 132 ; विपक्ष में 45
Ayes 132 ; Noes 45

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 14 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 15 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 15 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 16 विधेयक का अंग बने" ।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 131 ; **विपक्ष में 52**
Ayes 131 ; Noes 52

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

खंड 16 **विधेयक में जोड़ दिया गया ।**
Clause 16 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या किसी खंड पर चर्चा की जा सकती है जबकि उस पर कोई संशोधन न दिया गया हो । अब तक प्रथा यह रही है कि यदि किसी खण्ड पर कोई संशोधन नहीं होता तो उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती । इसके बावजूद भी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चर्चा की अनुमति दूंगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : चाहे किसी खण्ड पर संशोधन हो, तो अथवा नहीं तो भी सदस्यों को उस पर बोलने का अधिकार होना चाहिए । हमें किसी विषय पर दृढ़ रहने के बजायअ धिक लोकतन्त्रात्मक प्रथाएं अपनानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य किसी खण्ड का विरोध करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वह अपना संशोधन समय पर दे । परन्तु जैसा मैंने कहा कि शेष खण्डों पर चर्चा की अनुमति दूंगा चाहे उन पर कोई संशोधन हो अथवा न हो ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : खण्ड 16 महत्वपूर्ण खण्ड है । हम इस पूर्ण खण्ड के विरुद्ध हैं । परन्तु यदि हम इसको हटाये जाने का संशोधन दें तो उसको ग्रहीत नहीं किया जायेगा । सदस्यों को इस पर बोलने का अधिकार है और अध्यक्षपीठ को सदस्यों के इस अधिकार को छीनने का कोई अधिकार नहीं है ।

खंड 17

Clause 17

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17 was adde d to the Bill.

खण्ड 18

Clause 18

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 18 पर कोई सँशोधन नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं इस खण्ड का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Clause 18 was added to the Bill

खण्ड 1

Clause 1

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

माननीय मन्त्री ने अपने भाषण में अधिकतर पश्चिम बंगाल की दुखदायी घटनाओं का ही उल्लेख किया है। कोई कोई घटना पंजाब अथवा बिहार की भी बताई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कारण सरकार को अधिक शक्ति मिलनी चाहिए। परन्तु देश को अधिकांश भागों में ऐसी परिस्थितियां नहीं है। अतः वह इन मांगों में इसे क्यों लागू करना चाहते हैं।

जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, उनके पास पहले ही ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं। परन्तु क्या वहां पर अपराध कम हो गए हैं। परन्तु मुझे सन्देह है कि अधिक शक्तियां दिये जाने पर भी वह पश्चिम बंगाल में स्थिति पर काबू पा सकेंगे। सरकार की ओर से अनेक बार यह कहा गया है कि वहाँ की समस्या एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है क्या इस विधेयक के पास होने पर वह इस सामाजिक एवं आर्थिक समस्या को हल कर सकेंगे ?

उन्होंने बताया है कि इस कानून को कुछ सीमित क्षेत्रों में लागू करने में उन्हें कुछ कठिनाइयां हैं। परन्तु मेरे विचार में लोगों की स्वतन्त्रता को देखते हैं। इन कठिनाइयों का कोई मूल्य नहीं है। अतः मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करें क्योंकि इसमें मेरी तथा सरकार दोनों की बात पूरी हो जाती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : In my amendment, I have suggested that this black act should be enforced in Jammu and Kashmir also. This price of Legislation is being enacted to apprehend the foreign spies and also to check the activities of saboteus, But this act is enforced in the places where the security is much endangered. Daily we are unemthening the spy rings in that part of the country,

The hon. Minister can say that we have to take approval of the legislature before enforcing this Act in that state, In my view there is no difficulty in getting such approval.

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं पहले ही बता चुका हूं कि किन कारणों से हम इस कानून को जम्मू तथा कश्मीर पर लागू नहीं कर सकते । मैं पुन: उन बातों को दोहराना नहीं चाहता ।

जहां तक श्री पीलू मोदी की बातों का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी । एक बात मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारें भारत की प्रतिरक्षा अथवा भारत की सुरक्षा के हित से कोई कानून नहीं बना सकतीं । केवल भारत की संसद को ही ऐसा करने का अधिकार है ।

दूसरे, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकती ।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब और बिहार में ऐसे कानून नहीं हैं । परन्तु बिहार में आज जो स्थिति विद्यमान है उससे हम सब परिचित हैं । पंजाब में भी अहिंसा की कुछ घटनाएं घटी हैं । दूसरी बात यह है कि देश की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि यदि कोई राज्य विशेष इस प्रकार का कानून बनाना चाहे, तो हो सकता है कि वह ऐसा न कर पाये । परन्तु क्या ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को उस राज्य के लिए ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए ?

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इसका कुछ राज्यों पर अधिक प्रभाव पड़ता है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता प्रत्येक राज्य में स्थिति भिन्न है । हमने देखा है कि हिंसा की प्रवृत्ति कुछ क्षेत्रों में फैली है । अत: हम समय पर कार्यवाही करके उसको दबाना चाहते हैं तथा उसको और अधिक फैलने से रोकना चाहते हैं । हम नहीं चाहते कि हम पर यह आरोप लगाया जाये कि हम समय पर कार्यवाही नहीं करते ।

श्री पीलू मोदी : विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये समय पर कार्यवाही करना और निवारक विरोध के लिये समय पर कार्यवाही करना–दो अलग बातें हैं । एक तरीका लोक तंत्री है और दूसरा गैर-लोकतंत्री ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह फिर मुझे राजा जी को उद्धत करने के लिये उकसा रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी : बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल के विशेष क्षेत्रों के लिये यह कानून

बनाने से मंत्री महोदय को कौन रोकता है ? वह इस कानून को इन भौगोलिक क्षेत्रों के लिये पास क्यों नहीं करते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं कानून विशेषज्ञ नहीं हूं। यहां तक कि आपात कालीन मामले में भी संविधान के अनुसार हमें शक्ति नहीं हैं। हम किसी राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं ?

श्री पीलू मोदी : क्यों नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्योंकि यदि केन्द्र आपातकाल की घोषणा करेगा तो वह समूचे देश के लिये होगी। एक राज्य के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सर्व प्रथम श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रारा प्रस्तुत संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात् मैं भी पीलू मोदी द्वारा प्रस्तुत संशोधत मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Ameudment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है; "कि खण्ड एक विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 was added to the Bill

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting Formula and the Bills were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : में प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये :

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विधेयक के चरण पर भी वह विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुरूप इस बात पर विचार करेंगे कि इसके लागू होने के पश्चात् श्रमिकों, किसानों, छात्रों तथा कर्मचारियों के आन्दोलन पर यह लागू नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सरकार देश को नव फासिस्ट राज्य बनाने जा रही है । आज तो यह हमारे लिये है, कल दूसरे राज्यों में भी लाया जायेगा । ऐसा सत्तारूढ़ दल के दलगत उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है ।

वर्ष 1965 में 8000 मुसलमानों तथा उनके परिवारों को हिरासत में रखा गया तथा उन्हें बेघर कर दिया गया । आज वे भूल गये हैं कि निवारक विरोध अधिनियम और ऐसे ही काले कानूनों ने उन्हें क्षति पहुंचाई है ।

इस बार सरकार अधिक बड़ी शक्ति का प्रयोग करने जा रही है । यदि वे फिर इसका दुरुपयोग करेंगे और फासिस्ट स्वरूप वाले काले कानूनों को लायेंगे तो वे केवल अपनी कब्र ही खोदेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् जनता से की गई प्रतिज्ञाओं का अनादार किये जाने का उदाहरण इतिहास में लिखा जावेगा ।

यह निवारक विरोध कानून, चाहे इसे कोई भी नाम क्यों न दिया जाये, देश में नया नहीं है । हमने गत 20 वर्षों से इसका अनुभव किया है ।

सर्वप्रथम वर्ष 1950 अथवा 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न्यायपालिका को वंचित करने के लिसे इसे प्रस्तुत किया था । यह कौन नहीं जानता है ।

1969 के उत्तरार्द्ध में जब यह सरकार इस सभा में अपना बहुमत खो चुकी थी और जब उन्होंने निवारक विरोध अधिनियम, जिसकी अवधि समाप्त हो रही था की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो सभी विरोधी दल इसके विरुद्ध थे और उनके समर्थन के बिना वह पारित नहीं हो सकता था । ऐसे में सरकार ने प्रस्ताव को वापस ले लिया । परंतु उसने कुछ राज्य सरकारों, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आसाम को अपने राज्य विधान अधिनियमित करने के लिये कह दिया और पश्चिम बँगाल में ज्योंही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर पुनः राष्ट्रपति शासन के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये उन्होंने हिंसक गतिविधियों का निवारण अधिनियम पेश किया और उसे लागू कर दिया ।

निवारक विरोध अधिनियम से सरकार पश्चिम बंगाल की समस्या सुलझाना चाहती है । वहां के पुलिस अधिकारियों ने ऐसी शक्तियां अपने हाथ में लेने की मांग की । विरोधी दलों ने इसका विरोध किया कि ऐसा करने से समस्या नहीं सुलझेगी परन्तु सरकार ने कहा कि इससे पश्चिम बंगाल की स्थिति सुधर जाएगी । परन्तु आप देख रहे हैं कि आज वहां क्या हो रहा है ।

सामान्य चर्चा समाप्त करते हुये मन्त्री महोदय ने कहा कि यदि हिंसक गतिविधियों का निवारण अधिनियम न होता तो पश्चिम बंगाल में लोग मतदान करने नहीं जा सकते थे । वह हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाता, जो अपना मत डालने के

लिये बाहर निकले थे वे केवल तभी ऐसा कर सके क्योंकि हजारों लोगों को इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा कह कर के मन्त्री महोदय पश्चिम बंगाल के लोगों की लोकतान्त्रिक भावनाओं पर धब्बा लगा रहे हैं।

सरकार ने गत महीने में अध्यादेश क्यों पेश किया इसका कारण सीधा सा है। सत्तारूढ़ दल को मालूम था कि चुनावों के दौरान उसने जो आवश्वासन लोगों को दिये थे, उनको वह पूरा नहीं कर रहा है। दोनों मदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एकाधिकारियों के विरूद्ध एक शब्द भी नहीं कहा।

सरकार कहती है कि सामान्य बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध उसने हाथ में ले लिया है। सरकार जानती है कि कीमतें बढ़ेंगी जिसके परिणामस्वरूप आन्दोलन, असंतोष, हड़तालें, ज्यादा मंहगाई भत्तों की मांगें उत्पन्न होंगी। किसानों, भूमि हीन व्यक्तियों तथा कृषि मजदूरों द्वारा अतिरिक्त भूमि और काम में न लाई जाने वाली भूमि के शीघ्र वितरण की मांग की जा रही है। सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिये वचनबद्ध है लेकिन वह इन्हें क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अतः सरकार इन सब बातों का सामना करने के लिये यह हथियार रूपी विधान चाहती है।

बंगला देश का मामला एक सीधा सा बहाना मिल गया है। बंगला देश में इन घटनाओं के पहले जब कोई भी बात नहीं हुई थी तब भी सरकार ने इस अधिनियम की अवधि बढ़ानी चाही थी। अब सरकार यह तर्क देती है कि देश को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है जासूसी वारदातें हो रही हैं। किन्तु यह सब तो वह अपनी सुविधा के लिये करती है। इस काले अधिनियम के पीछे उसका असली उद्देश्य लोगों के आन्दोलनों का दमन करना है।

अतः हम पूर्णतया विधेयक का विरोध करते हैं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं। मैं आज से नहीं बल्कि उस दिन से, जिस दिन यह सिद्धान्त संविधान में शामिल किया गया था, इसका विरोधी हूं। मुझे वर्ष 1940 में दुर्भाग्यवश भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था।

जब निवारक विरोधी सिद्धान्त को आज से 22 वर्ष पूर्व संविधान में शामिल किया जा रहा था, तो मैं पंड़ित जवाहरलाल नेहरू, पंडित पंत, सरदार पटेल तथा डा० अम्बेडकर के पास गया तथा जाकर उनसे पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तब डा० अम्बेडकर के अतिरिक्त उन सभी ने मुझसे कहा कि समय बदल गया है तथा हम अपनी हाल ही में जीती हुई स्वतन्त्रता को संरक्षण देना चाहते हैं। 16 सितम्बर, 1949 की संविधान सभा के वादविवाद में कहा गया था कि अनुच्छेद 15 तथा 15 क व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधा है।

इस सम्बन्ध में मैं सरदार पटेल के पास पहुंचा परन्तु उनके उत्तर से मुझे सन्तोष नहीं हुआ। गत सवा वर्ष से यह अधिनियम लागू नहीं है, और यदि इस विधेयक को नहीं लाया

जाता तो कोई ग्रासमान तो गिर नहीं जाता और वह इस विधेयक को पुनः लाकर बड़ी भारी भूल न करती, विशेषकर उस समय जब कि उसे भारी बहुमत मिला हुग्रा है। वह इसे कभी भी किसी ग्रापातकालीन स्थिति में पारित करा सकती है। सरकार ऐसा काला कानून क्यों बनाती है।

ग्रतः में मन्त्री महोदय से इस विधेयक को वापस लेने का ग्रनुरोध करता हूं।

इस निवारक विरोध विधेयक के ग्रन्तर्गत मैं दो बार तकलीफ उठा चुका हूं। सरदार पटेल जब इस विधेयक को लाये थे तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यह विधेयक केवल तोड़ फोड़ करने वाले लोगों तथा जासूसों के लिये लाया गया है। परन्तु इस विधान के ग्रन्तर्गत मुझे गोरखपुर में एक चीनी कारखाने में हड़ताल हो जाने के सम्बन्ध में नजरबंद कर लिया गया था। ग्रब फिर इसका प्रयोग इसी प्रकार किया जायेगा। इसका प्रयोग सत्तारूढ़ दल द्वारा दल के विरोधियों के विरूद्ध किया जायेगा। सरकार को कानून की किताब को ऐसा कानून बना कर काला नहीं करना चाहिये।

श्री के० मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : यह विधेयक एक कठोर उपाय ग्रौर एक ग्रनैतिक ग्रधिनियम है। मैं मन्त्री महोदय से ग्रनुरोध करता हूं कि वह कतिपय पहलुग्रों पर विचार कर जो पहलू उनके ध्यान में लाये गये हैं।

मन्त्री महोदय ने श्री कृष्ण मेनन के उत्तर में कहा कि जब वह मन्त्री थे तब उन्होंने इस विधेयक का विरोध नहीं किया ग्रौर जब इस ग्रधिनियम की ग्रवधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था तब भी उन्होंने त्याग-पत्र नहीं दिया। श्री पंत भी मन्त्री पद से हट जाने के बाद इस विधेयक का विरोध करेंगे।

यह ऐसा विधेयक है जिससे निश्चय ही वर्तमान सत्तारूढ़ दल का स्वरूप कम हो जायेगा। चुनावों के बाद सत्तारूढ दल को भारी बहुमत प्राप्त है। मुझे संदेह है कि इस विधेयक से इस दल की ख्याति बनी रहेगी ग्रौर प्रतिष्ठा को संरक्षण मिल सकेगा।

मैं जानता हूं कि यह विधेयक ग्रब इस ग्रवस्था तक पहुंच गया है कि इसे वापस नहीं लिया जा सकता परन्तु इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाना चाहिये तथा राजनीतिक उद्देश्य के लिये इसका दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह जानकर ग्राश्चर्य होता है कि सत्तारूढ़ दल ने विरोधी दल की भावनाग्रों की गहराई की ग्रोर ध्यान नहीं दिया। सरकार को भारी बहुमत प्राप्त है ग्रतः वह यह नहीं समझ सकती है कि विभिन्न दल इसका इतना कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हिंसात्मक गतिविधियां निवारक ग्रधिनियम के पारित हो जाने के बाद भी क्या सरकार यह कह सकती है कि पश्चिम बंगाल में

स्थिति सुधरी है ? क्या यह और बदतर नहीं हो गई है ? अतः पश्चिम बंगाल की समस्या को हल करने के लिये अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

यह और गम्भीर शंका है। सरकार सीमा पर व्याप्त स्थिति और बंगला देश का नाम ही ले रही है । बंगला देश की समस्या से निपटने के लिये यदि कोई ठोस कदम उठाया जाता, जैसा कि 1962 और 1965 में किया गया था, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये हो, तो इस सभा को ऐसे कानून को पारित करने में एक घन्टा नहीं लगता है। परन्तु इस विधेयक को यदि अधिनियम के रूप में पारित किया जायेगा तो बंगला देश के शरणार्थियों की वैध शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा और जो लोग मानवीय स्तर पर अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं उनके मुंह बन्द कर दिये जायेंगे । अतः मैं इस काले विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : यह देख कर बहुत ही आश्चर्य होता है कि कांग्रेस दल के सदस्य इस कानून को पारित करने में आन्नद विभोर हो रहे हैं । वे हमेशा के लिये इस तरह से देश पर शासन नहीं कर सकेंगे । वे गलत रास्ता अपना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते हैं । मैं इसके विरोध में सभा-भवन से बाहर जाता हूं । यह क्या बात हुई ? आपको यह शोभा नहीं देता ।

माननीय सदस्य ने कोई कागज फाड़ा और इसके पश्चात सभा-भवन से बाहर चले गये ।

The hon. Minister tore off some paper and then left the House,

Shri Hemendra Singh Bawera (Bhilwara) : The members of the ruling party are very jubliant but the opposition leaders have opposed this Bill.

We are afraid, this law will be misused. It is true that the ruling party can got this Bill passed in this House beconse they have got massive mejority but outside the House people would uppose it.

श्री पीलू मोडी : इस विधेयक को पेश करके तथा पारित करवा के सत्तारूढ़ दल ने जो बहुमत समर्थन प्राप्त किया था उसे न्यूनतम समर्थन में परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि वे इस देश के 57 प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधियों की तुलना में केवल 43 प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा इसे पारित करवाया जा रहा है ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : We are not proud of passing this Bill. I would requst the hon. Minister not to use this law against the movements of workers and peasants. I would have no objection if it is used aganist Communalists.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा द्वारा उठाये गये

प्रश्न की प्रशंसा करता हूं तथा उन्हें और श्री शशिभूषण को आश्वासन देता हूं कि इस विधेयक को मजदूरों, किसानों अथवा छात्रों के किसी वैध आन्दोलन दमन करने के लिये नहीं लाया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री मनोहरन के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा यह प्रयास रहेगा कि इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाये तथा राजनैतिक उद्देश्यों के लिये तो बिल्कुल ही न किया जाये।

परन्तु यह स्वाभाविक ही है कि सभी राजनीतिक दलों को भी हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। उन्हें लोकतांत्रिक ढांचे को क्षति पहुंचाने के विचार को अवश्यक त्याग देना चाहिए और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करने वाले संविधान के ढांचे के भीतर रहते हुए नियमों का पालन करना चाहिए। यदि कोइ व्यक्ति राजनीतिक गतिविधि के नाम से इस प्रकार की कार्यवाही करे जिससे इस देश की एकता और प्रभुसत्ता को क्षति पहुंचती हो, जो साम्प्रदायिक एकता के लिये हानिकर हो और लोकतांत्रिक ढांचे के विपरीत हो, तो इन खंडों का उपयोग किया जा सकता है।

ऐसा कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल ने चुनावों में दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस ने चुनाव-घोषणा-पत्र में यह स्पष्ट कह दिया था कि अशांति और हिंसात्मक कार्यवाही करने वाली शक्तियों को समाप्त किया जायेगा ताकि सभी नागरिक शांतिपूर्वक रह सकें। यह उस प्रतिज्ञा के अनुरूप है। आज हम कठिन समय में रह रहे हैं। बहुत से सीमावर्ती राज्यों में ऐसे कानून नहीं हैं। सीमा पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि कल हमें ऐसे कानून की आवश्यकता पड़े, तो उसके लिये तैयार रहना चाहिये। इस देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की सरक्षण देने की भावना से और देश में शांति बनाये रखने के लिये हम इस सभा से इस विधेयक को पारित करने की अपील करते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We express our protest and we would not participate in the division. We are leaving the House. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

जो पक्ष में हैं वे 'हां' करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जो विपक्ष में हैं वे 'नहीं' कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाता है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ अन्य माननीय सदस्य
सभा-भवन से बाहर चले गये

Shri Atal Bihari Vajpayee and some other hon. Members
left the House

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 21, जून, 1971/31 ज्येष्ठ,
1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये
स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Monday, June ,21 1971 Jyaistha 31 1893 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar

P.L.S 48. III. 25.71 (N)
340

© 1971 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
अशोका प्रिंटिंग वर्क्स, गोविन्दपुरी
मोदीनगर द्वारा मुद्रित ।

© 1971 By The LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED AT ASHOKA PRINTING WORKS, GOVINDPURI MODINAGAR.